

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221490
CG-DL-E-01092020-221490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942
No. 223]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार और उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

मामला सं. (ओ आई) 18/2019

विषय : बेलारुस, यूरोपीय संघ, पेरु और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों के संबंधों में पाटन रोधी जांच का अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 6/25/2019—डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में कहा गया है) तथा तत्संबंधी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण करने के लिए,) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे नियमावली के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे प्राधिकारी के रूप में कहा गया है) मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड, मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड और मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड से दिनांक 03 सितंबर, 2019 का संयुक्त आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बेलारुस, यूरोपीय संघ, पेरु और यूक्रेन (इसके बाद इसे संबद्ध देश के रूप में कहा

गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रेलिक फाइबर (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयात पर अधिनियम और नियमावली के तहत पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल अथवा नियोजित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को राशि के बारे में सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाई जाती हो, वह घरेलू उद्योग की कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/25/2019-डीजीटीआर, दिनांक 24 सितम्बर, 2019 के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है:-
- क. प्राधिकारी ने पहले नियम 5 के उप-नियम 5 के अनुसार जांच शुरू करने से पूर्व पाटन रोधी संबंधी वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया है।
- ख. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 सितम्बर, 2019 के द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावासों, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जांच शुरू करने की अधिसूचना एक प्रति भेजी तथा जांच शुरू किए जाने की अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया।
- घ. प्राधिकारी ने पहली नियमावली के नियम से 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावासों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी गई प्रश्नावली और पत्र की एक प्रति भी संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम व पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के निर्यातक प्रश्नावली भेजी गई -
 - i. मोटे फाइबर स्पा, इटली
 - ii. एकाॉर्डिस एजी, जर्मनी
 - iii. मार्कश्री फासर एजी, जर्मनी
 - iv. पुमिका ट्रेडिंग का. लिमिटेड, लातविया
 - v. लुकोऑयल कंपनी, बुल्गारिया
 - vi. अंतर्राष्ट्रीय रेयान और सिंथेटिक फाइबर समिति, बेल्जियम
 - vii. ड्रालोन जीएमबीएच, जर्मनी
 - viii. नेफ्टोखिम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, बुल्गारिया
 - ix. पोलिमिर, बेलारूस गणराज्य
 - x. जेएससी पॉलिमर, बेलारूस गणराज्य
- छ. प्रत्युत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित फॉर्मेट में निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए:-
 - i. ड्रालोन जीएमबीएच, जर्मनी

ii. सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस एस.ए., पेरू (एसडीईएफ)

iii. ओजेएससी, नैफ्टन, बेलारूस गणराज्य

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं के लिए आयातकों/प्रयोक्ता को प्रश्नावलियां भेजी थी:-

- i. राजस्थान स्पनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.
- ii. दीपक स्पिनर लिमिटेड
- iii. शिवलिया डी.एस.पी. और मिल्स (प्रा.) लिमिटेड.
- iv. शिवा फैब्रिकेटर (प्रा.) लिमिटेड
- v. योगेंद्र वर्स्टी लिमिटेड
- vi. बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड
- vii. शीतल फाइबर लिमिटेड
- viii. स्पोर्टिंग इंडिया लिमिटेड
- ix. वर्धमान स्पनिंग एंड जनरल मिल्स
- x. मालवा कॉटन स्पनिंग मिल्स लि.
- xi. दीपक स्पिनर लिमिटेड
- xii. सुप्रीम टेक्स मार्ट लिमिटेड
- xiii. श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड
- xiv. गंगा एक्रोउल्स लि.
- xv. अरिसूदाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- xvi. टेक्सास वूलन मिल्स (प्रा.) लिमिटेड
- xvii. जिंदल कोटेक्स लिमिटेड
- xviii. गर्ग एक्रिलिक्स लिमिटेड
- xix. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन
- xx. लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन

झ. प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातकर्ता प्रश्नावली प्रतियुत्तर का उत्तर दिया तथा प्रश्नावनी दायर की है:-

- i. गंगा एक्रोउल्स लि.
- ii. गंगा स्पनिंग एंड वीविंग मिल्स लि
- iii. गर्ग एक्रिलिक लिमिटेड
- iv. लक्ष्मी स्पिनर
- v. लोंगोवालिया यार्न सीमित
- vi. लक्समी स्पनिंग मिल्स प्रा.
- vii. ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड
- viii. पैरामाउंट सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ix. रामजी एकरो लिमिटेड

- x. शरमन वूलेन मिल्स लि
- xi. शिव वूलेन मिल्स
- xii. शिवाल्या कताई और बुनाई मिल (प्रा.) लि।
- xiii. श्री गणेश एकरो यार्न प्राइवेट लिमिटेड
- xiv. स्पोर्टिंग इंडिया लिमिटेड
- xv. उदय उद्योग
- xvi. वीनस टेक्सस्पिन लि.

- ज. द लुधियाना स्पिनर्स एसोसिएशन, नार्दर्न इण्डिया टेक्टाइल मिल्स एसोसिएशन और यूरोपियन मैन-मेड फाइबर्स एसोसिएशन ने भी जांच अवधि के दौरान निवेदन किए गए थे जिनको शामिल कर लिया गया है और इस अंतिम जांच परिणाम में विधिवत इनका समाधान किया गया है।
- ट. हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा निरीक्षण हेतु रखी सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी ने उपलब्ध कराया।
- ठ. विगत 3 वर्षों तथा जांच की अवधि का विचाराधीन उत्पाद के आयातों का लेन-देनवार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं साख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एण्ड एस) से अनुरोध किया गया था। डी जी सी आई एण्ड एस के द्वारा यह प्राधिकारी के लिए उपलब्ध कराया गया था। आयातों की मात्रा एवं इसके विश्लेषण का परिकलन करने के लिए प्राप्त किए गए डी जी सी आई एण्ड एस के लेन-देनवार आंकड़ों पर प्राधिकारी ने भरोसा किया है।
- ड. भारत में विचाराधीन उत्पाद को नामित करने एवं बिक्री करने की लागत एवं उत्पादन की अधिकतम लागत के आधार पर क्षतिरहित मूल्य (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर किया गया। यह सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली का अनुबंध-III के आधार पर किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि क्या घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन से कम है।
- ढ. आवेदकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को प्राधिकारी द्वारा जहां तक आवश्यक समझा गया, वास्तविक जांच की गई थी। आवश्यक संशोधनों के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर जहां तक लागू हो, वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के प्रयोजनों के लिए भरोसा किया गया है।
- ण. आवश्यक समझी गई सीमा तक उत्पादकों/निर्यातकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच प्राधिकारी के द्वारा की गई है तथा वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।
- त. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (12 माह) मानी गई है। तथापि, क्षति जांच की अवधि 2015-16, 2016-17, 2017-18 और जांच की अवधि (पी ओ आई) के रूप में माना गया है।
- थ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 28 मई, 2020 को हुई सुनवाई के दौरान अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उन्हें अवसर भी प्रदान किया। बाद में, निर्दिष्ट प्राधिकारी बदल जाने के कारण एक अन्य मौखिक सुनवाई 16 जुलाई, 2020 को हुई थी। जो पक्षकार मौखिक सुनवाई में आए थे, उन सभी पक्षकारों को प्रत्युत्तरों, यदि कोई हों, के बाद लिखित निवेदन दायर करने के लिए एक अवसर दिया गया था।
- द. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए लिखित आवेदनों/प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्क-वितर्कों पर अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- ध. इस जांच अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों का, जहां कहीं प्रासंगिक पाया, इस अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी के द्वारा समाधान किया गया है।
- न. गोपनीय आधार पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई थी। संतुष्टी होने पर प्राधिकारी ने, जहां प्रमाणित सिद्ध हुआ, गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार किया है तथा ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की

गई है। गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध करानेवाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के बारे में पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण, जहां संभव हो, उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

- प. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना सुलभ करने से मना अथवा सूचना अन्यथा उपलब्ध न कराई हो, अथवा जांच में काफी बाधा पहुंचाई हो, वहां पर प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और इन अंतिम जांच परिणामों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकार्ड किया है।
- फ. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच अनिवार्य तथ्यों को दिनांक 21 अगस्त, 2020 के प्रकटन विवरण के द्वारा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था तथा उन पर प्राप्त की गई टिप्पणियों का प्राधिकारी के द्वारा उचित समझने पर अंतिम जांच परिणामों में समाधान किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए प्रकटन के बाद के अधिकांश निवेदन उनके द्वारा पहले किए गए निवेदनों की केवल पुनरावृत्ति है। तथापि, प्रासंगिक समझे गए प्रकटन के बाद के निवेदनों की इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है।
- ब. इस अंतिम जांच निष्कर्ष विवरण में *** किसी हितबद्ध पक्षकार के द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है तथा इस पर नियमावली के अधीन प्राधिकारी के द्वारा ऐसे विचार किया है।
- भ. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी के द्वारा स्वीकार की गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 70.82 रु.।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुएं

4. विचाराधीन उत्पाद सभी किस्म की एक्रिलिक फाइबर है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तुएं कहा गया है)। एक्रिलिक फाइबर एक्रिलोनाइट्राइट युनिट्स (उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री) के भारांश के कम से कम 90% से बने सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला है। एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक स्टेपल, एक्रिलिक टो और एक्रिलिक टॉप शामिल हैं। अन्य शब्दों में, वाणिज्यिक बोलचाल की भाषा में एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो, और एक्रिलिक टॉप को एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है।
5. संबद्ध वस्तुओं को 4 अंकीय स्तर पर उपशीर्ष 5501, 5503, 5505 और 5506 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद को सीमाशुल्क के टैरिफ 55013000, 55033000, 55051010 और 55063000 के तहत शामिल किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और किसी प्रकार से जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ग.1. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुएं

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए निवेदन तथा प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक माने गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "सभी किस्मों का एक्रिलिक फाइबर" है। एक्रिलिक फाइबर एक्रिलोनाइट्राइट युनिट्स (उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री) के भारांश के कम से कम 90% से बने सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला है। एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक स्टेपल, एक्रिलिक टो और एक्रिलिक टॉप शामिल हैं। अन्य शब्दों में, वाणिज्यिक बोलचाल की भाषा में एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो, और एक्रिलिक टॉप को एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद को 4 अंकीय स्तर पर उपशीर्ष 5501, 5503, 5505 और 5506 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद को सीमाशुल्क के टैरिफ 55013000, 55033000, 55051010 और 55063000 के तहत शामिल किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और किसी प्रकार से जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- ग. घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और वे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं विनिर्माण प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विशिष्टियों, मूल्य-निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के सीमा-शुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन करते हैं।
- घ. 100% एक्रिलोनाइट्राइल वाले होमोपॉलीमर एक्रिलिक फाइबर को बाहर निकालने का कोई औचित्य नहीं है तथा घरेलू उद्योग बाहर निकालने के इस अनुरोध का सशक्त विरोध करता है। घरेलू उद्योग उत्पाद का उत्पादन एवं आपूर्ति कर सकता है। उपभोक्ता से अनुरोध करने की अपेक्षा सामग्री का आयात करने को तरजीह दी है।

- ड. अकेले पेरु से लगभग 1500 मी.टन एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट के आयात करने की सूचना प्राप्त हुई है। अपने उत्पादन का पाटन करने के लिए संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए केवल भारत ही उपलब्ध पाटन ग्राउण्ड है। संबद्ध देशों में उत्पादकों के द्वारा नियोजित प्रौद्योगिकी वही है जो उत्पादकों के द्वारा नियोजित की जाती है। घरेलू उत्पादकों का अपशिष्ट अपेक्षाकृत काफी कम है।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तुओं के संबंध में निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए एवं प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक माने गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-
- क. पेरु के उत्पादक सुडा अमेरिकन ने यह स्वीकार किया है कि वह भारत के लिए विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं करता है। उत्पादक के द्वारा उत्पादित एवं भारत के लिए निर्यात किए गए उत्पाद अर्थात् सिंथेटिक वेस्ट, अथवा एक्रिलिक सॉफ्ट वेस्ट "एक्रिलिक फाइबर वेस्ट" की परिभाषा के अधीन आते हैं जो विचाराधीन उत्पाद के परिभाषित कार्यक्षेत्र से भिन्न है।
- ख. पेरु के उत्पादक के द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद एक अलग एच. एस. कोड अर्थात् "वेस्ट (नोयल्स, यार्न वेस्ट तथा गेमेटेड स्टॉक) ऑफ मैन-मेड फाइबर्स" शीर्षक वाले 5505 के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान जांच में उत्पादके कार्यक्षेत्र में एच. एस. कोड को शामिल नहीं किया गया है।
- ग. जांच शुरुआत में बताया गया कि एच. एस. कोड केवल निर्देशात्मक है तथा निर्धारित विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क (यदि कोई हो) लगाया जाएगा। तथापि, यह माना गया है कि एक्रिलिक वेस्ट विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर आता है क्योंकि उत्पाद तकनीकी दृष्टि से भिन्न-भिन्न होते हैं और उस विचाराधीन उत्पाद से पूर्णतः अलग-अलग होते हैं।
- घ. आयात किए गए उत्पादों और घरेलू उद्योग के उत्पाद के बीच में समानता का निर्धारण करते समय महत्वपूर्ण पैरामीटरों पर निर्भर रहना प्राधिकारी की यह समनुरूप प्रक्रिया है। ऐसे महत्वपूर्ण पैरामीटर ये हैं- भौतिक और रासायनिक विशेषताएं, उत्पाद विशिष्टियां, निर्माण प्रक्रिया और संयम और उपस्कर सहित उत्पादन प्रौद्योगिकी, कार्य और अंतिम उपयोग, अंतिम प्रयोक्ता आवश्यकता, अंतिम प्रयोक्ता प्रत्यक्ष ज्ञान, वितरण एवं विपणन, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता।
- ड. हाल ही की जांच में प्राधिकारी ने जांच के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्रेडों को विशेष रूप से बाहर निकाल दिया था क्योंकि घरेलू उद्योग उन ग्रेडों के साथ अपने ग्रेडों की समानता नहीं दर्शायी थी जिनके लिए उनके संबद्ध देशों द्वारा बाहर निकाले जाने का अनुरोध किया था।
- च. भारत के लिए निर्यात किए एक्रिलिक वेस्ट और घरेलू उद्योग के उत्पादों के बीच में भार, लंबाई, आर्द्रता, प्रतिरोध, संसाधन क्षमता एवं रंग के आधार पर तकनीकी अंतर होता है।
- छ. एक्रिलिक वेस्ट और विचाराधीन उत्पाद के बीच में अंतर गुणवत्ता का नहीं होता है। इन उत्पादों के बीच में गहन तकनीकी और वाणिज्यिक अंतर लाक्षणिक होता है।
- ज. एक्रिलिक वेस्ट में पूरी तरह से अलग-अलग विशिष्टियां होती हैं। उदाहरण के लिए (i) घटिया उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो प्रथम गुणवत्ता वाले उत्पादों को तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा नहीं करते हैं, (ii) गौण गुणवत्ता वाले उत्पाद उत्पादों का अनियमित मिश्रण होते हैं और रंग अथवा प्रसंस्करण की स्थिति से वर्गीकृत करने योग्य नहीं होते हैं।
- झ. एक्रिलिक वेस्ट से अच्छी गुणवत्ता के यार्न अथवा फेब्रिक्स का उत्पादन करना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, उनका गौण गुणवत्ता वाले कंबल (ब्लेकेट) का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्रिलिक वेस्ट का अंतिम उपयोग विचाराधीन उत्पाद से बहुत भिन्न होता है।
- ञ. यदि किसी अंतिम प्रयोगकर्ता को प्रथम गुणवत्ता के ग्रेड की आवश्यकता होगी, तो यह कम गुणवत्ता के ग्रेड के लिए उसका प्रतिस्थापन नहीं करेगा क्योंकि कम गुणवत्ता के ग्रेड से उक्त अंतिम प्रयोगकर्ता की विशिष्टियों एवं तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकेगा।
- ट. एक्रिलिक वेस्ट का मूल्य घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित प्रथम गुणवत्ता के ग्रेड से अथवा स्वयं पेरु के उत्पादक के द्वारा उत्पादित प्रथम गुणवत्ता के ग्रेड से काफी कम होती है।

- ठ. "चीन जन. गण., बेलारुस, यूक्रेन, ई.यू. और पेरु मूल के अथवा निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच" दिनांक 16.04.2018 के लिए अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने "100% एक्रिलोनिट्रिल वाले होमापॉलीमर एक्रिलिक फाइबर" को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों को स्वीकार किया।
- ड. घरेलू उद्योग ने 100% एक्रिलोनिट्रिल वाले होमापॉलीमर एक्रिलिक फाइबर का उत्पादन न करना अभी जारी रख रखा है तथा इसे वर्तमान जांच में भी विचाराधीन उत्पादन के कार्यक्षेत्र से बाहर रखना चाहिए।
- ढ. जिस उत्पाद का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है, ऐसे किसी भी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर करना कानून में एक निश्चित दृष्टिकोण एवं समानरूप प्रथा भी है।
- ण. एक्रिलिक फाइबर के आयातकर्ता इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने एक्रिलिक फाइबर के रूप में किसी प्रकार के एक्रिलिक फाइबर वेस्ट का कभी आयात नहीं किया था। डी जी सी आई एण्ड एस के अनुसार घरेलू उद्योग के द्वारा एक्रिलिक फाइबर का आयात यह दर्शाता है कि यूक्रेन और बेलारुस से एक्रिलिक वेस्ट का निर्यात पी ओ आई के दौरान शून्य था। पेरु से लगभग *** मी. टन का आयात भारतीय *** रु./कि.ग्रा. की दर से तथा जर्मनी से लगभग *** मी. टन का आयात भारतीय *** रु./कि.ग्रा. की दर से आयात देखा गया है। यह उस समय हुआ जब एक्रिलिक फाइबर का आयात मूल्य ई.यू. से भारतीय *** रु./कि.ग्रा और पेरु से भारतीय *** रु./कि.ग्रा था।
- त. भारतीय उद्योग यह मानता है कि वर्तमान मामले में क्षति मार्जिन नकारात्मक होगा और उनको यकीन है कि विचाराधीन उत्पाद में एक्रिलिक वेस्ट मिलाने से क्षति मार्जिन बढ़ जाएगा।
- थ. वेस्ट का आयात वर्षों से हो रहा है और किसी में पूर्व जांचों में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था।
- द. बेलारुस वस्तुतः सीमाशुल्क कोड 550130 के तहत सफेद एक्रिलिक टो की बहुत ही थोड़ी मात्रा की बिक्री करता है जो सामान्यतः "एक्रिलिक फाइबर" के लिए समान उत्पाद नहीं है।
- ध. नाइट्रोन-डी फाइबर की गठरी का वजन लगभग 200-300 कि.ग्रा. होता है। पहली किस्म के टो की किसी गठरी में घरेलू उद्योग की याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद का ब्यौरा नहीं दिया जा सका है। याचिका में विचाराधीन उत्पाद का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए।
- न. घरेलू उद्योग की याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद का ब्यौरा नहीं दिया है। याचिका में विचाराधीन उत्पाद के पूरे विवरण को शामिल करना चाहिए।
- प. ओएसजीसी नाफ्तान और घरेलू उद्योग की एक्रिलिक फाइबर विनिर्माण की प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के बीच में काफी अंतर है। इंडियन एक्रिलिक्स के द्वारा ड्यूपोण्ड कंपनी की ड्राई स्पिनिंग प्रक्रिया का उपयोग करता है तथा वर्धमान टैक्सटाइल्स लिमिटेड ने जापान एक्सलान की प्रक्रिया अर्थात् सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया। इससे लागत में अंतर आते हैं। केवल पशुपति, ऐसी प्रक्रिया का उपयोग करता है जो ओजेएससी अर्थात् एसएनआईए इटली के समान है। तथापि, किसी भी कंपनी ने स्वयं अपना समान फीडस्टॉक उत्पादन का ब्यौरा नहीं दिया है जो ओजेएससी के पास है। वे एक्रिलोनिट्रिल और मिथाइल एक्रिलेट को खरीदने का जोखिम और व्यय को वहन करते हैं।

ग.3. प्राधिकारी के द्वारा जांच

8. विचाराधीन उत्पाद सभी किस्म की एक्रिलिक फाइबर एक्रिलोनाइट्राइट युनिट्स (उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री) के भारांश के कम से कम 90% से बने सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला है। एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक स्टेपल, एक्रिलिक टो और एक्रिलिक टॉप शामिल हैं। अन्य शब्दों में, वाणिज्यिक बोलचाल की भाषा में एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो, और एक्रिलिक टॉप को एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है।
9. संबद्ध वस्तुओं को 4 अंकीय स्तर पर उपशीर्ष 5501, 5503, 5505 और 5506 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद को सीमाशुल्क के टैरिफ 55013000, 55033000, 55051010 और 55063000 के तहत शामिल किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और किसी प्रकार से जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

10. घरेलू उद्योग ने पीयूसी के क्षेत्र में एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट को शामिल किए जाने का अनुरोध किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट को निम्नलिखित व्यापक कारणों की वजह से विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं जाना चाहिए :
- क. आयातित एक्रिलिक फाइबर वेस्ट और घरेलू उत्पादित उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।
- ख. कम गुणवत्ता और सस्ते मूल्य की वजह से प्रथम ग्रेड एक्रिलिक फाइबर का एक्रिलिक फाइबर वेस्ट से प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है। एक्रिलिक फाइबर वेस्ट का लो एंड मर्च के लिए प्रयोग किया जाता है।
- ग. एक्रिलिक फाइबर वेस्ट और एक्रिलिक फाइबर उत्पादों के बीच में कोई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं है।
- घ. एक्रिलिक फाइबर वेस्ट और एक्रिलिक फाइबर उत्पादों के बीच तकनीकी अंतर है।
- ङ. गौण गुणवत्ता वाले उत्पाद उत्पादों का अनियमित मिश्रण होते हैं और रंग अथवा प्रसंस्करण की स्थिति से वर्गीकृत करने योग्य नहीं होते हैं।
- च. एक्रिलिक वेस्ट का मूल्य घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित प्रथम गुणवत्ता के ग्रेड से अथवा स्वयं पेरु के उत्पादक के द्वारा उत्पादित प्रथम गुणवत्ता के ग्रेड से काफी कम होती है।
11. समान वस्तुओं के संबंध में नियमावली के नियम 2 (घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:-
“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं हैं परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
12. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध अनुरोधों की जांच की है। घरेलू उद्योग ने प्राथमिक रूप से सभी प्रकार के एक्रिलिक फाइबर के पाटित आयातों के विरुद्ध राहत की मांग की है। एक्रिलिक फाइबर का प्राथमिक रूप से उपयोग स्वेटर, ट्रेक सूट, लाइनिंग आदि बनाने के लिए अपैरल उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग कालीन और फर्निशिंग फैब्रिक्स के उत्पादन में भी किया जाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट जिसमें अलग अलग तकनीकी और भौतिक विशेषताएं होती हैं का उपयोग एक्रिलिक फाइबर के साथ एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता है। एक्रिलिक फाइबर के अपशिष्ट का उपयोग निम्न गुणवत्ता वाले तकियों और दरियों के उत्पादन में एक्रिलिक आधारित चिपचिपा पदार्थों और पैंट के निर्माण आदि में किया जाता है। एक्रिलिक फाइबर की आवश्यकता एक्रिलिक फाइबर के अपशिष्ट के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट और एक्रिलिक फाइबर के अनुप्रयोगों, उपयोगों, भौतिक गुणों, प्रतिस्पर्धा के बाजारों और सीमाशुलक वर्गीकरण पूर्ण रूप से अलग हितबद्ध कि जैसा। हैं अलग-है गया किया खउल्ले द्वारा के पक्षकार, इन दो उत्पादों के बीच अंतर केवल गुणवत्ता का नहीं है। ऐसी स्थिति में, एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट को शामिल करने के लिए पीयूसी के क्षेत्र का विस्तार करना उपयुक्त नहीं होगा।
13. एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट के रूप में एक्रिलिक फाइबर की गलत घोषणा के द्वारा प्रवंचना की बड़ी हुई संभावनाओं के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयात किए गए उत्पादों का गलत वर्गीकरण वर्तमान जांच के क्षेत्र में नहीं आता है। एक्रिलिक फाइबर का आयात एक्रिलिक फाइबर के अपशिष्ट के रूप में किए जाने की स्थिति में विशिष्ट एजेंसियों को आयात किए गए वस्तुओं की गलत घोषणा के देखने को मामले के वर्गीकरण गलत/है गया दिया अधिकार लिए, उनसे संपर्क किया जा सकता है। यह उपयुक्त नहीं है कि गलत घोषणा किए गए आयातित वस्तुओं से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अलग उत्पाद को शामिल करने के लिए विचाराधीन क्षेत्र के उत्पाद के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाए। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट को शामिल न किया जाए।
14. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 100 प्रतिशत एक्रिलोनीट्राइल वाले होमोपालीमर एक्रिलिक फाइबर को बाहर किए जाने के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह एक स्वीकार किया गया सच है कि घरेलू उद्योग 100 प्रतिशत एक्रिलोनीट्राइल वाले होमोपालीमर एक्रिलिक फाइबर का निर्माण नहीं करते हैं। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से “100 प्रतिशत एक्रिलोनीट्राइल वाले होमोपालीमर एक्रिलिक फाइबर” को शामिल न किया जाए।
15. यह भी तर्क दिया गया है कि “व्हाइट एक्रिलिक टो” विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस संबंध में यह नोट किया है कि ऐसा कोई सुनिश्चित भौतिक लक्षण अथवा तकनीकी फर्क नहीं है जो इस उत्पाद को

विचाराधीन उत्पाद से भिन्न करता हो। प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र से "व्हाइट एक्रिलिक टो" को बाहर निकालने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं।

16. लिखित सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह समझते हैं कि भारतीय उद्योग की द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से निर्यात की गई वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विशिष्टियों, मूल्य, वितरण और विपणन, वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण जैसी उत्पाद विशेषताओं के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से आयात की गई वस्तुएं तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित एक्रिलिक फाइबर, आयात किए गए एक्रिलिक फाइबर से तकनीकी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय है। प्राधिकारी यह समझते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद, संबद्ध देशों से आयात किए गए संबद्ध विचाराधीन उत्पाद के लिए समान वस्तु है।

17. प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं:-

" एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक अपशिष्ट सहित सभी प्रकार के फाइबर शामिल हैं। एक्रिलिक फाइबर एक्रिलोनाइड्राइट युनिट्स (उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री) के भारांश के कम से कम 90% से बने सिंथेटिक पॉलीमर की एक लंबी शृंखला है। पद एक्रिलिक फाइबर में एक्रिलिक स्टेपल, एक्रिलिक टो और एक्रिलिक टॉप शामिल हैं। अन्य शब्दों में, वाणिज्यिक बोलचाल की भाषा में एक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एक्रिलिक टो, और एक्रिलिक टॉप को एक्रिलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है। संबद्ध वस्तुओं को 4 अंकीय स्तर पर उपशीर्ष 5501, 5503, 5505 और 5506 के तहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 55 के तहत वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद को सीमाशुल्क के टैरिफ 55013000, 55033000, 55051010 और 55063000 के तहत शामिल किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और किसी प्रकार से जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।"

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और स्थिति

घ.1. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र किए गए निवेदन

18. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और स्थिति के संबंध में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

क. जांच शुरुआत के लिए याचिका मैसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड, मैसर्स वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड (वीएएल) और मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड के द्वारा दायर की गई थी। देश में संबद्ध वस्तुओं का 100% भारतीय उत्पादन आवेदक कंपनियों के उत्पादन से बनता है क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।

ख. घरेलू उद्योग का नियम 2(ख) के अर्थ में पाटित वस्तुओं के संबद्ध देशों में किसी निर्यातक से संबंध नहीं है। आवेदकों ने कथित पाटित वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

ग. वीएएल को छोड़कर कोई भी आवेदक संबद्ध देशों में संबंधित उत्पाद के निर्यातकों अथवा भारत में आयातकर्ताओं से संबंध नहीं है। वीएएल संबद्ध देशों में निर्यातकों से संबंधित नहीं है अपितु संबंधित उत्पाद के आयातकर्ता अर्थात् वर्धमान टेक्सटाइल लि. से संबंधित है, जिसने एक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। संबंधित आयातकर्ता ने उत्पाद का सौदा नहीं किया है, अपितु कैप्टिव खपत के लिए इसका आयात किया है।

घ. संबंधित कंपनी के आयात भारतीय उत्पादन तथा भारतीय मांग का एक थोड़ा सा अनुपात ही बनते हैं।

ङ. वर्धमान एक्रिलिक लि. की संबंधित कंपनी के द्वारा आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, ताकि वर्धमान एक्रिलिक लि. को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानने के अधिकार से वंचित हो जाए।

च. वीएएल विचाराधीन उत्पाद का एक घरेलू उत्पादक है और उसकी हुई क्षति की वजह पाटनरोधी शुल्क की मांग करने का उसे अधिकार है।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदन

19. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र तथा स्थिति के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदन नीचे दिए अनुसार हैं:-

- क. यह माना गया है कि चूंकि वीएएल संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के एक आयातकर्ता से संबंधित है, इसलिए इसे घरेलू उद्योग के एक संघटक के रूप में नहीं मानना चाहिए।
- ख. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग में संपूर्ण घरेलू उत्पादक शामिल होते हैं जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में लगे हुए हैं अथवा ऐसे घरेलू उत्पादक शामिल होते हैं जिनका विचाराधीन उत्पाद के सामूहिक उत्पादन से विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन एक बड़ा भाग बनता है, सिवाए उनके, जो उत्पादक एक बड़ा भाग बनता है, सिवाए उनके, जो उत्पादक कथित पाटित विचाराधीन उत्पाद के निर्यातकों अथवा आयातकर्ताओं से संबंधित हों अथवा वे, जो स्वयं उसके आयातकर्ता हों।
- ग. विगत में वीएएल ने विचाराधीन उत्पाद का ही काफी मात्रा में आयात किया है।
- घ. यह माना गया है कि प्राधिकारी ऐसे किसी उत्पादक को शामिल करने का विवेकाधिकार होता है जो विचाराधीन उत्पाद का आयातकर्ता है अथवा विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देश के उत्पादक/आयातकर्ता से संबंधित हो। तथापि, यह माना गया है कि यह विवेकाधिकार स्वच्छंद नहीं है और यदि प्राधिकारी ऐसे विवेकाधिकार का उपयोग करने का चयन करता है तो ऐसा उचित प्रक्रिया एवं स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए करना चाहिए।
- ङ. यदि वर्धमान ने विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात किया है और यदि हो, तो कितनी राशि का आयात किया है, इस बारे में प्राधिकारी के द्वारा निर्धारण करना चाहिए। प्राधिकारी ने ऐसे उत्पादकों को अनुमति दी है जो सीमित अनुरोधों पर ही घरेलू उद्योग बनने के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयातकर्ता हैं जिनमें घरेलू उत्पादक के द्वारा किए गए आयात संबद्ध देशों से थोड़ी मात्रा थे अथवा जिनमें आयात उस समय अपर्याप्त थे जब कुल भारतीय उत्पादन की तुलना देश में कुल आयातों से की गई थी अथवा जिस समय आयात वास्तविक कारणों की वजह से किए गए थे अथवा जिस समय आयात असंबद्ध देशों से किए गए थे।
- च. यदि वर्धमान टेक्सटाइल लि. ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के नगण्य अथवा भारी मात्रा में आयात किये हैं तो प्राधिकारी द्वारा भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संदर्भ में तथा वर्धमान एक्रिलिक लि. के भारतीय उत्पादन और खपत तथा उत्पादन के संदर्भ में भी निर्धारण करना चाहिए।
- छ. प्राधिकारी के द्वारा घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र के भीतर वीएएल को शामिल करने के लिए जांच शुरुआत में पर्याप्त कारण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- ज. चीन जन.गण., बेलारूस, यूक्रेन, ई.यू. तथा पेरू से एक्रिलिक फाइबर के संबंध में सर्वाधिक हाल ही की जांच में मै. इण्डियन एक्रिलिक लि. और मै. पशुपति एक्रिलोन लि. से घरेलू उद्योग बना।
- झ. इन दोनों आवेदकों के द्वारा यह निवेदन किया गया था कि वीएएल "ई.यू. से विचाराधीन उत्पाद का एक नियमित आयातकर्ता है। वर्धमान एक्रिलिक लि. के द्वारा किए गए आयात बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये आयात अपने उपभोग के लिए नहीं हैं।"
- ञ. प्राधिकारी के द्वारा पीओआई में तथा वर्तमान जांच के पीओआई से पहली अवधियों में वर्धमान और इसके संबंधित आयातकर्ता के द्वारा किए गए आयातों की मात्रा और मूल्य के बारे में जांच करनी चाहिए। हम यह निवेदन करते हैं कि ऐसा कोई भी उत्पादक घरेलू उद्योग के एक घटक के रूप में पात्र नहीं होता है जो संबद्ध वस्तुओं का आयातकर्ता हो अथवा संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातकर्ता से संबंधित हो।
- ट. यह निवेदन किया गया है कि जिस उत्पादक ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है अथवा कथित पाटित मूल्यों पर संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातकर्ता से संबंधित हो, तो उसे घरेलू उद्योग के अन्य घटकों पर कथित क्षति पहुंचाने वाला कहा जा सकता है। साथ ही, कथित रूप से पाटित वस्तुओं की खरीद, उपयोग और बिक्री से लाभ लेकर कथित पाटन के किसी दुष्प्रभाव से अपने-आपको बचाया हो। ऐसे मामले में, प्राधिकारी के द्वारा (i) क्षति के लिए एक सहयोगी कारक के रूप में घरेलू उद्योग की स्थिति पर ऐसे आयातों के प्रभाव के बारे में विचार करना चाहिए तथा (ii) ऐसे आयातों को अपवर्जित कर दिया जाना चाहिए जो विचाराधीन आयातों की मात्रा से स्वयं प्रभावित हो।
- ठ. वर्ष 2018 में जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम में यह पाया गया था कि वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक बिक्री की लागत में वस्तुतः गिरावट हुई थी। तथापि, वर्तमान याचिका के आंकड़े वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक बिक्री की लागत में बढ़ोतरी को दर्शाते हैं।

- ड. पूर्व जांच में वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति यूनिट लाभ लगभग समान रहा। तथापि, वर्तमान याचिक के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 तक प्रति यूनिट लाभ 31 सूचकांक तक कम हो गया है।
- ढ. घरेलू उद्योग इसके संबंधित के आयातों, 'अच्छे आयातों' तथा अन्य के द्वारा किए गए आयातों को "खराब एवं हानिकारक" आयातों के रूप में कहता है।
- ण. घरेलू उद्योग के संबंधित के द्वारा किए गए आयातों से भारत में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में पर्याप्त हिस्सा बनेगा।
- त. पूर्व जांच में स्वयं वीएएल ने पीओआई (वर्ष 2016-17) में जर्मनी से लगभग *** मी.टन का आयात किया है।

घ.3. प्राधिकारी के द्वारा जांच

20. पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नानुसार परिभाषित है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

21. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में मै. एक्रिलिक लि., मै. पशुपति एक्रिलोन लि. और मै. वर्धमान एक्रिलिक्स लि. के द्वारा विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के रूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदकों के रूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदकों ने इस जांच की शुरुआत करने के लिए प्रासंगिक सूचना उपलब्ध करायी है।
22. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्धमान एक्रिलिक्स लि. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के एक आयातकर्ता मै. वर्धमान टेक्सटाइल्स लि. से संबंधित है। वर्धमान टेक्सटाइल्स लि. के द्वारा स्वयं अपने उत्पाद के संबंध में किए गए आयात, भारत में आयात और पीओआई के दौरान भारत में मांग का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

पैरामीटर	यूनिट	मात्रा	रेंज
संबद्ध देशों से कुल आयात	मी.टन	19,459	
अन्य देशों से कुल आयात	मी.टन	15,386	
मै. वर्धमान टेक्सटाइल्स लि. द्वारा के कुल आयात	मी.टन	***	
भारत में कुल आयात	मी.टन	34,846	
मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	मी.टन	96,765	
निम्नलिखित के बारे में मै. वर्धमान टेक्सटाइल्स लि. के द्वारा किए गए आयातों का हिस्सा प्रतिशत में :-			
संबद्ध देशों से भारत में आयात	%	28.5%	20-30%
वर्धमान एक्रिलिक्स लि. का उत्पादन.	%	***	20-30%
भारत में मांग	%	5.7%	0-10%

23. संबद्ध जांच की पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से कुल आयातों में संबद्ध वस्तुओं के आयातों का मै. वर्धमान टेक्सटाइल्स लि. का हिस्सा 20% से 30% तक होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण है। मै. वर्धमान टेक्सटाइल्स लि. के द्वारा किए गए आयातों के इस महत्वपूर्ण स्तर को ध्यान में रखते हुए, जो मै. वर्धमान एक्रिलिक्स लि. का एक संबद्ध पक्षकार है, प्राधिकारी वर्धमान एक्रिलिक्स लि. को घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में शामिल करने के लिए इसे उपयुक्त नहीं मानते हैं। इसलिए प्राधिकारी वर्धमान एक्रिलिक्स लि. को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर रखते हैं।

24. वर्धमान एक्रिलिक्स लि. के उत्पादन को छोड़कर इण्डियन एक्रिलिक्स और पशुपति एक्रिलोन का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100% है। उपरोक्त के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि मै. इण्डियन एक्रिलिक्स लि. और मै. पशुपति एक्रिलोन लि. समान उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का एक "बड़ा भाग" बनते हैं और वे नियमावली के नियम 5 के तहत "स्थिति" की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तथा नियमावली के नियम 2(ख) के संदर्भ में घरेलू उद्योग बनते हैं।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. गोपनीयता मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं हैं:

- क) ड्रालन जीएमबीएच द्वारा दर्ज की गई प्रश्नावली प्रतियुत्तर में सार्वजनिक स्रोतों जैसे निर्माता की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध जानकारी के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। हालाँकि, कंपनी ने अपनी वेबसाइट में चरणबद्ध उत्पादन प्रक्रिया के साथ-साथ एक फ्लोचार्ट भी प्रकाशित किया है। इसके प्रस्तुतिकरण में गोपनीय होने का दावा किया गया है। हालाँकि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर वार्षिक स्थापित क्षमता का भी प्रकटन किया है, प्रश्नावली प्रतियुत्तर में रुझानों में भी यही प्रदान किया गया है।
- ख) एसडीईएफ, पेरू ने प्राधिकारी के अभ्यास और प्रक्रिया की पूरी तरह से अवहेलना की है और व्यापार सूचना 10/2018 के प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित गोपनीय जानकारी का दावा किया है :
- घरेलू बाजार में माल के विपणन का चैनल
 - भारत के बाजार में वस्तुओं के विपणन का चैनल
 - उत्पाद का विवरण और विनिर्देश
 - भारत को निर्यात के लिए वितरण का चैनल
 - घरेलू बाजार में बिक्री के लिए वितरण का चैनल
 - बिक्री वार्ता प्रक्रिया
 - इनवाइस बनाने के बाद छूट / कटौती
 - बेचे जाने वाले उत्पादों की सूची
- ग) एसडीईएफ ने खंड एफ: घरेलू बिक्री और खंड जी: में उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादन की लागत पर सभी अनिवार्य प्रश्नों के लिए पूर्ण रूप से गोपनीयता का दावा किया है।
- घ) एसडीईएफ ने भी परिशिष्ट 1 में कोई जानकारी नहीं दी है: व्यापार सूचना द्वारा अनिवार्य रूप से रुझानों में प्रदर्शन पैरामीटर। इसने सभी विवरणों को गोपनीय बताया है और परिशिष्ट में कोई जानकारी नहीं दी है।
- ड.) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी जैसे कि संबंधित पक्षों से उत्पाद विवरण और इनपुट को भी एसडीईएफ द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- च) आवेदकों ने नियमावली के नियम 7 और निविदा सूचना सं 10/2018 दिनांक 7 सितम्बर, 2018 के अनुसार और आवेदन के अगोपनीय संस्करण में सभी आवश्यक जानकारी का प्रकटन किया है।
- छ) *स्टरलाइट इंडस्ट्रीज(इंडिया) लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी* के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नियम 7 के तहत गोपनीयता "स्वचालित रूप से मान ली गई" नहीं हो सकती। नियम 7 के तहत, प्राधिकारी को सामग्री की गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होना होगा। यहां तक कि अगर सामग्री गोपनीय है, तो प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों से पूछना होता है कि वे वहां अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें। नियम 7(3) के तहत, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि गोपनीयता अनुबद्ध नहीं है और यह कुछ मामलों में, उस जानकारी की अवहेलना कर सकते हैं।

- ज) उसी के संबंध में तर्क का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना है। एक मात्र कथन जो दर्शाता है कि "कानूनी दस्तावेजों का संक्षेपण संभव नहीं है" विधिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है।
- झ) यह व्यापार सूचना और नियमावली के नियम 7 के तहत एक आवश्यकता है कि आवेदन के अगोपनीय संस्करण के लिए गोपनीय आँकड़ों को अनुक्रमित और संक्षेप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ञ) गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के अर्थ को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए अगोपनीय सारांश में वृत्तित देना होता है। व्यापार नोटिस के पैरा (vi) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक गोपनीय संस्करण का बिना सार्थक गैर गोपनीय संस्करण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिको प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं लिया जाएगा।

ड.2. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध की किए गए हैं:

- क) हितबद्ध पक्षकारों की अनुरोध व्यापार सूचना 10/2018 के अनुरूप हैं।
- ख) आवेदकों ने लेन-देन वार आयात आँकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए लेन-देन वार आयात आँकड़े और उनके द्वारा उपयोग की गई कार्यप्रणाली प्रदान नहीं की है।
- ग) आवेदकों ने निम्नलिखित के लिए भी उपयुक्त जानकारी नहीं दी है:

विवरण	टिप्पणियाँ
व्यापक चरण-वार विनिर्माण प्रक्रिया पर समीक्षा	घरेलू उद्योग ने इस जानकारी के लिए संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी के रूप में दावा किया है और इस जानकारी के प्रकटीकरण से प्रतिस्पर्धियों को लाभ मिल सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह आवेदकों के दावे कि "विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई और याचिकाकर्ताओं द्वारा नियोजित उत्पादन प्रक्रिया के बीच कोई ठोस अंतर नहीं है" का विरोधाभासी है।
आवेदकों का विदेशी उत्पादकों / निर्यातकों / आयातकों / विषय वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के साथ संबंध, यदि कोई हो,	आवेदकों ने वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड और उसके संबंधित आयातक, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड के बीच संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आवेदकों ने वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड और वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड के बीच संबंध को स्पष्ट किए बिना केवल यह व्यक्त किया है कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं।
बिक्री मूल्य, मद सूची, उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में मद सूची, पीबीआईटी प्रति यूनिट - घरेलू बिक्री, ब्याज और कर पूर्व कुल लाभ - घरेलू प्रति यूनिट बिक्री प्राप्ति प्रति यूनिट बिक्री लागत- निर्यात निर्यात मूल्य / यूनिट	व्यापार सूचना के अनुपालन में नहीं।
पीयूसी, अनुसंधान एवं विकास, व्ययकी खरीद (मात्रा के साथ-साथ मूल्य) उठाई गई निधियों	आवेदकों ने याचिका के पेज 3 पर दिए गए सारणी में गोपनीयता के अपने दावे की न तो जानकारी दी है और न ही इसके लिए कोई कारण प्रदान किया है।

गैर-क्षतिकारक कीमत	आवेदकों ने याचिका के पेज 3 पर दिए गए सारणी में गोपनीयता के अपने दावे की न तो जानकारी दी है और न ही इसके लिए कोई कारण प्रदान किया है।
--------------------	--

- घ) गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के अर्थ को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए अगोपनीय सारांश में वृत्तित देना होता है। व्यापार नोटिस के पैरा (vi) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक गोपनीय संस्करण का बिना सार्थक गैर गोपनीय संस्करण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं लिया जाएगा।
- ड.) एसडीईएफ द्वारा दर्ज प्रश्नावली प्रतियुत्तर व्यापार नोटिस सं 10/2018 के प्रावधानों के अनुरूप है। उत्पादक ने गोपनीय जानकारी (जो कि प्रकृति में व्यावसाय सम्बंधी स्वामित्व के रूप में है अथवा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है) को प्रश्नावली प्रतियुत्तर के अगोपनीय प्रारूप में यथासंभव फिर से तैयार (जहां संक्षेप में संभव नहीं है) किया है। निर्माता ने अपनी अगोपनीय प्रश्नावली प्रतियुत्तर में कुछ सूचनाओं को गोपनीय बताने के लिए उचित कारण भी दिए हैं।
- च) एसडीईएफ ने प्रस्तुत किया है कि अनेक घरेलू उद्योगों द्वारा गोपनीयता पर लगाए गए आरोप, व्यापार सूचना सं 10/2018 के अनुसार निराधार हैं। उदाहरण के लिए, घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि उनके अगोपनीय प्रतियुत्तर में विपणन वस्तुओं के चैनल प्रदान नहीं किए गए हैं। विपणन के चैनलों से संबंधित जानकारी संवेदनशील और वाणिज्यिक स्वामित्व सम्बंधी जानकारी की मांग करती है और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। निर्माता को घरेलू बाजार में माल के विपणन का चैनल, भारत के बाजार में माल के विपणन का चैनल, उत्पाद का विवरण और विवरण, भारत को निर्यात के लिए वितरण का चैनल, घरेलू बाजार में बिक्री के लिए वितरण का चैनल, बिक्री वार्ता, पोस्ट इनवॉइस पश्चात कटौती / छूट और व्यापार नोटिस नं 10/2018 के तहत बेचे जाने वाले उत्पादों की सूची प्रदान करना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है।
- छ) एसडीईएफ द्वारा कंपनी की उत्पादन सुविधाओं, विगत तीन वित्तीय वर्षों में लेखांकन विधियों में परिवर्तन, कच्चे माल की सूची आदि की जानकारी प्रदान की गई है।
- ज) ड्रालोन जीएमबीएच प्रस्तुत करता है कि प्रश्नावली प्रतियुत्तर के एक भाग के रूप में दी गई उत्पादन प्रक्रिया सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध प्रक्रिया से अधिक विस्तृत है। वेबसाइट पर प्रकाशित उत्पादन प्रक्रिया प्रकृति में अधिक सामान्य है और इसे सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रश्नावली प्रतियुत्तर में जिस उत्पादन प्रक्रिया को शामिल किया गया है, उसमें व्यवसायिक संवेदनशील जानकारी शामिल है और इसका प्रकटन व्यापक रूप से जन सामान्य पर नहीं किया जा सकता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

28. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अगोपनीय संस्करण को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक फाइल के माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया, जिसमें विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय प्रारूप और विभिन्न पक्षकारों के बीच ई-मेल के माध्यम से भेजे गए प्रारूप भी शामिल थे।
29. गोपनीयता, जिस सीमा तक उन्हें माना गया हो, के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है और तदनुसार समाधान किया गया। प्राधिकारी ने स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए और इस बात पर बल दिया है कि नियमों के तहत गोपनीयता को स्वतः रूप से अपनाया नहीं किया जा सकता है, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों को विधिवत रूप से नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीय रूप से दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों जहाँ भी अनुबद्ध हो और ऐसी सूचनाओं को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया, को स्वीकार कर लिया है। जहाँ भी संभव हो, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दर्ज की गई जानकारी के पर्याप्त अगोपनीय प्रारूप प्रदान करने के लिए निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बताया है।

च. विविध अनुरोध

च.1. घरेलू उद्योग द्वारा की गई अनुरोध

30. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क) यह एक मूल जांच है और समीक्षा जांच नहीं है। घरेलू उद्योग के लिए कोई अत्यधिक सुरक्षा नहीं है। वास्तव में, पाटन रोधी शुल्क 'सुरक्षा' नहीं है। पाटन रोधी शुल्क अनुचित मूल्य निर्धारण का समाधान करने के लिए एक व्यापार उपचार संबंधी उपाय है। विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर ही पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है।
- ख) पिछली जांच के निष्कर्ष, वर्तमान जांच की संरचना में बेहतर नहीं हैं क्योंकि दोनों मामलों में पीओआई और घरेलू उद्योग की स्थिति भी अलग है।
- ग) एक स्वेटर में ऐंक्रेलिक फाइबर की अनुमानित लागत केवल 6% है। इसलिए, स्वेटर उद्योग की वृद्धि ऐंक्रेलिक फाइबर की कीमतों पर निर्भर नहीं हो सकती है।
- घ) क्षति की अवधि में हानि उठाने वाले उद्योग के निष्पादन में वास्तविक रूप से सुधार हुआ है।
- ड.) घरेलू उद्योग ने यह स्थापित किया है कि सम्बद्ध देशों के उत्पाद को पाटित करने से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। पॉलिएस्टर का योगदान कुल वस्त्रों का लगभग 45% (जहां पीटीए एक मूल इनपुट है) है, ऐंक्रेलिक फाइबर का योगदान कुल वस्त्रों में लगभग 1% है। दोनों व्यवसायों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अलग हैं।
- च) वर्तमान जांच विषय परिवर्तित शुल्क संरचना नहीं है। परिवर्तित शुल्क संरचना पाटन रोधी शुल्क नहीं लगाने का कारण नहीं हो सकता।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- क) प्राधिकारी ने पिछले 23 वर्षों में विभिन्न प्रकार के 'ऐंक्रेलिक फाइबर' पर कई व्यापार उपाय संबंधी जांच की है। यह नोट किया गया है कि 1997 के बाद से, प्राधिकारी ने सम्बद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है। ये शुल्क आज तक किसी न किसी रूप में और एक अथवा दूसरे सम्बद्ध देश के लिए लागू हैं।
- ख) अनेक जांच और समीक्षाओं के अलावा, यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि 2018 की नवीनतम जानकारी के अनुसार प्राधिकारी ने चीन जन.गण. सहित सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध आयात के संबंध में दो आवेदकों में से एक के दावे की जांच की है। निष्कर्ष के संबंध में, प्राधिकारी ने 16 अप्रैल 2018 को अंतिम जांच परिणाम जारी किया था।

और पाया कि इसमें आवेदकों अर्थात् मेसर्स. भारतीय एक्रेलिक लिमिटेड और मैसर्स पशुपति एक्रिलोन लिमिटेड को कोई सामग्री की क्षति नहीं हुई थी।

- ग) विभिन्न स्रोतों से (और विशेष रूप से यूरोपीय संघ से) विभिन्न प्रकार के ऐक्रेलिक फाइबर के आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली सामग्री की संबंधी हानि को पहले ही 23 साल के व्यापार सुधारात्मक उपायों से हटा दिया गया है, जिसकी पुष्टि प्राधिकारी द्वारा पिछली जांच में नकारात्मक जांच निष्कर्ष देते हुए भी की गई थी।
- घ) घरेलू उद्योग की हानि अत्यधिक रूप से दोषपूर्ण प्रतीत होती है और इसकी पुनः जांच की जानी चाहिए।
- ङ.) प्राधिकारी तब तक जांच आरम्भ नहीं कर सकते जब तक कि आवेदन में प्रदान किए गए सबूतों की सटीकता और पर्याप्तता की जांच नहीं कर लेते और स्वयं को संतुष्ट नहीं कर लेते हैं कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त प्रमाण हैं। जबकि घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य (जिसका पाटन पर असर पड़ता है) का निर्धारण करने के लिए एक आईएचएस रिपोर्ट पर विश्वास किया है, वहीं प्राधिकारी ने पहल के प्रयोजनों के लिए अपने सामान्य मूल्य निर्मित किए हैं। यह विशेष रूप से प्रतीत होता है कि प्राधिकारी सामान्य मूल्य के सम्बंध में घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में दिए गए साक्ष्य / आईएचएस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। ऐसे परिदृश्य में, प्राधिकारी को जांच की पहल आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जब आवेदकों द्वारा पाटन के लिए प्रदान की गई जानकारी / साक्ष्य की पर्याप्तता और सटीकता से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ऐसी पहल एडी नियमावली नियम के 5 और 6 का उल्लंघन करना है।
- च) एक्रिलिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर होते हैं और उनके के लिए एक अच्छा प्रतिस्थापन है तथा यार्न का मुख्य अंतिम उपयोग स्वेटर आदि में होता है। भारत में एक्रिलिक फाइबर के तीन प्रमुख उत्पादकों हैं जो 1500-2000 लोगों को सामूहिक रूप से नियुक्ति करते हैं। ये उत्पादक संगठित क्षेत्र में हैं और बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। भारत में लगभग 30-40 कताई मिलें हैं जो यार्न का उत्पादन करने वाले लगभग 15000 लोगों को रोजगार देती हैं जो अर्ध-संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। स्वेटर, शाल और अन्य उत्पाद निर्माताओं के कुल 7,500-10,000 (एमएसएमई और एसएमई) इकाइयाँ हैं और 10 लाख लोग को रोजगार देते हैं। ये क्षेत्र 1997-98 से पहले से ही पाटन रोधी शुल्क के कारण हानि उठा रहे हैं।
- छ) एक्रेलिक फाइबर को भारत में उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि स्वेटर उद्योग में अवसरों का लाभ पूर्ण रूप से उठाया जा सके। पाटन रोधी शुल्क के कारण यार्न की कीमतें अन्य एशियाई देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं और इसने निर्यात बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी के स्थान पर हानि उठाने वाले उद्योग बना दिया गया है। चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं।
- ज) अतिरिक्त पाटन रोधी शुल्क के आरोपण से पहले से ही लाभ अर्जित कर रही एक्रेलिक फाइबर उत्पादक को अत्यधिक लाभ देगी और यह राष्ट्रीय हित में होगा तथा ऐसे अतिरिक्त शुल्कों से हानि उठाने वाले उत्पादकों के हित, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।
- झ) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक्रेलिक फाइबर पर मौजूदा पाटन रोधी शुल्क को समाप्त करने और कोई भी पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित नहीं करने की सिफारिशों को भारत में एक्रेलिक फाइबर की पूरे मूल्य श्रृंखला की सुरक्षा के लिए समय की आवश्यकता है। इससे इस उच्च संभावित क्षेत्र के समग्र विकास में मदद मिलेगी और यह सार्वजनिक हित में होगा। हानि उठाने वाले उपयोगकर्ता अपने मूल्य वर्धित उत्पादों में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं और लाखों रोजगार के अवसरों और आजीविका के निर्माण में प्रतिस्पर्धी तरीके से मेक इन इंडिया आंदोलन में योगदान कर सकते हैं, बशर्ते प्रमुख इनपुट उचित मूल्य पर देश में उपलब्ध हो।
- ण) 90 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधार के बाद से, पेरू ने एक खुली अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है और उसे सुदृढ़ किया है तथा 53 देशों के साथ 19 व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किया है, और अभी भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है। पेरू और भारत के द्विपक्षीय संबंध, विश्वास पर आधारित हैं। पेरू सरकार को विश्वास है कि डीजीटीआर, डब्ल्यूटीओ के तहत अपने दायित्वों के पालन करते हुए जांच करेगा।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

32. हितवद्ध पक्षकारों के विवाद कि पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप से पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है।
33. प्राधिकारी मानते हैं कि पाटन रोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, पाटन रोधी उपायों से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटन रोधी उपायों को लागू करने से पाटन प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को दूर किया जाएगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा और सम्बद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक पसंद की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी उपायों को लागू करने से किसी भी तरह से देशों से होने वाले आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे, और इसलिए, अंतिम उपयोगकर्ता के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। अंतिम उपयोगकर्ता अभी भी आपूर्ति के दो या अधिक स्रोतों को बनाए रख सकता है। पाटन रोधी शुल्कों का उद्देश्य, सामान्य रूप से पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो कि सामान्य तौर पर है देश के हित में है। पाटन रोधी उपायों के लागू होने से उपभोक्ताओं के लिए सम्बद्ध वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
35. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए निरंतर शुल्क के विवाद के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर शुल्क लगाने अथवा विस्तारित किए जाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पाटन रोधी शुल्क को विस्तारित करने की विधिक आवश्यकता पूरी होने पर ही, केवल घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए शुल्क को बढ़ाया जाता है।
36. पेरू, बेलारूस, यूक्रेन, यूरोपीय संघ और चीन जन.गण., से एक्रिलिक फाइबर के आयात के विषय में दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को पिछले जांच में प्राधिकारी द्वारा जारी नकारात्मक निष्कर्ष के मुद्दे के विवाद के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक घरेलू उद्योग द्वारा एक ही उत्पाद के संबंध में पाटन रोधी जांच आरम्भ करने के लिए आवेदन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों जांचों में पीओआई अलग है, और तदनुसार घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है।
37. यह विवाद कि जांच आरम्भ करने का नोटिस एडी नियमावली के नियम 5 का उल्लंघन था, के सम्बंध में प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणों की समीक्षा के बाद ही जांच आरम्भ की गई थी। नियम 5 के तहत सभी आवश्यकताएं पूरी होने पर ही, प्राधिकारी द्वारा जांच आरम्भ की गई थी।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण**छ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

38. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) जिस कीमत पर एक्रिलिक अपशिष्ट को भारत में आयात किया गया है, वह भारतीय निर्माता द्वारा बेचे गए एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट की कीमत से 2-3 गुना अधिक है। सम्बद्ध देशों में उत्पादकों ने अपशिष्ट के लिए अच्छी फाइबर की कीमत का 60-80% शुल्क लिया है।
- ख) अच्छे फाइबर को एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट के रूप में भी सूचित किया गया है। इसकी पुष्टि इस यह तथ्य से होता है कि डीआरआई ने आयातकों से 25 करोड़ रुपए तक की वसूली की है। इसके संबंध में जानकारी की मांग की रामजी एक्रो, माईबाप एजेंसी, पैरामाउंट, जीआर फाइबर, पारसनाथ, और परागज्योति से जा सकती है।
- ग) आवेदकों ने आईएचएस रासायनिक रिपोर्ट के अनुसार सम्बद्ध देशों के इन क्षेत्र में प्रचलित वितरित आधार कीमतों, विधिवत समायोजित यानी अंतर्देशीय भाड़ा, सीमा शुल्क और बंदरगाह सम्बंधी खर्च के आधार पर देशों के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

घ) पहल के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी ने विधिवत समायोजित, और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ को जोड़ने के बाद उत्पादन की लागत के आधार पर निर्मित सामान्य लागत पर विचार किया है।

ड.) धारा 9 क (1) (ग) स्पष्ट रूप से एक पदानुक्रम के लिए प्रदान करता है, जो इस प्रकार है:

व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च) वाणिज्य मंत्रालय बनाम होल्डोर टोपसे के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य मूल्य निर्धारित करने का एक क्रम है। यदि स्वीकार्य सामग्री स्वयं निर्यातक देश में व्यापार के सामान्य अवस्था में तुलनीय कीमत में उपलब्ध है, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण उसी आधार पर ही किया जाना होता है। ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर ही, प्राधिकारी के पास एक विकल्प होता है कि वह तुलनात्मक प्रतिनिधि निर्यात मूल्य अथवा वस्तु की उत्पत्ति के देश में उत्पादन की लागत पर विचार करे।

छ) यह अनुरोध किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के संदर्भ में सम्बद्ध निर्यातक देशों में कीमत के संबंध में आईएचएस रिपोर्ट एक 'स्वीकार्य सामग्री' है। आईएचएस रिपोर्ट विश्वव्यापी आधार पर ऐतिहासिक और पूर्वानुमानित मूल्य प्रदान करती है। प्रत्येक माह, यह एक बाजार सारांश और बाजार सांख्यिकी के संदर्भ में परिशिष्ट प्रकाशित करता है। बाजार सारांश में वर्तमान बाजार की स्थिति के साथ-साथ मूल्य और मार्जिन इतिहास और पूर्वानुमान का विश्लेषण शामिल होता है। आईएचएस रिपोर्ट अधिकांशतः उच्च अनुभवी शोधकर्ताओं द्वारा पढ़ी जाती है। इसमें प्रकाशित आँकड़ों और जानकारी की प्रामाणिकता और उपयोगिता के लिए इसे मान्यता और विश्वसनीयता प्राप्त है। आईएचएस रिपोर्ट द्वारा रिपोर्ट की गई कीमत विभिन्न देशों / क्षेत्रों में घरेलू बाजारों में सम्बद्ध वस्तुओं की प्रचलित कीमतों का एक अच्छा संकेतक है।

ज) प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कई मामलों में कीमतों पर विचार उक्त साप्ताहिक और अन्य व्यापार पत्रिकाओं में प्रकाशित कीमतों के अनुसार किया है।

झ) जांच आरम्भ करने की सूचना में कहा गया है कि आवेदन का विधिवत दस्तावेजीकरण किया गया था और इसमें सभी सुसंगत जानकारी और साक्ष्य शामिल हैं। ऐसा होने के कारण, कीमतों पर जानकारी को अनदेखा करने और निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है।

ञ) प्राधिकारी को उत्पादन की वास्तविक लागत के संबंध में जानकारी नहीं थी। निर्मित सामान्य मूल्य का उपयोग यह दर्शाता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारतीय लागत संरचनाओं के आधार पर किया गया है।

ट) घरेलू उद्योग ने डीजीसीआई एण्ड एस से लेन-देन वार आयात सम्बंधी आंकड़े प्राप्त किया है और निर्यात मूल्य के लिए उस पर ही भरोसा किया है। यह नोट किया जा सकता है कि सीआईएफ स्तर पर निर्यात मूल्य की गणना की जाती है। पाटन रोधी और भारतीय नियमों पर डब्ल्यूटीओ करार के अनुसार, सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना व्यापार के समान स्तर पर की जानी चाहिए। इसलिए, निर्यात मूल्य को निम्नलिखित व्ययों के लिए समायोजित किया गया है, जो निर्यातक द्वारा भारत को सामग्री निर्यात करने के लिए व्यय किया गया हो:

- क. समुद्री माल भाड़ा
 - ख. समुद्री बीमा
 - ग. पत्तन संबंधी व्यय
 - घ. संभलाई शुल्क
 - ङ. बैंक प्रभार
 - च. छूट
- ठ) पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से ऊपर है, बल्कि प्रत्येक देश के लिए पर्याप्त है।
- ड) प्राधिकारी को प्रतियुत्तर देने वाले निर्यातक के आंकड़ों में दर्ज किए गए आंकड़ों की सटीकता और पर्याप्तता के आधार पर पाटन मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए है।
- ढ) उत्तर देने वाले निर्यातकों के निर्यात मूल्य में वृद्धि के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि उत्पाद के कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं जिसके कारण विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में सामान्य रूप से वृद्धि हुई है। हालांकि, आयात मूल्य में वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि निर्यातक विचाराधीन उत्पाद का पाटन नहीं कर रहा है।

छ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई अनुरोध

39. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध की गई हैं:

- क) प्राधिकारी को सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दर्ज प्रश्नावली प्रतियुत्तर पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है।
- ख) ऐक्रेलिक फाइबर अपशिष्ट के रूप में ऐक्रेलिक फाइबर के गलत वर्गीकरण का मुद्दा, जिसे डीआरआई द्वारा निपटाया जा रहा है, वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए असुसंगत है क्योंकि एडी नियमावली में प्राधिकारी को पाटन रोधी जांच में गलत वर्गीकरण / सीमा शुल्क मुद्दों का आकलन करने की अनुमति नहीं देता है। एंटी-डंपिंग जांच में विशेष रूप से, एडी नियमावली के तहत प्राधिकारी का विशेषाधिकार केवल सम्बद्ध देशों से ऐक्रेलिक फाइबर के पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करना है।
- ग) पिछली जांच में जांच की अवधि अप्रैल 2016- मार्च 2017 थी। फजीएमबीएच द्वारा भारत को निर्यात मूल्य में पिछली जांच के पीओआई की तुलना में मौजूदा पीओआई में काफी वृद्धि हुई है। यह उत्पादक द्वारा दर्ज प्रश्नावली प्रतियुत्तर और घरेलू उद्योग द्वारा दर्ज आवेदन में प्रदान किए गए आयात से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
- घ) जर्मनी सेसीआईएफ आयात कीमत, यूरोपीय संघ से आयात के औसत सीआईएफ मूल्य से अधिक है।
- ङ.) जर्मनी का सीआईएफ मूल्य पीयूसी के सभी देशों के आयात मूल्य से अधिक है जो जिसकी जांच इस वर्तमान जांच और अन्य समवर्ती जांच के तहत जांच की जा रही है।
- च) यूक्रेन एक पूर्ण विकसित बाजार अर्थव्यवस्था जहां निवेश, उत्पादन और माल और सेवाओं के वितरण पर कीमतों का निर्धारण और निर्णय, मांग और आपूर्ति के आधार पर लिया जाता है। यूक्रेन 16 मई 2008 को विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, और इसके परिग्रहण पर वर्किंग पार्टी रिपोर्ट ने उन सफल प्रयासों को स्वीकार किया जो यूक्रेन अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए किए हैं कि इसकी आर्थिक नीतियां बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप थीं।
- छ) यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, पाकिस्तान, तुर्की यूक्रेन को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानते हैं।
- ज) डब्ल्यूटीओ नियम बाजार अर्थव्यवस्था और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों के बीच अंतर नहीं करता है। विशेष रूप से, यह बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूटीओ सदस्यों को मिलने वाली आवश्यकताओं को निर्धारित नहीं करता है। विशिष्ट रूप से पाटन रोधी संरचना के संबंध के, गैट 1994 के अनुच्छेद VI और एंटी-डंपिंग करार में यह स्पष्ट आवश्यकता है कि पाटन होने का निर्धारण करने के लिए, उत्पादन देशों में जांच के तहत उत्पादों के सामान्य मूल्य और समान उत्पादों के निर्यात मूल्य के बीच तुलना की जाएगी।

- झ) विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के लिए अपने प्रोटोकॉल में विशिष्ट नियम बद्धता के अभाव में यूक्रेन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने का कोई आधार नहीं है। यूक्रेनी अर्थव्यवस्था पर किसी भी विचार के बावजूद, वहाँ कोई संभावित कानूनी आधार नहीं है जो डीए को संबंधित उत्पादों के सामान्य मूल्य की उपेक्षा करने की अनुमति दे सकता है। इस संबंध में, मानक कार्यप्रणाली में कोई भी विचलन होने से पाटन रोधी करार के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन होगा, और डब्ल्यूटीओ पैनल के समक्ष अंततः लागू किए गए पाटन रोधी उपायों और पाटन रोधी जांच को नियंत्रित करने वाले भारतीय नियमों की चुनौती का कारण बन सकता है।
- ज) यूक्रेन से आयात के संबंध में वर्तमान जांच के उद्भव के बावजूद, भारत में पाटनरोधी जांच के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के उपचार के संबंध में सुसंगत नियम बद्धता "ऐसा है", पाटन रोधी करार के अनुच्छेद 2.2 के साथ असंगत है, क्योंकि यह पूर्व धारणा के आधार कि ये देश की गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाएं हैं, डीए को अपने उत्पत्ति वाले देश में संबंधित उत्पादों की घरेलू कीमतों की उपेक्षा करने की अनुमति देता है।
- ट) भारतीय पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध I के अनुच्छेद 7 और 8 यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि डीए इस प्रकार कार्य करें जो भारत के विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों के अनुरूप हो। ऐसी स्थितियों जो ऊपर दिए गए विवरण में सीमित अपवाद में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, के लिये गैर-बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के क्षेत्र को विस्तार करने से (परिग्रहण के प्रोटोकॉल में अथवा गैट 1994 के अनुच्छेद VI के दूसरे विज्ञापन नोट की विशिष्ट भाषा में), पाटन रोधी करार के अनुच्छेद 2.4 "जैसे कि" का उल्लंघन करते हैं और उसे डब्ल्यूटीओ पैनल के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

40. सम्बद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली दर्ज की है :

- क. डालन जीएमबीएच, जर्मनी (निर्माता / निर्यातक) - यूरोपीय संघ
- ख. सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस एसए (निर्माता) - पेरू
- ग. ओपन ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी नैफ्टन, बेलारूस

छ. 3.1 सामान्य मूल्य

41. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, यथा संशोधित, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभों, जिसे उपधारा (6) के अंतर्गत बनायी गई नियमावली के अनुसार निर्धारित किया गया है, के लिए उचित जोड़ के साथ उद्गम देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

झ. यूरोपीय संघ से उत्पादक / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

डालन जीएमबीएच, जर्मनी (निर्यातक / उत्पादक)

42. निर्यातक से प्राप्त प्रश्नावली (ईक्यू) प्रतियुत्तर से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डालन जीएमबीएच जर्मनी में आधारित सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादक और निर्यातक है। डालन ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। ईक्यू प्रतियुत्तर में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान डालन ने असंबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन और संबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री

की है। संबंधित ग्राहकों ने उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए सम्बद्ध वस्तुओं का उपयोग किया है। ड्रालन की घरेलू बिक्री पर सामान्य व्यापार परीक्षण (80:20) से पता चलता है कि घरेलू बिक्री का 80% से कम मात्रा लाभदायक है। अतः, पीओआई में सम्बद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य, सम्बद्ध देश में लाभदायक घरेलू बिक्री का औसत मूल्य लेकर निर्धारित किया गया है। ड्रालन ने माल दुलाई, बीमा, पैकिंग लागत, कमीशन और ऋण लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद इसकी अनुमति दी है और इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य पाटन तालिका में दिखाया गया है।

II. पेरू से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस एसए, पेरू (निर्माता)

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पेरू से सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस एसए ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतियुत्तर दर्ज किया है। निर्यातक प्रश्नावली (ईक्यू) के प्रतियुत्तर से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस, पेरू सम्बद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। हालांकि, अनुवर्ती पैराओ में दिए गए कारणों की वजह से, सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस एसए के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, ईक्यू प्रतियुत्तर में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर नहीं किया गया है और एकीलोनी ट्रायल अर्थात् प्रमुख कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत के उपयोग के उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्माण किया गया है।

III. बेलारूस से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

ओपन ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी नैफ्टन

44. मैसर्स ओजेएससी नैफ्टन, सम्बद्ध वस्तुओं का एक निर्माता/निर्यातक है और उसने प्राधिकारी के समक्ष निर्यातक प्रश्नावली (ईक्यू) प्रतियुत्तर दर्ज किया है। प्राधिकारी ने मैसर्स ओजेएससी नैफ्टन से उनके द्वारा प्रस्तुत ईक्यू प्रतियुत्तर के डेस्क अध्ययन के लिए सुसंगत दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया। हालांकि, मैसर्स नैफ्टन ने डेस्क अध्ययन प्रक्रिया के लिए प्राधिकारी द्वारा अनुरोधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। मैसर्स ओजेएससी नैफ्टन द्वारा असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने मैसर्स नैफ्टन द्वारा दर्ज ईक्यू प्रतियुत्तर को स्वीकार करने में असमर्थ है और सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का अधिकार रखते हैं तथा नीचे दी गई तालिका में पाटन मार्जिन को दर्शाया गया है।

IV. यूक्रेन से उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूक्रेन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतियुत्तर दर्ज नहीं किया है। यूक्रेन के सभी उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग को देखते हुए प्राधिकारी ने नियम 6(8) में उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और उसे नीचे दी गई तालिका में पाटन मार्जिन को दर्शाया गया है।

छ.3.2. निर्यात मूल्य

I. यूरोपीय संघ से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण

ड्रालॉन जीएमबीएच (निर्माता/निर्यातक)

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ड्रालॉन जीएमबीएच ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सम्बद्ध वस्तुओं का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। ड्रालॉन ने समुद्र-माल दुलाई, बीमा, अंतर्देशीय माल दुलाई, बंदरगाह से संबंधित शुल्क, कमीशन, पैकिंग लागत और एक्स फैक्ट्री स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उचित सत्यापन के बाद ही इसकी अनुमति दी है। निर्धारित किए गए कारखानागत निर्यात मूल्य को नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

II. पेरू से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण

सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस एसए, पेरू (उत्पादक)

47. निर्यातक द्वारा दर्ज प्रतियुत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिक से अधिक भारत को किए गए 30% से अधिक का निर्यात का दुबई के व्यापारी अर्थात् मैसर्स लानास फाइबर्स लिमिटेड के माध्यम से किया गया है। मैसर्स लानास फ़िब्रस लिमिटेड ने सम्बद्ध जांच में अपना प्रतियुत्तर दर्ज नहीं किया है। अतः प्राधिकारी सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस के प्रतियुत्तर को स्वीकार नहीं करने का अधिकार रखते हैं क्योंकि भारत में किए गए निर्यात का एक महत्वपूर्ण भाग के लिए पूर्ण निर्यात श्रृंखला प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, सुदामेरिकाना डी फ़िब्रस के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

III. बेलारूस से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण

ओपन ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी नैफ्टन (बेलारूस)

48. जैसा कि उपर्युक्त में दर्शाया गया है, प्राधिकारी कंपनी द्वारा प्रस्तुत ईक्यू प्रतियुत्तर के लिए डेस्क सत्यापन के दौरान कंपनी द्वारा दिखाए गए असहयोग को ध्यान में रखते हुए ओपन ज्वाइंट-स्टॉक कंपनी नैफ्टन द्वारा दर्ज ईक्यू प्रतियुत्तर को स्वीकार करने में असमर्थ है। प्राधिकारी उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्यात मूल्य का निर्धारण करने का अधिकार रखते हैं और उसे नीचे दिए गए पाटन मार्जिन तालिका में इंगित किया गया है।

IV. यूक्रेन से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूक्रेन से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतियुत्तर दर्ज नहीं किया है। यूक्रेन के सभी उत्पादकों/निर्यातकों से असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्यात मूल्य का निर्धारण किया है और उसे नीचे दिए गए पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

V. यूरोपीय संघ से गैर- उत्पादक उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण

50. यूरोपीय संघ के अन्य उत्पादकों / निर्यातकों के लिए, निर्यात मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है इसके आधार पर पाटनमार्जिन को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन की गणना

51. उक्त सामान्य मूल्यों और निर्धारित निर्यातकी तुलना करते हुए पीओआई के दौरान सम्बद्ध देशों के लिए निर्धारित की गई पाटन मार्जिन इस प्रकार है:

पाटन मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य	एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		अम.डा / मीट्रिक टन	अम.डा / मीट्रिक टन	अम.डा / मीट्रिक टन	%	रेंज %
यूरोपीय संघ	ड्राउन जीएमबीएच	***	***	***	***	10-20
यूरोपीय संघ	बाकी सभी	***	***	***	***	30-40
यूक्रेन	सभी	***	***	***	***	20-30
पेरू	सभी	***	***	***	***	10-20
बेलोरूस	सभी	***	***	***	***	10-20

52. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन संबद्ध देशों से प्रत्येक सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों और असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन नियमों के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक थे।

ज. क्षति आकलन और कारणात्मक संबंध**ज.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आवेदन**

53. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के आकलन के संबंध में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

- क) अनुबंध-II के साथ पठित नियम-II किसी पाटनरोधी जांच के दौरान क्षति के निर्धारण को अभिशासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है। अनुबंध-II के पैराग्राफ (i) और (ii) में निम्नानुसार कहा गया है:-
- "(i) क्षति के निर्धारण में (क) पटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, और (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होती है।"
- (ii) पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय, उक्त अधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि पाटित आयातों में स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। "जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।"
- ख) घरेलू उद्योग ने पहले ही पाटन और क्षति के बीच पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध स्थापित करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी को संगत आंकड़ों/सूचना की आपूर्ति की है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य वर्तमान जांच के औचित्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।
- ग) संपूर्ण क्षति अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।
- घ) संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा पी ओ आई के दौरान भारत में कुल आयातों का 56% ठहरती है और आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में 17% की वृद्धि हुई है।
- ङ) देश में मांग और उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों के हिस्से में भी वृद्धि हुई है।
- च) थाईलैंड के निर्यातक भी भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं। प्राधिकारी थाईलैंड के विरुद्ध एक निर्णायक समीक्षा आयोजित कर रहे हैं।
- छ) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- ज) घरेलू उद्योग ह्रासात्मक प्रभाव का सामना कर रहा है। हालांकि, क्षति अवधि में उत्पादन की लागतों और बिक्री कीमतों में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था।
- झ) घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास हुआ है:-
- क. घरेलू उद्योग ने आर्थिक पी ओ आई के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की है,
- ख. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। हालांकि, पी ओ आई में उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, पी ओ आई में प्राप्त स्तर विगत में प्राप्त स्तरों की तुलना में फिर भी निम्न थे।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा किए जा रहे निर्यात केवल घरेलू बाजार में बिक्री करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता का परिणाम है।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही महत्वपूर्ण विपरीत बाजार स्थितियों और घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रतिस्पर्धाओं को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पाद के लिए बाजार सृजित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप कैप्टिव खपत में वृद्धि हुई है।

- ड. घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।
- च. जांच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट के साथ क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- छ. नकदी प्रवाह, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर आय में भी इस अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ज) इस अवधि में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है क्षति तृतीय देशों से आयातों के कारण नहीं है क्योंकि उन पर पाटनरोधी शुल्क लागू हैं या उनकी कीमत बहुत अधिक है। आधार वर्ष के बाद से मांग में वृद्धि हुई है। पी यू सी के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। अन्य उत्पादों का निष्पादन और निर्यातों का निष्पादन प्रासंगिक नहीं है क्योंकि आंकड़े पी यू सी के घरेलू निष्पादन से संबंधित है। कोई व्यापार प्रतिबंधित पैटर्न नहीं है। न ही खपत में पैटर्न में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है।
- ट) आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, निम्न आयात कीमतें घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को उत्पाद की लागत के समकक्ष रखने से रोक रही हैं। घरेलू उद्योग लागत वृद्धि की सीमा तक अपनी कीमतों में वृद्धि करने में असमर्थ हैं। अतः कीमत कटौती के कारण घरेलू बाजार में कीमत हास हुआ है।
- ठ) हालांकि, जबकि घरेलू उद्योग उप-इष्टतम कीमतें प्रस्तुत कर रहा है, फिर भी यह अपना बाजार हिस्सा खो रहा है। इस प्रकार, बाजार हिस्से में गिरावट संबद्ध देशों से पाटित आयातों का सीधा परिणाम है।
- ड) कीमत कटौती का परिणाम बिक्री कीमतों में गिरावट में हुआ है। प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, घरेलू उद्योग लाभों, नकद लाभों और आर ओ सी ई में गिरावट का सामना कर रहा है।
- ढ) ई.यू. से आयात कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती और कीमत से कम कीमत पर बिक्री कर रही हैं। ई.यू. से आयात भारत में कुल आयातों का 39% स्थापित करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यह नहीं कहा जा सकता कि ई.यू. से आयात घरेलू उद्योग के लिए कीमत दबाव का कारण नहीं है।
- ण) जहां तक एन एस आर का एन आई पी से उच्च होने का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि एन आई पी संगणना करने का उद्देश्य प्राथमिक रूप से क्षति मार्जिन की संगणना करना है अर्थात् परिकलित एन आई पी का उपयोग क्षति पर निष्कर्ष निकालना नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों का आधिक्य है जहां प्राधिकारी ने पाटन रोधी शुल्क लागू किया है अथवा पुनरीक्षा मामलों में विस्तारित पाटनरोधी शुल्क लागू किया है जहां एन आई पी, एन एस आई की तुलना में कम था।
- त) पीओआई के साथ 2016-17 के आंकड़ों की तुलना निम्नलिखित को दर्शाती है:-
- क. घरेलू उद्योग के लाभों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- ख. नकद लाभों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- ग. निवेशों पर आय में गिरावट आई है।
- थ) उत्पादन की औसत लागत में एक्रेलिक फाइबर के लिए कच्ची सामग्री के शुल्क मुक्त आयातों को भी शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकारी से इसके लिए समायोजन करने के पश्चात लाभ और आर ओ सी ई का निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है।
- द) दावा की गई क्षति घरेलू प्रचालनों के कारण है। घरेलू उद्योग ने घरेलू प्रचालनों के पृथक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और इसलिए निर्यात निष्पादन क्षति का कारण नहीं हो सकता।
- ध) घरेलू उद्योग द्वारा किए जा रहे निर्यात और कैप्टिव बिक्रियां केवल घरेलू बाजार में लाभप्रद रूप में बिक्री करने में घरेलू उद्योग की अक्षमता का परिणाम है।
- न) वार्षिक रिपोर्ट में सरकारी विवरण इस निष्कर्ष में कटौती नहीं कर सकते कि उत्पाद के पाटन ने घरेलू उद्योग को क्षति में अंशदान किया है।
- प) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गलत रूप से यह माना गया है उत्पाद का पाटन घरेलू उद्योग को क्षति का एकमात्र कारण होना चाहिए।

- फ) वार्षिक रिपोर्ट के विवरण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में ह्रास से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन से चिंचित है। प्राधिकारी का निर्णय सिर्फ पीओआई पर आधारित नहीं है।
- ब) प्राधिकारी घरेलू प्रचालनों से महत्वपूर्ण है, जबकि वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के समग्र प्रचालनों से संबंधित है।
- भ) प्राधिकारी पाटन के कारणों के बारे में चिंतित नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट पाटन के कारणों को बताती हैं। शेयरधारक और अन्य स्ट्रेकधारक न केवल वर्ष के दौरान के निष्पादन के बारे में जानना चाहते हैं बल्कि निष्पादन के कारणों में भी जानना चाहते हैं। सामान्य रूप से कंपनियां न केवल कारणों के बताने में रुचि रखती हैं बल्कि वार्षिक रिपोर्टों में इन व्यापार स्थितियों के कारणों को स्पष्ट करने का प्रयास भी करती हैं।
- म) वार्षिक रिपोर्टों में सूचिबद्ध कारक घरेलू उद्योग के निष्पादन के कुल स्तरों के संबंध में है।
- य) ऐसी स्थिति जहां घरेलू उद्योग प्रमुख कच्ची सामग्री के अनुरूप अपनी कीमतों को समकक्ष रखने में सक्षम नहीं है, को अनुबंध - II के तहत शामिल किया गया है जो यह बताता है कि क्या आयात बाजार के उत्पाद की कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं।
- कक) यह देखा जा सकता है कि कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण आयात कीमत में वृद्धि हुई है। जहां कच्ची सामग्री की कीमतों में 26-29% की सीमा तक वृद्धि हुई है, संबद्ध देशों से आयात कीमतों में केवल 30% की वृद्धि हुई है।
- खख) महत्वपूर्ण क्षति के अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि आयात महत्वपूर्ण क्षति का संकट उत्पन्न कर रहे हैं, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है:-
- क) पश्च पीओआई अवधि में संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में और वृद्धि हुई है।
- ख) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि पीओआई पश्चात अवधि में संबद्ध देशों के हिस्से में वृद्धि हुई है।
- ग) पीओआई पश्चात अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट आई है जो पाटित आयातों के साथ कारणात्मक संबंध और शुल्क लागू किए जाने की जरूरत को दर्शाता है।

ज.2. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

54. प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए क्षति और कारणात्मक संबंधों के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार है:-
- क) संभवतः आयातों के कारण घरेलू उद्योग को किसी क्षति का सामना नहीं करना पड़ा है।
- ख) प्राधिकारी ने चीन जन.गण., बेलारूस, यूक्रेन, ई.यू. और पेरु से पीयूसी के आयातों के संबंध में दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के अपनी अंतिम जांच परिणाम में नोट किया है कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। यह नोट इसलिए प्रासंगिक है कि इसमें क्षति अवधि यहां बताई गई क्षति अवधि को आच्छादित करता है।
- ग) पेरु से आयातों में न तो कुल रूप में अथवा न ही साक्षेप रूप में कोई वृद्धि हुई है। वास्तव में, पेरु से आयातों में पिछले वर्षों अर्थात् 2017-18 और 2016-17 की तुलना में गिरावट आई है।
- घ) जहां पी ओ आई में संबद्ध देशों से आयातों में कथित वृद्धि हुई है, वहीं घरेलू उद्योग के निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- ड.) संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है। अतः वर्तमान जांच में कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का कारण नहीं है। यह नोट किया जाना चाहिए कि पिछली जांच में पी ओ आई 2016-17 थी, जहां प्राधिकारी ने कोई क्षति नहीं पाई थी। कीमत ह्रास/न्यूनीकरण संबंधी आंकड़ों में कोई सुधार से केवल यह अर्थ निकाला जा सकता है कि कीमत क्षति में कमी जारी रहने वाली है।

- च) यहां यह नोट किया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग के लाभों में उतार-चढ़ाव हुआ है, हालांकि, क्षति अवधि में कीमत कटौती स्थिर रही है अतः यह इंगित करता है कि कथित आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन अथवा कीमतों के बीच कोई सह संबंध नहीं है।
- छ) 2016-17 और 2017-18 की तुलना में उत्पादन, बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य सहित आर्थिक मापदंडों ने पीओआई में सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है।
- ज) पिछले वर्षों की तुलना में पीओआई में घरेलू बिक्री मात्रा और बिक्री मूल्य में स्थिर रूप से वृद्धि हुई है।
- झ) पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग के उत्पाद में 11 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है। इंडियन एंफ्रेलिक की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट से भी यह देखा जा सकता है एंफ्रेलिक फाइबर के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- ञ) पिछले वर्षों की तुलना में पीओआई में वेतनों में भी वृद्धि हुई है।
- ट) ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग का ध्यान पी यू सी की कैप्टिव खपत पर केंद्रित है। ऐसी स्थिति में जबकि पीयूसी के आयातों पर शुल्क लागू किए गए हैं, यह भारत में पीयूसी का आपूर्ति संकट उत्पन्न करेगा।
- ठ) कुल मांग को निर्धारित करते समय घरेलू उद्योग ने पी यू सी की अपनी कैप्टिव खपत को शामिल नहीं किया है।
- ड) थाईलैंड से पी यू सी का आयात हुआ है जो भारत में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहा है। थाईलैंड से एंफ्रेलिक फाइबर के आयातों के संबंध पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा में, जांच की अवधि अप्रैल 2018 मार्च, 2019 है और क्षति अवधि 2015-16, 2016-17 और 2017-18 तथा अप्रैल, 2018 मार्च, 2019 है, जो पी ओ आई और वर्तमान जांच में क्षति अवधि के समान है। इसे ध्यान में रखते हुए, थाईलैंड से क्षति अवधि में पाटित आयातों के आधार पर और संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति की कमी, इस बात का साक्ष्य है कि क्षति, यदि कोई है, तो उसका सामना थाईलैंड से आयातों के कारण किया जा रहा है।
- ढ) जैसा कि आवेदकों की वार्षिक रिपोर्टों के संगत सारांशों से देखा जा सकता है, ऐसे विभिन्न कारक हैं जैसे एंफ्रीलोनीट्राइल में बाजार में (पी यू सी के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री), कच्चे तेल के बाजार में अस्थिरता के कारण उतार-चढ़ाव (एंफ्रीलोनीट्राइल कच्चे तेल का एक व्युत्पादन है), विमुद्रीकरण, जीएसटी और हल्की सर्दी, जिन्होंने पी यू सी बाजार में आवेदकों के निष्पादन को प्रभावित किया है। तदनुसार, संबद्ध देशों से आयात को आवेदकों को कथित क्षति का कारण नहीं बताया जा सकता।
- ण) 16 अप्रैल, 2018 को, प्राधिकारी ने चीन जन.गण., बेलारूस, यूक्रेन, ई.यू. और पेरु के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एंफ्रेलिक फाइबर' के आयातों के संबंध में एक नकारात्मक पाटनरोधी जांच जारी की। पिछली जांच में पीओआई अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017 थी। विभिन्न कारणों से पिछली जांच में किसी शुल्क की सिफारिश नहीं की गई थी। यह निवेदन किया गया है कि पिछली जांच (2016-17) की पिछले पी ओ आई से जारी जांच (2018-19) की पी ओ आई तक की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- त) पिछली जांच में, प्राधिकारी ने निर्धारित किया था कि पी ओ आई के दौरान ई.यू., यूक्रेन और चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी से अधिक है। इसलिए, संबद्ध देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग के लिए किसी प्रकार का कीमत ह्रास नहीं किया है। यह नोट किया जाना चाहिए कि केवल जर्मनी से आयातों के पहुंच मूल्य में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे घरेलू उद्योग पर किसी प्रकार के कीमत दबाव का कारण हैं। 2016-17 से वर्तमान पीओआई तक यूरोपियन आयातों की पहुंच कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। यदि ई.यू. से पहुंच कीमतों ने 2016-17 में घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है तो वे किसी भी प्रकार से वर्तमान पीओआई में घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंची सकती।
- थ) यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान जांच में पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति यूनिट बिक्री वसूली में वृद्धि हुई है। वास्तव में, 2016-17 के बाद से बिक्री कीमत के साथ तुलना किए जाने पर, बिक्री कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- द) घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में सुधार हुआ है। 2016-17 में अभिभावी आर्थिक मापदंडों की स्थिति के साथ तुलना किए जाने पर यह विशेष रूप से सही सिद्ध होता है।

- ध) प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग का आर ओ सी ई 2016-17 में 50-60% की रेंज में उच्च था। 2016-17 से, आर ओ सी ई वर्तमान जांच के पी ओ आई में केवल 14 सूचकांक बिंदु की गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि आर ओ सी ई अभी भी असाधारण रूप से उच्च है और 22% आय के उर्ध्वमुखी तक पहुंचेगा जिसे कि प्राधिकारी सामान्यतया पाटनरोधी जांचों में उचित समझते हैं। हमारे अनुमान के अनुसार, वर्तमान जांच के पी ओ आई के दौरान आर ओ सी ई के 35 – 45% की रेंज में रहने की संभावना है।
- न) वर्धमान एग्रेलिक्स लि. को शामिल किए जाने से लाभप्रदता और निष्पादन के रुझान में कमी आई है। ऐसे मामले में, इसके केवल एक घटक द्वारा वहन की जा रही क्षति के कारण "क्षति" के रूप में संपूर्ण घरेलू उद्योग का उपचार अनुचित है।
- प) आधार वर्ष 2015-16 के साथ आंकड़ों की तुलना गलत है, जबकि यह पहले से निर्धारित किया गया है कि उस अवधि में लाभप्रदता असाधारण थी और आर ओ सी ई 50-60% की रेंज में थी। यह निवेदन किया गया है कि लाभों में गिरावट अचानक और महत्वपूर्ण प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में इस पिछले अत्यधिक सामान्य लाभों के सामान्यीकरण का प्रतिबिंब है।
- फ) यह निवेदन है कि आवेदकों ने जानबूझकर आवेदकों की निर्यात कीमत से संबंधित किसी सूचना को संपादित/उपलब्ध नहीं कराया प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में, यह जानना संभव नहीं है कि क्या आवेदकों का निर्यात निष्पादन या घरेलू निष्पादन ही उनके क्षति का मूल कारण है।
- ब) घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन का एक बड़ा भाग का कैप्टिव खपत की ओर भी विपथन किया है। ऐसे उत्पादों का कीमत निर्धारण विचार किए जाने की मांग करता है। दिलचस्प रूप से, कैप्टिव रूप से खपत की गई वस्तुओं के बिक्री मूल्य से संबंधित आंकड़ों को प्रकट नहीं किया गया है।
- भ) यूक्रेन और पेरु के संबंध में कीमत कटौती और कीमत से कम कीमत पर बिक्री से संबंधित सूचना की तुलना के आधार पर, हम नोट करते हैं कि आवेदकों की बिक्री कीमत इसकी क्षतिरहित कीमत की तुलना में अधिक है। इसे इस तथ्य से आसानी से हटाया जा सकता है कि निवल बिक्री कीमत और पहुंच मूल्य (5-15% यूक्रेन के लिए और 10-20% पेरु के लिए) के बीच का अंतर क्षतिरहित कीमत और पहुंच मूल्य (0-10% यूक्रेन के लिए और 0-10% पेरु के लिए) के बीच के अंतर की तुलना में अधिक है।
- म) ई.यू. आयातों के लिए पहुंच मूल्य में *** भारतीय रुपए/मी.टन से *** भारतीय रुपए/मी.टन की वृद्धि हुई है, जो आधार वर्ष की तुलना में 31% की वृद्धि और 2016-17 की तुलना में लगभग 48% की वृद्धि है। यहां यह भी नोट करना संगत है कि दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने पाया है कि 2016-17 में ई.यू. कीमतें घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित थीं। चूंकि, कीमतों में उसके बाद ही ऐसी महत्वपूर्ण मात्रा में वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि अब भी ई.यू. से संबद्ध आयात क्षतिरहित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं।
- य) यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग की कीमतों ने अन्य गैर-संबद्ध देशों, विशेषकर थाईलैंड से आयातों की असंगत कीमतों के कारण कुछ संघात का सामना किया है। इस संबंध में तुर्की से आयातों की ओर देखना भी प्रासांगिक होगा।
- कक) वार्षिक रिपोर्ट इंगित करती है कि घरेलू उद्योग चीन में बढ़ी हुई क्षमताओं और इसके द्वारा बढ़े हुए तथा लगातार पाटन के कारण मुश्किलें का सामना कर रहा है। वार्षिक रिपोर्टों में ई.यू. से आयातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
- खख) यह तथ्य कि घरेलू उद्योग ने पी ओ आई के दौरान अपनी क्षमता में लगभग *** मी.टन को बढ़ाया है, घरेलू उद्योग की एक स्वस्थ स्थिति की ओर इंगित करता है। नए निवेश को शामिल किया जाना महत्वपूर्ण क्षति के अभाव का चिन्ह है और यह भी दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का इसके भविष्य के कारोबार के संबंध में सकारात्मक परिदृश्य है।
- गग) यह भी नोट किया जाना चाहिए कि एग्रेलिक फाइबर भारत में स्पिनरों की बड़ी संख्या के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है और अभी भी संबद्ध देशों से आयात भारतीय मांग का केवल 20% है और बाजार हिस्से का लगभग 65% अभी भी भारतीय उद्योग द्वारा धारित किया जाता है।
- घघ) कुछ विशेष लाभप्रदता मानदंडों में मामूली उतार-चढ़ाव घरेलू उद्योग के आंतरिक मुद्दों से संबंधित हैं, और किसी भी प्रकार से संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत द्वारा संचालित नहीं है जो वास्तव में पी ओ आई में 30% तक बढ़ी है।

- ड्ड) यह नोट किया जाना चाहिए कि संबद्ध देश से आयातों में आधार वर्ष में *** मी.टन से *** मी.टन तक वृद्धि *** रुपए/ कि.ग्रा. से *** रुपए/कि.ग्रा. तक लगभग 30% की कीमत के साथ संयुक्त है जो दर्शाता है कि आयातों में वृद्धि भारत में मांग आपूर्ति के असंतुलन के कारण थी न कि कीमतों के कारण।
- चच) घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण क्षति को संकट का आरोप लगाया है और इस संबंध में पी ओ आई पश्चात आंकड़े दायर किए हैं। इस संबंध में यह निवेदन किया गया है:-
- क. पेरु से आयात में 2017-18 और 2016-17 की तुलना में पी ओ आई में गिरावट आई है और पी ओ आई पश्चात अवधि में इसमें और कमी हुई है।
- ख. पी ओ आई की तुलना में पी ओ आई पश्चात अवधि में घरेलू उद्योग के लाभों में 30 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई।
- ग. पी ओ आई की तुलना में पी ओ आई पश्चात आंकड़े उत्पादन और क्षमता में वृद्धि की ओर संकेत करते हैं।
- छछ) महत्वपूर्ण क्षति और महत्वपूर्ण क्षति का खतरा दो भिन्न कानूनी मानक हैं। घरेलू उद्योग ने पूर्ण जांच की अवधि के दौरान "महत्वपूर्ण क्षति" का दावा किया है और न कि "महत्वपूर्ण क्षति" के खतरे का।
- जज) महत्वपूर्ण क्षति के खतरे को अटकलों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसे तथ्य आधारित होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्षति के खतरे को तभी स्थापित किया जा सकता है यदि घरेलू उद्योग यह स्थापित करे कि (क) आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है (ख) निर्यातक कंपनी में मुक्त रूप से निस्तारणीय और अनुपयोगित है (ग) आयात कीमतों का घरेलू कीमतों पर ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ा है, और वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है। घरेलू उद्योग ने ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जो अनुच्छेद -II द्वारा अपेक्षित है। प्रस्तुत मुद्दे की प्रासंगिकता पर किसी ठोस साक्ष्य या प्रासंगिकता के बिना अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं।
- झझ) किसी मूल जांच के मामले में पी ओ आई पश्चात आंकड़े संगत नहीं हैं। पी ओ आई पश्चात आंकड़ों पर प्राधिकारी द्वारा केवल निर्णायक समीक्षा में विचार किया गया है, जहां पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का निर्धारण किया जाना है। किसी जांच की गुंजाइश पी ओ आई तक सीमित है जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। इस मामले में पी ओ आई 2018-19 है। एक मूल पाटनरोधी जांच में पी ओ आई पश्चात दावे को अस्वीकृत करने की प्राधिकारी की लगातार प्रवृत्ति रही है।
- ञञ) यूक्रेन में एक्रेलिक फाइबर का कोई उत्पादन नहीं होता है। यूक्रेन से आयातों के संबंध में याचिका सूचना यूक्रेन के स्टेट स्टेटिक्स सर्विस के सरकारी आंकड़े के अनुरूप नहीं है। 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 में भारत में यूक्रेन द्वारा 550130, 55330 और 550630 के तहत कोई निर्यात नहीं किया गया।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

55. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया है और हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर भली-भांति विचार करने के पश्चात नियमों के अनुसरण में विभिन्न मापदंडों की जांच की है।
56. जैसा कि इस अंतिम जांच परिणाम के प्रासंगिक भाग में कहा गया है, इसके सहयोगियों में से एक के द्वारा किए गए आयातों की महत्वपूर्ण मात्रा के कारण वर्धमान एक्रेलिक लि. को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना गया है। इस जांच के प्रयोजनार्थ, मै. इंडियन एक्रिलिक लि. और मै. पशुपति एक्रिलॉन लि. कुल भारतीय उत्पादन का "प्रमुख भाग" स्थापित करते हैं और नियमावली के नियम 2(ख) की शर्तों में "घरेलू उद्योग" ठहरते हैं।
57. "महत्वपूर्ण क्षति के खतरे" का सामना करने के घरेलू उद्योग के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के तहत क्षति के तीन मानक हैं (i) महत्वपूर्ण क्षति (ii) महत्वपूर्ण क्षति का खतरा और (iii) महत्वपूर्ण मंदन।
58. प्राधिकारी द्वारा केवल पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के निर्धारण के लिए ए.डी. नियमावली के अंतर्गत जांच शुरुआत के समय यथारूप से अपनाए गए पी ओ आई और पी ओ आई पश्चात सूचना की जांच और विचार किए जाने की जरूरत है। किसी मूल जांच में पी ओ आई पश्चात आंकड़ों पर विचार न करने का प्राधिकारी का लगातार अभ्यास रहा है।

ज.3.1. संचयी निर्धारण

59. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में निम्नानुसार कहा गया है :

"(iii) यदि एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के हुए आयात की साथ-साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करेंगे जब वह यह निर्धारित करें कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में पुष्टिकृत पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात की मात्रा की 3 प्रतिशत से कम है वहां संयोजी रूप से आयात समान वस्तु के आयात के साथ सबसे अधिक बनता है तथा (ख) आयातित वस्तु एवं समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है।"

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि –

क) संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख) संबद्ध देशों से प्रत्येक से आयातों की मात्रा पृथक् रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।

ग) आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण इस प्रकार उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल आपस में बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

61. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी विचार करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन करना उचित होगा।

62. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में व्यवस्था की गई है कि क्षति निर्धारण में ऐसे तथ्यों की जांच भी शामिल होगी जो घरेलू उद्योग की ओर संकेत करते हैं "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में, यह जांच करना अनिवार्य समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक ह्रासित कर रहा है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित कर रहा है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II में विचार किया गया है।

63. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई और निम्नानुसार विचार किया गया है:-

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव**I. मांग/प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण**

64. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों, कैप्टिव खपत और सभी स्रोतों से आय के योग के रूप में भारतीय उत्पाद कैप्टिव खपत की मात्रा या स्पष्ट खपत पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचार किया है। इस प्रकार निर्धारित मांग दर्शाती है कि हालांकि क्षति अवधि के दौरान इसने गिरावट का सामना किया है, पी ओ आई में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है:-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
सूची बद्ध		100	78	79	85
घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत	मी.टन	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
सूची बद्ध		100	347	508	704
वर्धमान की विक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
सूची बद्ध		100	94	102	103
आयात					
बेलारुस	मी.टन	1,322	1,023	820	2,195
ई.यू.	मी.टन	12,187	9,350	11,233	13,592
पेरु	मी.टन	177	2,387	2,105	2,074
यूक्रेन	मी.टन	0	2,195	1,895	1,598
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	13,686	14,955	16,053	19,459
थाईलैंड-एसएसआर	मी.टन	13,670	10,747	8,336	8,797
कोरिया जन.गण. (एडीडी लागू है लेकिन कोई जांच आयोजित नहीं की जा रही है)	मी.टन	0	0	0	31
देश जिनमें एडीडी लागू है	मी.टन	13,670	10,747	8,336	8,797
अन्य देश	मी.टन	7,407	5,360	3,856	6,558
कुल आयात	मी.टन	34,763	31,062	28,244	34,846
कुल मांग (कैप्टिव सहित)	मी.टन	1,05,326	94,362	96,154	1,09,282

II. कुल रूप में संबद्ध देशों से आयात मात्रा

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से भारत में कुल रूप में या उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
आयात की मात्रा					
संबद्ध देश	मी.टन	13,686	14,955	16,053	19,459
देश जिनमें एडीडी लागू है	मी.टन	13,670	10,747	8,336	8,797
अन्य देश		7,407	5,360	3,856	6,589
कुल आयात	मी.टन	34,763	31,062	28,244	34,846
आयातों में बाजार का हिस्सा					
संबद्ध देश	%	39%	48%	57%	56%
देश जिनमें एडीडी लागू है	%	39%	35%	30%	25%
अन्य देश	%	22%	17%	13%	19%
कुल आयात		100%	100%	100%	100%

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
मांग (खपत सहित)	मी.टन	1,05,326	94,362	96,154	1,09,282
सूची बद्ध		100	90	91	104
भारतीय उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	91	85	96
के संबंध में आयात					
मांग (खपत सहित)	%	13%	16%	17%	18%
सूची बद्ध		100	122	128	137
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
सूची बद्ध		100	120	138	149

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों में आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान कुल रुप में साथ ही सापेक्ष रुप में वृद्धि हुई है।

III. बाजार हिस्सा

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी ओ आई में आधार वर्ष (2015-16) की तुलना में संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	47	47	49	49
सूचीबद्ध		100	98	103	103
वर्धमान	%	20	21	22	19
सूचीबद्ध		100	105	112	99
संबद्ध देश	%	13	16	17	18
देश जिन पर एडीडी शुल्क लागू है	%	13	11	9	8
अन्य देश	%	7	5	3	6
कुल	%	100	100	100	100

ज.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

68. कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा रुप से कीमतों में हास कर रहा है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित कर रहा है जो अन्यथा सामान्य अवधि में घटित हुआ होता। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कीमत से कम कीमत पर बिक्री, कीमत हास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली

(एन एस आर) और क्षति रहित कीमतों (एन आई पी) की संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

I. कीमत कटौती

69. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की संगणना करते समय, सभी करों, छूटों, रियायतों और कमीशन को घटाया गया है और पाटित आयातों की पहुंच मूल्य के साथ तुलना के लिए एक पूर्व कार्य निर्माण स्तर पर बिक्री वसूली का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, पी ओ आई में संबद्ध देशों से पाटित आयातों का कीमत कटौती प्रभाव निम्नानुसार तैयार किया गया है:-

विवरण- पीओआई	इकाई	बेलारुस	ई.यू.	पेरु	यूक्रेन
निवल बिक्री वसूली	रु./मी.टन	***	***	***	***
संबद्ध देश					
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	1,59,717	1,71,387	1,54,377	1,56,594
कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	0-10	10-20	10-20

70. उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से अंडरकटिंग की कीमत सकारात्मक है।

II. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण स्तर तक कीमतों में ह्रास करता है या कीमतों में वृद्धि को रोकता है जो सामान्य अवधि में घटित हुआ होता, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन की निम्नानुसार तुलना की गई है:-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	93	110	140
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	97	113	132
संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./मी.टन	1,28,902	1,09,982	1,37,591	1,67,602
सूचीबद्ध		100	85	107	130

72. उपर्युक्त सारणी से, यह देखा जा सकता है कि 2015-16 की तुलना में बिक्रियों की लागत में 40 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है लेकिन समान अवधि में केवल 32 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है, इसके परिणामस्वरूप कीमत ह्रास हुआ है।

III. कीमत से कम कीमत पर बिक्री

73. घरेलू को क्षति रहित कीमत (एन आई पी) को निर्धारित किया गया है और कीमत से कम कीमत पर बिक्री की सीमा पर पहुंचने के लिए विचाराधीन उत्पाद के पहुंच मूल्य के साथ इसकी तुलना की गई है। विचाराधीन उत्पाद के एन आई पी को नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर जांच की अवधि के लिए

उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित आंकड़े/सूचना अपना कर निर्धारित किया गया है। विश्लेषण दर्शाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम था:-

विवरण	इकाई	बेलारूस	ई.यू.	पेरू	यूक्रेन
क्षतिरहित कीमत	यूएस डॉलर/मी.टन	***	***	***	***
जांच की अवधि के दौरान आयातों का पहुंच मूल्य	यूएस डॉलर/मी.टन	2,255.26	2,420.04	2,179.85	2,211.16
कीमत से कम कीमत पर बिक्री	यूएस डॉलर/मी.टन	***	***	***	***
कीमत से कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***
कीमत से कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	0-10	ऋणात्मक	0-10	0-10

ज.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

74. नियमों के अनुबंध-II के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों के संबंध में पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं वास्तविक मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों के संबंध में यहां विचार किया गया है।

I. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

75. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां नीचे सारणी में दी गई हैं:-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	100	100	104
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	90	82	94
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	90	82	91
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	78	79	85
मांग (आवद्ध को छोड़कर)	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	85	84	93

76. उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि

- संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान क्षमता समान बनी रही है। पी ओ आई में इसमें मामूली सी वृद्धि हुई है।

- ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2016-17 और 2017-18 में गिरावट आई है। तथापि, पी ओ आई में इसमें दुबारा वृद्धि हुई है। पी ओ आई के दौरान उत्पादन अभी भी आधार वर्ष में उत्पादन की तुलना में कम है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग के लिए समान प्रवृत्ति को देखा जा सकता है।
- iii. घरेलू बिक्रियों में 2016-17 में गिरावट आई है और 2017-18 में यह स्थिर बनी रही। पी ओ आई में घरेलू बिक्रियों में मामूली वृद्धि बनी रही है।
- iv. पी ओ आई में 2016-17 और 2017-18 की तुलना में वृद्धि हुई है।

II. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

77. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
घरेलू बिक्रियों की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	93	110	140
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	97	113	132
प्रति इकाई लाभ/हानि	रु./मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	139	142	55
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	109	112	47
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	107	109	51
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	107	110	61
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	106	89	47

78. उपर्युक्त सारणी से यह नोट किया गया है कि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पी ओ आई में घरेलू उद्योग के पी बी आई टी, नकद लाभ, लाभ प्रति इकाई, कुल लाभ और आर ओ सी ई में गिरावट आई है।

III. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

79. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
रोजगार	सं.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	100	100	101
वेतन और मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	111	112	120

80. यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई में कर्मचारियों की संख्या में मामूली रूप से वृद्धि हुई है किंतु आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई में 20 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है।

IV. माल सूची

81. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पास माल सूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
औसत मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
सूचीवद्ध		100	121	149	111

82. यह नोट किया गया है कि आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल सूची में वृद्धि हुई है किंतु 2016-17 और 2017-18 की तुलना में कमी आई है।

V. वृद्धि

83. 2017-18 की तुलना में पी ओ आई के दौरान उद्योग की लाभ प्रदत्ता और आर ओ सी ई में ह्रास हुआ है। तथापि, 2017-18 की तुलना में पी ओ आई में अन्य पहलुओं जैसे उत्पादन, बिक्रियां, क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	पीओआई
उत्पादन	%	-10%	-9%	15%
बिक्री	%	-22%	0.3%	8%
क्षमता उपयोग	%	-10%	-9%	11%
प्रति इकाई लाभ/हानि	%	39%	3%	-61%
नियोजित पूंजी पर आय	%	3%	-15%	-48%
बाजार हिस्सा – घरेलू उद्योग	%	-2%	5%	0%

VI. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

84. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यदि शुल्क लागू नहीं किया जाता है तो याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में और अधिक गिरावट आएगी। इससे इसकी पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित होगी।

VII. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

85. घरेलू उद्योग बिक्रियों की लागत में वृद्धि के अनुरूप बिक्री कीमत में वृद्धि करने में समर्थ नहीं है। आयातों का महत्वपूर्ण कीमत प्रभाव निम्न कीमत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।

ज.3.5. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

86. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पादन के एन आई पी को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग के एन आई पी की क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए संबद्ध देशों में प्रत्येक की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है। एन आई पी को निर्धारित करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि में क्षमता उपयोग के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। पी ओ आई में उत्पादन को सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए परिकलित किया गया है और प्रति युनिट निर्धारित लागत पर पहुंचने के लिए समान उत्पादन पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभावित नहीं किया गया था। एन आई पी पर

पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व 22% की दर से) को अनुमति दी गई थी जैसा कि अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है और अनुसरित किया जा रहा है। इस प्रकार निर्धारित क्षति रहित कीमत की क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों के साथ तुलना की गई है:-

देश	उत्पादक	क्षति रहित कीमत	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		यूस \$/मी.टन	यूस \$/मी.टन	यूस \$/मी.टन	%	रेंज %
ई.यू.	डालोन जी एम बी एच	***	***	***	नकारात्मक	नकारात्मक
ई.यू.	अन्य सभी	***	***	***	***	0-10
यूक्रेन	सभी	***	2,211.16	***	***	0-10
पेरू	सभी	***	2,179.85	***	***	0-10
बेलारूस	सभी	***	2,255.26	***	***	0-10

ज.3.6 कारणात्मक संबंध

87. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा अन्य के साथ-साथ पाटित आयातों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच किया जाना भी जरूरी है, ताकि इन अन्य ज्ञात कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण हुई न माना जाए। इस संबंध में संगत माने जाने वाले कारकों में अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारक भी घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकते हैं।

I. तृतीय देशों से आयातों की मात्रा

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि असंबद्ध देशों (थाईलैंड के अतिरिक्त) से विचाराधीन उत्पाद के आयात महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं है। प्राधिकारी प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के संबंध में थाईलैंड के विरुद्ध एक समानांतर निर्णायक समीक्षा जांच आयोजित कर रहे हैं।

II. निर्यात निष्पादन और कैप्टिव खपत

89. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात और कैप्टिव खपत निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	पीओआई
घरेलू बिक्री मात्रा	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	78	79	85
कैप्टिव बिक्री मात्रा	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	347	508	704
निर्यात बिक्री मात्रा	मी.टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	85	61	80

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले वर्ष, साथ ही, आधार वर्ष के साथ तुलना किए जाने पर पी ओ आई के दौरान कैप्टिव बिक्रियों में तेजी से वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात बिक्रियां भी स्वरूप में उल्लेखनीय है।

III. प्रौद्योगिकी का विकास

91. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग को क्षति के कारण के रूप में प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है।

IV. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और बिक्रय किए जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण प्रतीत नहीं होता।

V. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और प्रतिस्पर्धा

93. विचाराधीन उत्पाद के आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है और ये देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। यह सुझाव देने के लिए हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

VI. मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

94. यह नोट किया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

VII. क्षति तथा कारणात्मक संबंधी निष्कर्ष

95. अतः प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं कि:-

- क) जांच की पूर्ण अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयातों में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से पी यू सी के आयात कुल रूप में 2015-16 में 13,686 मी.टन से बढ़कर पी ओ आई में यह 19,459 मी. टन हो गए।
- ख) भारत में निम्न कीमत वाले पाटित आयातों के कारण सकारात्मक कीमत कटौती/कम से कम कीमत पर बिक्री हुई है। भारत में आने वाले कम कीमत वाले पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास हुआ है।
- ग) पिछले वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- घ) कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां, प्रौद्योगिकी मुद्दे, उत्पादकता से संबंधित मुद्दे या ऐसा कोई कारक नहीं है जो घरेलू उद्योग द्वारा वहन की जा रही क्षति का कारण बने।
- ङ) पिछले वर्षों की तुलना में पी ओ आई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि हुई है। तदनुसार, मांग में गिरावट, घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- च) असंबद्ध देशों (थाईलैंड के अतिरिक्त) से आ रहे आयात मात्रा के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकें या उसके लिए संकट उत्पन्न कर सकें। प्राधिकारी प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के संबंध में थाईलैंड के विरुद्ध एक समानांतर निर्णायक समीक्षा जांच आयोजित कर रहे हैं।

झ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**झ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

96. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. संबद्ध देशों में प्रत्येक उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं।
- ख. ऐसी स्थिति में जहां घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सबसे पहले गिरावट आई और उसके बाद उसमें सुधार हुआ, लेकिन अभी भी वह पूर्व के स्तरों से नीचे था, यह अवश्यक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में वास्तव में गिरावट आई है।
- ग. यह अनुरोध किया जाता है कि बाजार हिस्से का निर्धारण कैप्टिव खपत को बाहर रखने के बाद किया जाए। कैप्टिव खपत प्रतिस्पर्धा के प्रतिकूल प्रभावों से अलग किया हुआ है और इस कारण से उसमें इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घ. जहां तक मर्चेन्ट बाजार का संबंध है, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट हुई है चाहे उसकी तुलना आधार वर्ष से की गई हो अथवा पिछले वर्ष से की गई हो।

- ड. बाजार हिस्से में गिरावट तब भी जब मांग में वृद्धि हुई, बिक्री की मात्राओं में बहुत अधिक गिरावट को देखते हुए अत्यधिक है, जबकि घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान 15 प्रतिशत तक गिरावट आई, बाजार हिस्से में 19 प्रतिशत तक गिरावट आई है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां घरेलू उद्योग को उत्पादन की हानि होगी और घाटा उठाने वाले निर्यात करने पड़े थे।
- च. मांग में वृद्धि क्षति की अवधि के दौरान हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है। इसके साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री को अभी भी बढ़ाने में सक्षम नहीं था।
- छ. वास्तव में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता का उपयोग, बाजार का हिस्सा आदि के मामले में खराब हुआ। विश्लेषण और निष्कर्ष को पिछले वर्ष से जांच की अवधि की तुलना करने तक सीमित नहीं रखा जा सकता है।
- ज. उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग और बाजार हिस्से जैसे मानदंडों में वृद्धि को भारत में संबद्ध देशों से आयातों और मांग की तुलना में देखे जाने की आवश्यकता है। जैसा कि पूर्व में अनुरोध किया गया है, जब भी घरेलू उद्योग की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री को बढ़ाने में अभी भी सक्षम नहीं था। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- झ. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे अत्यधिक गोपनीयता जिसके संबंध में उनके द्वारा दावा किया गया है, के कारण ड्रेलोन जीएमबीएच द्वारा दायर किए गए निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार कर दें।
- ञ. कानून के अंतर्गत कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जो प्राधिकारी को वास्तविक क्षति के खतरे के साथ वास्तविक क्षति की जांच करने से रोकता हो, यदि उसका परीक्षण जांच की शुरुआत के चरण में नहीं किया गया था।
- ट. घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए जा रहे निर्यात घरेलू बाजार में लाभप्रद रूप में बिक्री करने के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थता का परिणाम भी है।
- ठ. जहां तक कैप्टिव खपत का प्रश्न है, उनमें केवल इस कारण से वृद्धि हुई है कि कैप्टिव बाजार पाटन से अलग है। कैप्टिव खपत में वृद्धि और घरेलू बिक्री में गिरावट अपने आप में घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रतिकूल प्रभाव का सबसे बड़ा साक्ष्य है।
- ड. उत्पादन और क्षमता के उपयोग में गिरावट स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि घरेलू बिक्री में गिरावट कैप्टिव खपत में वृद्धि के कारण नहीं हुई है। इस प्रकार से, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में कैप्टिव और निर्यात बिक्री में वृद्धि के बावजूद (क) घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है (ख) जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री आधार वर्ष में हुई निर्यात बिक्री की तुलना में कम थी।
- ढ. कैप्टिव और निर्यात बिक्री में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की समग्र बिक्री में गिरावट आई है। इसके साथ ही घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण क्षति उठानी पड़ी है।
- ण. घरेलू उद्योग यू एस डॉलर प्रति कि.ग्रा. में व्यक्त पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा लगाए जाने का अनुरोध करता है।
- त. आवेदक का (1) क्या संबद्ध देशों में उत्पादकों ने उत्पादन किए गए और भारत को जांच की अवधि तथा क्षति की अवधि के दौरान निर्यात किए गए एक्रिलिक फाइबर के अपशिष्ट का ब्यौरा उपलब्ध कराया है और क्या वह यह दर्शाता है कि अपशिष्ट के लिए गए निर्यात की मात्रा आम तौर पर पाए जाने वाले अपशिष्ट के उत्पादन के स्तर के संबंध में उचित है (2) क्या सीआईएफ आयात कीमत का निर्धारण एक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट के आयातों को जोड़कर किया गया है (3) विदेशी उत्पादक द्वारा पूरक सूचना, यदि कोई हो, का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत किया गया है (4) खामियों से संबंधित अगोपनीय पाठ विदेशी उत्पादकों, यदि कोई हो, को जारी किया गया है (5) प्राधिकारी द्वारा सूचना की प्रति भेजी गई है और

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उत्तर की प्रति प्रस्तुत की गई है। (6) प्रत्युत्तर अनुरोधों की प्रति (7) सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ के अतिरिक्त प्रकटन का अनुरोध करता है।

झ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

- क. प्राधिकारी एसडीएफ के तर्कों की समुचित रूप से जांच करने में असफल रहे हैं कि भारत को निर्यात किए गए एक्कीलिक अपशिष्ट विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।
- ख. प्राधिकारी के आकलन की उत्पादों के बीच समानता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों की उपेक्षा की है।
- ग. एक्कीलिक अपशिष्ट का उत्पादन उसी प्रक्रिया का पालन नहीं करता है बल्कि यह एक्कीलिक फाइबर का निर्माण करने के लिए अलग-अलग प्रक्रिया के चरणों में विशिष्ट असफलता का एक परिणाम है।
- घ. एक्कीलिक अपशिष्ट और घरेलू उद्योग से उत्पादों में वजन, लंबाई, नमी, अवरोध, प्रसाधन की क्षमता और रंग के संदर्भ में अत्यधिक तकनीकी अंतर हैं। ये अंतर न केवल गुणवत्ता का प्रश्न हैं बल्कि वे इन उत्पादों के बीच गहरी तकनीकी और वाणिज्यिक अंतरों को दर्शाते हैं।
- ङ. घरेलू उद्योग ने अपने आप में यह सूचित किया है कि एक्कीलिक अपशिष्ट वर्तमान विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं है। एक्कीलिक अपशिष्ट एक्कीलिक फाइबर की तकनीकी विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है और पतलापन, परिस्कार, तनन अथवा लंबाई, वजन, सिकुड़न आदि विनिर्देशन हैं और उनका उपयोग उसी उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है जिस उद्देश्य से एक्कीलिक फाइबर के रूप में किया जा सकता है। इस कारण से वे घरेलू उद्योग के उत्पादों से तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।
- च. उत्पादक घरेलू उद्योग के क्षेत्र से वर्धमान को बाहर किए जाने से सहमत हैं और यह अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणामों में उसे बनाए रखें।
- छ. घरेलू उद्योग को मात्रा के रूप में कोई क्षति नहीं हुई है। पेरू से आयातों में क्षति की अवधि अर्थात् 2017-18 और 2016-17 के पूर्व वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में कमी आई है। प्राधिकारी को आधार वर्ष और जांच की अवधि की सामान्य तुलना के विपरीत क्षति की समग्र अवधि के संबंध में इन प्रवृत्तियों पर विचार करना चाहिए था।
- ज. यद्यपि, कीमत में कटौती क्षति की अवधि में स्थिर रही है, फिर भी घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन अथवा कीमतों के बीच कोई सह-संबंध न दर्शाते हुए विभिन्न आर्थिक मानदंडों के संबंध में सुधार हुआ है।
- झ. उत्पादन, बिक्री की मात्रा, मजदूरी और क्षमता सहित आर्थिक मानदंडों में 2016-17 और 2017-18 की तुलना में जांच की अवधि में सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शायी है।
- ञ. एसडीएफ ने कैप्टिव खपत को शामिल करने के लिए बाजार हिस्से की गणना करने का अनुरोध किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उठायी जा रही कथित क्षति और उससे संबंधित किसी कारणात्मक संबंध का निर्धारण करने के लिए उसके प्रभाव का कोई विश्लेषण नहीं किया है।
- ट. एसडीएफ ने यह सुझाव देते हुए घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों के संगत उद्धरणों से संबंधित स्वीकारोक्ति और संदर्भ की विस्तार से चर्चा नहीं की कि कच्चे तेल के बाजार में उतार-चढ़ाव (एक्कीलोनाइट्राइल कच्चे तेल का एक डेरिवेटिव है), विमौद्रीकरण, जीएसटी और माइल्ड विंटर के कारण एक्कीलोनाइट्राइल (पीयूसी के लिए एक प्रमुख कच्चा माल) बाजार में उतार-चढ़ाव जैसे कारकों का घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है।
- ठ. जब एक्कीलिक फाइबर का उत्पादन किया जाता है तब उत्पादन के भाग के रूप में अपशिष्ट पैदा होता है। एक्कीलिक फाइबर अपशिष्ट ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसे “उत्पाद” के रूप में कहा जा सकता है। इसकी कीमत इस प्रकार के अपशिष्ट के मांग पर निर्भर करता है। इस अपशिष्ट का अलग-अलग वर्गीकरण है और एक्कीलिक फाइबर की मूल उत्पाद लक्षणों को एक्कीलिक फाइबर के अपशिष्ट में नहीं देखा जा सकता है। अपशिष्ट का वास्तविक आयात एक्कीलिक फाइबर पर लागू किसी शुल्क के अध्यधीन

- नहीं होना चाहिए। आयातकों का एंक्रिलिक फाइबर अपशिष्ट के रूप में एंक्रिलिक फाइबर की गलत घोषणा को रोकने के लिए एक कदम के रूप में लेते हुए प्राधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है।
- ड. घरेलू उद्योग के भाग के रूप में वीएएल को अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव एक सकारात्मक कदम है। हालांकि केवल अयोग्य ठहराना ही पर्याप्त नहीं है। घरेलू उत्पादक द्वारा इस प्रकार के अत्यधिक आयातों के फलस्वरूप वर्तमान मामले को समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आयातों से किसी कथित क्षति स्वयं के कारण होती है।
- ढ. यह टिप्पणी कि पाटित आयातों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है, पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। सच यह है कि किसी भारतीय उत्पादक के संबंधित पक्षकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में आयातों के कारण इन आयातों में वृद्धि हुई है। यदि इस प्रकार के आयातों (कुल संबद्ध आयातों में लगभग 29 प्रतिशत) को समाप्त कर दिया जाता है तब आयात में बहुत अधिक गिरावट देखी जाएगी। प्रयोक्ता और आयातक को कुल मिलाकर आयातों में इस प्रकार की वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- ण. प्रकटन विवरण यह दर्शाता है कि कीमत में सकारात्मक कटौती, ह्रास और कम कीमत पर बिक्री हुई है। ऐसे मानदंडों को इस तथ्य के आलोक में नोट किया जाना चाहिए कि इन आयातों का लगभग 29 प्रतिशत एक भारतीय उत्पादक के संबंधित पक्षकार जो जांच की शुरुआत के समय एक याचिकाकर्ता थे, द्वारा किया गया था।
- त. संबद्ध देशों से कुल आयात जांच की अवधि के दौरान 19,459 मी.ट. थी जिसमें से 13,952 मी.ट. अथवा 70 प्रतिशत आयात यूरोपीय यूनियन से थे जिसके कारण कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव नहीं हुआ था। यह तर्कसंगत नहीं है कि पेरू, बेलारूस और यूक्रेन से कुल 5,867 मी.ट. आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- थ. प्रकटन संबंधी विवरण में आंकड़े किसी मात्रा अथवा कीमत की क्षति को नहीं दर्शाते हैं। जांच की अवधि के दौरान लाभ पर्याप्त रहा है। लाभ में गिरावट का कारण आयातों को नहीं माना जा सकता है। संबद्ध देशों से लगभग 70 प्रतिशत आयात भारत में हुए हैं लेकिन उसका कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव नहीं पड़ा है। संबद्ध देशों से लगभग 29 प्रतिशत आयात भारतीय उत्पादक के संबंधित पक्षकार, जो जांच की शुरुआत के समय एक याचिकाकर्ता थे, द्वारा किया गया था। भारतीय उत्पादक उनके द्वारा किए गए आयातों के नतीजों के लिए अन्य पर आरोप नहीं लगा सकते हैं।
- द. घरेलू उद्योग की कैप्टिव खपत में काफी हद तक वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को एंक्रिलिक फाइबर की बिक्री में “मार्जिन के दबाव” का सामना करना पड़ रहा है और डाउन स्ट्रीम उत्पादों में लाभ मिल रहा है।
- ध. कारणात्मक संबंध की जांच में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि संबद्ध देशों से लगभग 29 प्रतिशत आयात भारतीय उत्पाद के संबंधित पक्षकार जांच की शुरुआत के समय याचिकाकर्ता नहीं था, के द्वारा किया गया था।
- न. प्रयोक्ताओं की चिंताएं प्रकटन विवरण में बिना समाधान किए हुए रही हैं। प्रयोक्ता पहले से ही अन्य स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क के कारण अपूर्णनीय क्षति उठा रहे हैं।
- प. आगे कोई शुल्क लगाने से भारत में प्रयोक्ता हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। वर्तमान मामला इस मामले के तथ्यों में तथा काफी संख्या में प्रयोक्ताओं के व्यापक हित में किसी पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश नहीं करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।
- फ. यूक्रेन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यूक्रेन ने क्षति की जांच की अवधि और पाटन की जांच की अवधि (2015/16, 2016/17, 2017/18 तथा 2018/19) के दौरान भारत को पीयूसी का निर्यात नहीं किया।
- ब. यह स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से प्राधिकारी ने यूक्रेन के लिए पाटन मार्जिन की गणना की जो यूक्रेन से वास्तविक निर्यात की आपूर्ति के बिना निर्यात कीमत पर आधारित है और सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया था। हम प्राधिकारी की इस गणना को अवैध मानते हैं और इस कारण से उनकी गणना विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
- भ. “एंक्रिलिक” शब्दावली में एंक्रिलिक स्टेपल, एंक्रिलिक टो और एंक्रिलिक टॉप्स शामिल हैं। अन्य शब्दों में, एंक्रिलिक स्टेपल फाइबर, एंक्रिलिक टो और एंक्रिलिक टॉप्स का उल्लेख वाणिज्यिक रूप से

“एक्रीलिक फाइबर” के रूप में किया जाता है। बेलारूस सीमाशुल्क कोड 550130 के अंतर्गत कम मात्रा में अपरिष्कृत श्वेत (जो रंगा हुआ न हो) एक्रीलिक टो जो सामान्य तौर पर “एक्रीलिक फाइबर” की परिभाषा में समान उत्पाद नहीं है, की बिक्री करता है।

- म. उत्पादित नाइट्रन-डी फाइबर और ओजेएससी “नाफटान” द्वारा बेची गई नाइट्रन डी फाइबर की एक गांठ का वजन लगभग 200-230 किग्रा. है। प्रथम ग्रेड के टो में प्रति गांठ 2 से अधिक ब्रेक्स नहीं हो सकता है। साथ ही साथ प्रोसेसर ने टो जब यह टूट जाता है तक फिर से लोड करने के लिए, फिर से लोड करने के दौरान उपकरण डउन टाइम तथा अतिरिक्त प्रौद्योगिकीय रूकावटों के कारण उपकरण की उत्पादकता में कमी के कारण से अतिरिक्त लागत नहीं आती है।
- य. घरेलू उद्योग की याचिका में निर्मित उत्पादों के बारे में सूचना नहीं है। इस याचिका में जांच किए जा रहे उत्पाद का पूर्ण विवरण होना ही चाहिए।
- र. जेएससी “नाफटान” और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए जा रहे एक्रीलिक फाइबर का निर्माण करने की प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया में अधिक अंतर है। इंडियन एक्रीलिक ड्रॉपट कंपनी की ड्राई फोलिंग प्रक्रिया का उपयोग करता है और वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड जापानी एक्सलेन प्रक्रिया का उपयोग करता है जो सस्पेंशन पालीमराइजेशन है। इसके फलस्वरूप लागत में अंतर आता है। केवल पाशुपति जेएससी नाफटान की जैसी एक प्रक्रिया का उपयोग करता है जो एसएनआईए इटली है। हालांकि किसी भी कंपनी का उनका मोनोमर कच्चा माल का अपना उत्पादन नहीं है जो जेएससी नाफटान के पास है। वे एक्रीलोनीटाइल और मेथीलेक्रीलेट की खरीद आयात की गई वस्तुओं के रूप में उनके खतरे और लागत वहन करते हैं।
- कक. प्राधिकारी द्वारा ली गई अवधि एक्रीलिक फाइबर के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चे माल, एक्रीलोनीटाइल के लिए अधिकतम कीमतों के द्वारा दर्शाया गया था। कच्चे माल की कीमतों में इस प्रकार की वृद्धि बैकवर्ड एकीकरण के कारण जेएससी नाफटान के लिए एक समस्या नहीं थी।
- खख. घरेलू उद्योग को प्रश्नगत आयातों के द्वारा बल्कि एक्रीलोनीटाइल आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा हानि नहीं हुई थी।
- गग. एक्रीलोनीटाइल की कीमतों में अब (जांच की अवधि की बाद की अवधि में) 1300-1400 यूएस डॉलर प्रति टन सीएफआर से 900-930 यूएस डॉलर प्रति टन सीएफटी कमी आई है। यह घरेलू उद्योग को उत्पादन के खर्च को शामिल करने की अनुमति देगा और अच्छा लाभ अर्जित करने की अनुमति देगा।
- घघ. तुलनीय वस्तुओं का सामान्य मूल्य (रंगे हुए फाइबर की लागत को छोड़कर) भारतीय बाजार को निर्यात की कीमतों की तुलना में कम है।
- ड.ड. जब मेल के द्वारा फिजिकल प्रतियां भेजी जाती हैं तब इन दस्तावेजों को दो फोल्डरों में रखा गया था, एक फोल्डर जिसे लेखांकन संबंधी दस्तावेज थे और दूसरा जिसमें शिपिंग संबंधी दस्तावेज थे। बेलारूस में लेखांकन और दस्तावेजीकरण रूसी भाषा में बनाए रखा जाता है और अंग्रेजी में दस्तावेजों का अनुवाद इतने कम समय में संभव नहीं था।
- चच. घरेलू उद्योग को 2015-16 में आपवादित लाभ हो रहा था और आधार वर्ष के रूप में ऐसी आपवादिक समयावधि पर विचार करने से क्षति के समग्र विश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 2015-16 का आपवादित लाभ 2016-17 में और उसके बाद के वर्षों में सामान्यीकरण का अनुभव कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें बहुत अधिक हद तक गिरावट हो रही है।
- छछ. घरेलू उद्योग की लागत में जांच की अवधि के दौरान लगभग 1.5 गुना वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जबकि लागत की प्रवृत्ति 2017-18 तक वर्ष दर वर्ष मापी गई वृद्धि के दर्शाता है, फिर भी केवल जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत में अचानक उछाल आया है। जबकि यह समझा जाता है कि एक्रीलिक फाइबर के लिए कच्चे माल की कीमत में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होता है, घरेलू उद्योग के लिए लागत में वृद्धि जिसके संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है, असामान्य है और इसकी फिर से जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- जज. असंबद्ध स्रोतों से हो रहे आयात जो भारत में कुल आयातों का एक तिहाई है, जैसे थाइलैंड और उनकी जहां विशेषकर यूरोपीय यूनियन से आयातों की कीमत की तुलना में कीमतें आपवादिक रूप से बहुत कम हैं और असंबद्ध देशों से ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- झझ. घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत प्रकट नहीं की गई है और निर्यात बाजार में इन याचिकाकर्ताओं के कार्य निष्पादन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

जज. घरेलू उद्योग ने बहुत अधिक मात्रा में अपनी कैप्टिव खपत में वृद्धि की है और वे कीमतें जिन पर इन उत्पादों का गुप्त रूप से खपत की जा रही है, के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

टट. प्रतिवादी द्वारा किए गए आयातों के लिए परिकलित नकारात्मक क्षति मार्जिन और भारत द्वारा अपनाई जा रही कमतर शुल्क नियम को देखते हुए ड्रेलोन जीएमबीएच पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

97. प्राधिकारी ने पुनरावृत्तियों जिसकी पहले ही जांच इस जांच परिणामों के संगत पैराओं में उपयुक्त रूप से की गई है और उनका समाधान समुचित रूप से किया गया है, सहित इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियों/अनुरोधों की जांच की है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।
98. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एंक्रेलिक फाइबर के अपशिष्ट को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध अनुरोधों की फिर से जांच की है और इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में अपने जांच परिणामों को रिकॉर्ड किया है। प्राधिकारी इसे उचित मानते हैं कि इन उत्पादों के अंतिम उपयोगों, भौतिक विशेषताओं और सीमाशुल्क वर्गीकरणों में अंतरों के कारण विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में एंक्रेलिक फाइबर अपशिष्ट को शामिल न किया जाए।
99. वर्धमान के एक संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए आयातों के कारण स्वयं क्षति होने के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को स्वयं के कारण हुई क्षति के किसी संभावना का समाधान घरेलू उद्योग के भाग के रूप में वर्धमान को शामिल करते हुए किया गया है। क्षति का आकलन प्राधिकारी द्वारा दो अन्य घरेलू उत्पादकों के मानदंडों के आधार पर किया गया है।
100. घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के संबंध में इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी ने संगत मानदंडों की जांच की है और इन जांच परिणामों के संगत पैराओं में अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड किया है।
101. यूरोपीय यूनियन के आयातों के लिए परिकलित नकारात्मक कम कीमत पर बिक्री के कारण यूरोपीय यूनियन से आयातों के विरुद्ध इस जांच को समाप्त करने के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटन और क्षति के लिए अलग अलग मार्जिन की गणना सभी भाग लेने वाले निर्यातकों के लिए किया जाता है। उस स्थिति में जब नकारात्मक क्षति अथवा पाटन मार्जिन की गणना निर्यातक के लिए की जाती है तब उक्त निर्यातक पर भारत द्वारा अपनाई कमतर शुल्क नियम के आलोक में कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। सभी अन्य/असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों पर शुल्क का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाता है।
102. भारतीय आयात के आंकड़ों और यूक्रेन के निर्यात आंकड़ों के गलत मिलान के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसने इस जांच के उद्देश्य से डी जी सी आई एंड एस की आधिकारिक आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है।
103. बेलारूस से निर्यातक के असहयोग के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। यह नोट किया ही जाना चाहिए कि पाटनरोधी जांच एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और यह समयबद्ध है। अनेक समय विस्तार प्राधिकारी द्वारा जांच के प्रत्येक चरण में नहीं दिया जा सकता है। निर्यातक के असहयोग के कारण प्राधिकारी को निर्यातक के लिए अलग-अलग पाटन अथवा क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए अनुमति नहीं मिली थी।

ज. भारतीय उद्योग का हित

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक मुक्त और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना किसी भी प्रकार से संबद्ध देश/प्रक्षेत्र से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगा और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।
105. यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करने वाले विनिर्मित उत्पाद की कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पर पाटनरोधी उपायों से कमी नहीं आएगी, विशेषकर यदि पाटन रोधी शुल्क को लागू किया जाना घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए अनिवार्य राशि तक प्रतिबंधित है। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त किए गए

अनुचित लाभों को दूर करेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को नियंत्रित करेगा और संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं को विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।

ट. निष्कर्ष

106. किए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के संबंध में, जैसा कि उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकार्ड किए गए हैं और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:-

- क. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत को संबद्ध देशों से इसकी संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।
- ख. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।
- ग. वास्तविक क्षति घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ठ. सिफारिशें

107. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं के संबंध में सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था। इस नियमावली के अंतर्ग निर्धारित प्रावधानों के संबंध में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और उसे पूर्ण करने के बाद तथा इस प्रकार के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और सकारात्मक पाटन मार्जिन सिद्ध किए जाने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और क्षति के प्रभाव को कम करने के लिए अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर इसमें नीचे दिए गए तरीके से और रूप में पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
108. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के संबंध में प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, में जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर, जिसका विवरण शुल्क तालिका के कॉलम 3 में दिया गया है, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5501.3000, 5503.3000, 5506.3000*	एक्रीलिक फाइबर**	यूरोपीय यूनियन (ईयू)	यूरोपीय यूनियन सहित कोई भी देश	डारलेन जीएमबीएच	शून्य	यूएस \$	मी.ट.
2	-वही--	एक्रीलिक फाइबर**	यूरोपीय यूनियन	यूरोपीय यूनियन सहित कोई भी देश	ऊपर क्र.सं.1 पर उल्लिखित उत्पादक को छोड़कर कोई भी उत्पादक	212.98	यूएस \$	मी.ट.
3	-वही-	एक्रीलिक फाइबर**	यूरोपीय यूनियन, बेलारूस, पेरू और यूक्रेन को छोड़कर कोई भी देश	यूरोपीय यूनियन	कोई भी	212.98	यूएस \$	मी.ट.

4	-वही-	एक्रीलिक फाइबर**	बेलारूस	बेलारूस सहित कोई भी देश	कोई भी	114.97	यूएस \$	मी.ट.
5	-वही-	एक्रीलिक फाइबर**	यूरोपीय यूनियन, बेलारूस, पेरू और यूक्रेन को छोड़कर कोई भी देश	बेलारूस	कोई भी	114.97	यूएस \$	मी.ट.
6	-वही-	एक्रीलिक फाइबर**	पेरू	पेरू सहित कोई भी देश	कोई भी	190.38	यूएस \$	मी.ट.
7	-वही-	एक्रीलिक फाइबर**	यूरोपीय यूनियन, बेलारूस, पेरू और यूक्रेन को छोड़कर कोई भी देश	पेरू	कोई भी	190.38	यूएस \$	मी.ट.
8	-वही-	एक्रीलिक फाइबर**	यूक्रेन	यूक्रेन सहित कोई देश	कोई भी	159.07	यूएस \$	मी.ट.
9	-वही-	एक्रीलिक फाइबर**	यूरोपीय यूनियन, बेलारूस, पेरू और यूक्रेन को छोड़कर कोई भी देश	यूक्रेन	कोई भी	159.07	यूएस \$	मी.ट.

टिप्पणी – सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण पीयूसी के विवरण के अनुसार किया जाएगा। ऊपर उल्लिखित पीयूसी उपर्युक्त एडीडी के अध्यक्षीन होंगे चाहे वे किसी अन्य एच एस कोड के तहत आयातित किए गए हों।

**** टिप्पणी –** 100% एक्रीलोनी ट्रायल वाले होमोपॉलीमर एक्रीलिक फाइबर के अतिरिक्त सभी प्रकार के एक्रीलिक फाइबर एक्रीलोनीट्राइल इकाइयों (उत्पाद न के लिए प्रमुख कच्चा माल) के वजर से कम से कम 90 प्रतिशत से निर्मित सिंथेटिक पालीमर की एक लंबी श्रृंखला है। एक्रीलिक फाइबर शब्दावली में एक्रीलिक स्टेपल, एक्रीलिक टो और एक्रीलिक टॉप् शामिल है। अन्य शब्दों में, एक्रीलिक स्टेपल फाइबर, एक्रीलिक टो और एक्रीलिक टॉप् को वाणिज्यिक भाषा में एक्रीलिक फाइबर के रूप में जाना जाता है।

ड. आगे की प्रक्रिया

109. केंद्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील, जो इन जांच परिणामों के कारण उत्पन्न हो सकती है, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

बी. बी. स्वैन, विशेष सचिव एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 1st September, 2020

Case No. (OI) 18/2019

Subject:— Final Findings in anti-dumping investigation concerning imports of “Acrylic Fibre” originating in or exported from Belarus, European Union, Peru and Ukraine

F. No. 6/25/2019-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the “Rules”) thereof:

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as ‘Authority’) received a joint application dated 3rd September, 2019 from M/s Indian Acrylics Limited, M/s Pasupati Acrylon Limited and M/s Vardhman Acrylics Limited requesting initiation of anti-dumping duty (ADD) investigation under the Act and the Rules on imports of ‘Acrylic Fibre’, (hereinafter also referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’ or ‘PUC’) originating in or exported from Belarus, European Union, Peru and Ukraine (hereinafter referred to as ‘subject countries’).
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicants, issued a public notice vide Notification No. 6/25/2019 -DGTR dated 24th September, 2019, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the Subject Countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 24th September 2019 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known

importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.

- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules *supra*.
- e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- f. The Authority sent Exporters questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Montefibre Spa, Italy
 - ii. Acordis AG, Germany
 - iii. Markische Faser AG, Germany
 - iv. Pumica Trading Corp Ltd., Latvia
 - v. LUKOIL Company, Bulgaria
 - vi. International Rayon and Synthetic Fibres Committee, Belgium
 - vii. Dralon GmbH, Germany
 - viii. Neftokhim Petrochemical Complex, Bulgaria
 - ix. Polymir, Republic of Belarus
 - x. JSC Polymir, Republic of Belarus
- g. In response, the following exporters/producers from the subject countries filed exporter's questionnaire response:
 - i. Dralon GmbH, Germany
 - ii. Sudamericana De Fibras S.A., Peru (SDEF)
 - iii. OJSC, Naftan, Republic of Belarus
- h. The Authority sent Importer's/User's Questionnaires to the following known importers/users of product under consideration in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Rajasthan Spinning and Weaving Mills Ltd.
 - ii. Deepak Spinner Limited

-
- iii. Shiwaliya Dpg. And Wvg Mills (P) Ltd.
 - iv. Shiva Fabricator (P) Limited
 - v. Yogendra Worstedi Limited
 - vi. Banswara Syntex Limited
 - vii. Shital Fibres Limited
 - viii. Sportking India Limited
 - ix. Vardhman Spinning and General Mills
 - x. Malwa Cotton Spinning Mills Ltd.
 - xi. Deepak Spinner Limited
 - xii. Supreme Tex Mart Limited
 - xiii. Shree Rajasthan Syntex Limited
 - xiv. Ganga Acrowools Limited
 - xv. Arisudana Industries Limited
 - xvi. Texas Woollen Mills (P) Limited
 - xvii. Jindal Cotex Limited
 - xviii. Garg Acrylics Limited
 - xix. Indian Spinners' Association
 - xx. Ludhiana Spinners Association
- i. In response, the following importers/users have responded and filed importer's questionnaire response:
- i. Ganga Acrowools Ltd.
 - ii. Ganga Spinning and Weaving Mills Ltd
 - iii. Garg Acrylics Ltd.
 - iv. Lakshmi spinner
 - v. Longowalia yarns limited
 - vi. Luxmi Spinning mills pvt.ltd
 - vii. Oswal Woollen Mills Ltd
 - viii. Paramount Syntex Private Limited

- ix. Ramji Acro Limited
 - x. Sharman Woolen Mills Ltd
 - xi. Shiv Woolen Mills
 - xii. Shiwalya Spinning and weaving mills(p) ltd.
 - xiii. Shree Ganesh Acro Yarns Pvt. Ltd
 - xiv. Sportking India Limited
 - xv. Udey Udyog
 - xvi. Venus Texspin Ltd
- j. The Ludhiana Spinners Association, Northern India Textile Mills' Association and European Man-Made Fibres Association also made submissions during the course of the investigation which have been incorporated and duly addressed in these Final Findings.
- k. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file for inspection by interested parties.
- l. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of product under consideration for the past three years, and the period of investigation. The same was provided by DGCI&S to the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S transaction-wise data for computation of the volume of imports and other relevant analysis.
- m. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and cost to make & sell the product under consideration in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- n. Verification of the information provided by the Applicants, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present Final Findings.
- o. Verification of the information provided by the producers/exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and has been relied upon for the purpose of present final findings.
- p. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present anti-dumping investigation is from April 2018 to March 2019 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 and the POI.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 28th May, 2020. Subsequently, another oral hearing was held on 16th July, 2020 on account of change of the Designated Authority. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.

- r. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings.
- s. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority in this final findings.
- t. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- u. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the Final Findings on the basis of the facts available.
- v. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 21st August, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- w. *** in these Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- x. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$ 1 = ₹70.82.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 4. The product under consideration is Acrylic Fibre of all types (hereinafter referred as subject goods). Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile which is a major raw material for production of acrylic fibre. The term acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance.
- 5. Subject goods are classified under Chapter 55 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 5501, 5503 and 5506 at 4-digit level. The product is covered under tariff heading 55013000, 55033000 and 55063000 of the Customs Tariff. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

C.1. Submissions made by the Domestic Industry

- 6. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. The PUC in the present investigation is “*Acrylic Fibre of all types. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major*

raw material for production). The term acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance.”

- b. The PUC is classified under chapter 55 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 5501, 5503 and 5506 at 4-digit level. The product is covered under HS code 55013000, 55033000 and 55063000.
- c. There is no significant difference in goods produced by the domestic producers and the subject goods exported from the subject countries, and they are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The domestic producers produce like article to the PUC.
- d. There is no justification for exclusion of Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile and the domestic industry strongly objects to this request for exclusion. The domestic industry can produce and supply the product. It is the consumers who have preferred to import the material rather than asking the domestic industry to provide the material.
- e. Import of about 1500 MT Acrylic fibre waste has been reported from Peru alone. This implies excessive waste generation. India is the only dumping ground available to producers in subject countries to dump their waste production. The technology employed by producers in subject countries is the same as the technology employed by the domestic producers. The waste generation of domestic producers is much lower.

C.2.Submissions made by other interested parties

- 7. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:
 - a. Sudamerican De Fibras, a producer from Peru, has submitted that it does not export the PUC to India. The products produced and exported by the producer to India, i.e. synthetic waste or acrylic soft waste fall under the definition of “Acrylic Fibre Waste”, which is different from the defined scope of the PUC.
 - b. The products exported by the Peruvian producer fall under a different HS Code, i.e. 5505 with the heading “Waste (including noils, yarn waste, and garneted stock) of Man-Made Fibres”. The HS Code has not been covered in the product scope in the present investigation.
 - c. The HS Codes mentioned in the initiation are indicative only and the imposition of duty (if any) would be on the determined PUC. However, it is submitted that acrylic waste falls outside the scope of the PUC, as the products are technically distinct and are different products altogether from that of the PUC.
 - d. It is the consistent practice of the Authority to rely upon critical parameters while determining likeness between the imported products and the domestic industry’s product. Such critical parameters are: physical and chemical characteristics, product specifications, manufacturing process and production technology including plant and equipment, functions and end-uses, end-user requirement, end-user perception, distribution and marketing, technical and commercial substitutability.

- e. In a recent investigation, the Authority had specifically excluded certain grades from the scope of the investigation as the domestic industry did not show equivalence of its grades with the grades that were sought to be excluded by the exporters from the subject countries therein.
- f. There is technical difference in terms of weight, length, moisture, resistance, processability and colour between Acrylic Waste exported to India and Domestic Industry's Products.
- g. The difference between acrylic waste and the PUC is not of quality. The difference is symptomatic of deeper technical and commercial differences between these products.
- h. Acrylic Waste possesses completely different specifications. For example, (i) sub-standard product are those products which do not meet the technical specifications of first quality products; (ii) second quality products are irregular blend of products and not classifiable by colour, or processing condition etc.
- i. It is not possible to produce good quality yarns or fabrics with Acrylic Waste. From example, they are used to produce second quality blankets. The end-use of acrylic waste is very different from the PUC.
- j. If an end-user would require first quality grade, it would not substitute the same for a lower quality grade as the lower quality grade would not be able to fulfil the specifications and technical requirements of said end-user.
- k. The pricing of Acrylic Waste is much lower than the first quality grades produced by the domestic industry, or the first quality grades produced by the Peruvian Producer itself.
- l. In the Final Findings for '*Anti-Dumping investigation concerning imports of Acrylic Fibre, originating in or exported from China PR, Belarus, Ukraine, EU and Peru*' dated 16th April, 2018, the Authority accepted the submissions made by the interested parties with regard to the exclusion of "Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile" from the scope of the PUC.
- m. Domestic Industry still continues to not produce Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile and the same should be excluded from the scope of the PUC in the present investigation as well.
- n. It is a settled position of law and also the consistent practice of the Authority to exclude any product which is not being produced by the domestic industry from the scope of the PUC.
- o. The importers of acrylic fibre confirm that they never imported any acrylic fibre waste as acrylic fibre. The import of acrylic waste as per DGCI&S shared by the domestic industry shows that import of acrylic waste from Ukraine and Belarus was NIL during the POI. An import of about *** MT is seen from Peru at a rate of INR ***/kg and some *** MT from Germany at a price of INR ***/kg. This is when import of acrylic fibre from EU was at a price of INR ***/kg and INR ***/kg from Peru.
- p. The domestic industry understands that the injury margin shall be negative in the present case, and it believes that adding Acrylic Waste to the PUC will increase the injury margin.
- q. Imports of waste have been taking place for years, and no such contention was made in any of the previous investigations.

- r. Belarus sells really small volumes of white acrylic tow under Customs code 550130, which is not a like product to 'acrylic fibre' in general.
- s. Nitron-D Fibre bale weight is about 200-230 kg. The tow of the first sort may not have more than two breaks in a bale.
- t. The petition of the domestic industry failed to give details of the product manufactured by the domestic industry. A petition must include the complete description of the product under consideration.
- u. There are substantial differences in the technological process of acrylic fibre manufacturing between OSJC Naftan and the domestic industry. Indian Acrylics uses the dry spinning process of DuPont Company and Vardhman Textiles Ltd. used the process of Japan Exlan that is suspension polymerization process. This leads to difference in costs. Only Pasupati uses a process similar to OJSC, i.e. SNIA Italy. However, none of the companies have their own monomer feedstock production, which OJSC has. They bear the risks and expenses of purchasing acrylonitrile and methyl acrylate.

C.3.Examination by the Authority

- 8. The product under consideration is Acrylic Fibre of all types. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major raw material for production). The terms acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance.
- 9. Subject goods are classified under Chapter 55 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 5501, 5503, and 5506 at 4-digit level. The product is covered under Tariff Item 55013000, 55033000, and 55063000 of the Customs Tariff. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
- 10. The domestic industry has requested for inclusion of acrylic fibre waste within the scope of PUC. Other interested parties have made submissions that acrylic fibre waste should not be included the scope of the PUC on account of following broad reasons:
 - a. The imported acrylic fibre waste and domestic produced products are not like articles.
 - b. First grade acrylic fibre is not substitutable by acrylic fibre waste due to low quality and cheaper price. Acrylic fibre waste is used for low end items.
 - c. There is no direct competition between acrylic fibre waste and acrylic fibre products.
 - d. There are technical differences between acrylic fibre waste and acrylic fibre products.
 - e. Second quality products are irregular blend of products and not classifiable by colour, or processing condition.
 - f. The pricing of Acrylic Fibre Waste is much lower than the first quality grades as produced by the domestic industry.
- 11. With regard to like articles, Rule 2(d) of the Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence

of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.

12. The Authority has examined the submissions on record. The domestic industry has primarily asked for relief against dumped imports of Acrylic Fibre of all kinds. Acrylic fibre is primarily used in the apparel industry to make sweaters, tracksuits, linings, etc. It is also used in the production of carpets and furnishing fabrics. The Authority notes that acrylic fibre waste, having different technical and physical characteristics, cannot be used interchangeably with acrylic fibre. Acrylic fibre waste is used in the production of low quality pillows and mattresses, manufacturing of acrylic base adhesives and paints, etc. The need of acrylic fibre cannot be fulfilled by acrylic fibre waste. The Authority notes that the applications, uses, physical attributes, markets of competition, and customs classification of acrylic fibre waste and acrylic fibre are completely different. As pointed out by the interested parties, the difference between the two products is not merely that of quality. In such a situation, it would be inappropriate to expand the scope of the PUC to include acrylic fibre waste.
13. With regard to the increased chances of circumvention by way of misdeclaration of acrylic fibre as acrylic fibre waste, the Authority notes that mis-classification of imported products does not fall within the scope of the present investigation. In the event acrylic fibre is imported as acrylic fibre waste, the specialized agencies mandated to deal with such mis-declaration/ misclassification of imported goods can be approached. It is not appropriate to expand the scope of the PUC to include a separate product in order to protect the domestic industry from mis-declared imported goods. Therefore, the Authority holds to not include acrylic fibre waste within the scope of the PUC.
14. With regard to the exclusion of Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile from the scope of the PUC, the Authority notes that it is an admitted fact that the domestic industry does not manufacture Homopolymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile. Therefore, the Authority holds to exclude "Homo Polymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile" from the purview of the product under consideration.
15. It has also been argued that 'White Acrylic Tow' does not fall under the ambit of the PUC. In this regard, it is noted that there are no firm physical attributes or technical distinctions that differentiate this product from the PUC. The Authority holds not to exclude 'White Acrylic Tow' from the scope of PUC.
16. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference between the subject goods produced by the Indian industry and that exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject countries are comparable, in terms of product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Acrylic Fibre produced by the Domestic Industry is technically and commercially substitutable to the imported Acrylic Fibre. The Authority holds that the product under consideration produced by the applicant domestic industry is like article to the subject product under consideration imported from the subject countries.
17. The Authority defines the PUC as follows:

"Acrylic Fibre of all types, excluding Homo Polymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major raw material for production). The terms acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple

fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance. Subject goods are classified under Chapter 55 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 5501, 5503, and 5506 at 4-digit level. The product is covered under Tariff Item 55013000, 55033000 and 55063000 of the Customs Tariff. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.”

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1.Submissions made by the Domestic Industry

18. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:

- a. The petition for initiation of the investigation was filed by M/s Indian Acrylics Limited, M/s Vardhman Acrylics Limited (VAL) and M/s Pasupati Acrylon Ltd. The production of applicant companies constitutes 100% of Indian production of the subject goods in the country, as there are no other producers of the subject goods in India.
- b. The domestic industry is not related to any exporter in the subject countries of the dumped article within the meaning of Rule 2(b). The Applicants have not imported the alleged dumped article.
- c. Except for VAL, none of the applicants are related to exporters of product concerned in subject countries or importers in India. VAL is not related to the exporters in subject countries, but is related to importer of product concerned, i.e. Vardhman Textiles Limited, who has imported the subject goods from one of the subject countries. The related importer has not traded the product but has imported for captive consumption.
- d. The imports of the related company constitute only a small proportion of the Indian production and the Indian demand.
- e. The volume of imports by the related company of Vardhman Acrylic Limited is not significant so as to disentitle Vardhman Acrylic Limited from being treated as eligible domestic industry.
- f. VAL is a domestic producer of the PUC and has the right to seek an anti-dumping duty on account of the injury suffered by it.

D.2.Submission made by other interested parties

19. The submissions made by various interested parties with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:

- a. It is submitted that since VAL is related to an importer of the PUC from the subject countries, it should not be considered as a constituent of the domestic industry.
- b. According to Rule 2(b) of the AD Rules, a domestic industry includes domestic producers as a whole who are engaged in the production of PUC or domestic producers whose collective output of PUC constitutes a major proportion of total domestic production of the PUC, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped PUC or are themselves importers thereof.
- c. In the past, VAL has imported substantial quantities of the PUC itself.

- d. It is acknowledged that the Authority has the discretion to include any producer who is an importer or related to subject country producer/importer of the PUC. However, it is submitted that this discretion is not unfettered, and if the Authority chooses to exercise such discretion, it must do so in observance of due process and the principles of natural justice.
- e. The Authority must determine if Vardhman has made any imports of the PUC and if so, in what amounts. The Authority has allowed producers who are importers of PUC to constitute domestic industry only in limited instances wherein imports made by the domestic producer were in minor quantities from subject countries or wherein imports were insignificant when compared to the total Indian production and the total imports into the country or wherein imports were made for bonafide reasons or wherein imports were made from non-subject countries.
- f. The Authority must also determine if Vardhman Textile Limited has made negligible or substantial imports of the PUC from the subject countries in relation to imports of the PUC in India as well as in relation to Indian production & consumption and the production of Vardhman Acrylics Limited.
- g. The Authority should have provided sufficient reasons in the initiation for the inclusion of VAL within the scope of the domestic industry.
- h. In the most recent investigation with respect to Acrylic Fibres from China PR, Belarus, Ukraine, EU and Peru, the domestic industry constituted of M/s. Indian Acrylics Limited and M/s. Pasupati Acrylon Ltd.
- i. It was submitted by these two applicants that VAL was “*a regular importer of product under consideration from the EU. Imports made by Vardhman Acrylics Ltd. are quite significant and are not for self-consumption.*”
- j. The Authority must examine the volume and value of imports by Vardhman and its related importer in the POI and the periods preceding the POI of the current investigation. We submit that a producer who is an importer of the subject goods or is related to an importer of the subject goods does not qualify as a constituent of the domestic industry.
- k. It is submitted that a producer who has imported the subject goods or is related to an importer of the subject goods, at allegedly dumped prices, can be said to have inflicted the alleged injury upon the other constituents of the domestic industry. At the same time, it could have “shielded” itself from any ill-effects of the alleged dumping, by benefitting from the purchase, use and sale of the allegedly dumped goods. In such a case, the Authority must (i) consider the impact of such imports on the state of the domestic industry as a contributing factor to injury, as well as (ii) exclude such imports which are self-inflicted from the volume of imports under consideration.
- l. In the final finding issued in 2018, it was found that from 2015-16 to 2016-17, the cost of sales had actually decreased. However, the present petition data shows an increase in cost of sales from 2015-16 to 2016-17.
- m. In the previous investigation the Profit per unit remained almost same during the years 2015-16 and 2016-17. However, the present petition data shows that profit per unit has reduced by 31 indexed points from 2015-16 to 2016-17.

- n. Domestic Industry calls its affiliate's imports 'good imports' and imports by others are termed as 'bad and harmful' imports.
- o. The imports by the domestic industry's affiliate would constitute a substantial share in the total imports of the PUC from the subject countries into India.
- p. In the previous investigation, VAL itself had imported around *** MT from Germany in the POI (2016-17).

D.3. Examination by the Authority

20. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the “domestic industry” may be construed as referring the rest of the producers.

- 21. The Authority notes that the application in the present investigation has been filed by M/s. Indian Acrylic Limited, M/s Pasupati Acrylon Ltd. and M/s. Vardhman Acrylics Limited, as domestic producers of the product under consideration. The Applicants have provided relevant information for the initiation of this investigation.
- 22. The Authority notes that Vardhman Acrylics Limited is related to one of the importers of the PUC from the subject countries, i.e. M/s. Vardhman Textiles Ltd. Imports made by M/s. Vardhman Textiles Ltd. during POI in relation to their own production, imports into India and demand in India in the POI are as under:

Parameter	Unit	Volume	Range
Total Imports from subject countries	MT	19,459	
Total Imports from other countries	MT	15,386	
Total imports by M/s Vardhman Textiles Ltd.	MT	***	
Total imports into India	MT	34,846	
Demand (Excluding Captive)	MT	96,765	
Share of imports in % by M/s. Vardhman Textiles Ltd. with regard to:			
Imports into India from subject countries	%	28.5	20-30%
Production of Vardhman Acrylics Ltd.	%	***	20-30%
Demand in India	%	5.7	0-10%

- 23. In the POI of the subject investigation, M/s Vardhman Textiles Ltd.'s share of imports of the subject goods in the total imports from subject countries is quite significant being in the range of 20%-30%. In view of this significant level of imports made by M/s. Vardhman Textiles Ltd, which is a related party of M/s. Vardhman Acrylics Ltd., the Authority does not consider it appropriate to include Vardhman Acrylics Ltd. as a part of the Domestic Industry. The Authority, therefore, holds to exclude Vardhman Acrylics Ltd. from the scope of the Domestic Industry.
- 24. Indian Acrylics and Pasupati Acrylon account for 100% of the total Indian Production excluding production of Vardhman Acrylics Ltd. On the basis of the above, the Authority holds that M/s. Indian Acrylics Ltd. and M/s. Pasupati Acrylon Ltd. constitute a 'major proportion' of total Indian production of the like product and they satisfy the requirements of

‘standing’ under Rule 5 of the Rules and constitute ‘Domestic Industry’ in terms of Rule 2(b) of the Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the Domestic Industry

25. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:

- a. The exporter questionnaire response filed by Dralon GmbH claims excessive confidentiality with regard to information already available at public sources such as the website of the producer. The company on its website, has published the step by step detailed production process along with a flowchart. However, this has been claimed confidential in its submissions. The company has also disclosed the annual installed capacity on its website, however the same has been provided in trends in the questionnaire response.
- b. SDEF, Peru has completely disregarded the practice and procedure of the Authority and has claimed the following information as confidential, in excess to the provisions of the Trade Notice 10/2018:
 - i. Channel of marketing of goods in home market
 - ii. Channel of marketing of goods in India market
 - iii. Description and specification of product
 - iv. Channel of distribution for exports to India
 - v. Channel of distribution for sale in home market
 - vi. Sales Negotiation process
 - vii. Post invoicing discounts/rebates
 - viii. List of products sold
- c. SDEF has claimed complete confidentiality to all mandated questions in Section F: Domestic Sales and Section G: Information on production process and cost of production.
- d. SDEF has also not provided any information in the Appendix 1: Performance Parameters in trends as mandated by the Trade Notice. It has claimed all particulars as confidential and has not provided any information in the Appendix.
- e. Publicly available information has also been claimed confidential by SDEF, such as the product description and input from related parties.
- f. Applicants have disclosed all the essential information in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of Rules and Trade Notice no. 10/2018 dated 7th September, 2018.
- g. The decision of Supreme Court in *Sterlite Industries (India) LTD. v. Designated Authority* is relevant for the present case. The Hon’ble Supreme Court in Sterlite Industries case has

held that confidentiality under Rule 7 cannot be “automatically assumed”. Under Rule 7, the Authority has to be satisfied regarding the confidentiality of the material. Even if the material is confidential, the Authority has to ask the parties providing the information, on confidential basis, to furnish a non-confidential summary thereof. Under Rule 7(3), Authority can also come to the conclusion that confidentiality is not warranted and it may, in certain cases, disregard that information.

- h. A statement of reasoning with regard to the same is to be submitted. A mere statement which states “summarization of legal documents is not possible” cannot fulfil the legal requirement.
- i. It is a requirement under the trade notice and Rule 7 of the Rules that the non-confidential version of the Application is required to have confidential data indexed and summarized.
- j. The non-confidential summary is supposed to give details to permit a reasonable understanding of the substance of information furnished on confidential basis. Paragraph (vi) of Trade notice explicitly states that any submission made without a meaningful non-confidential version of the confidential version shall not be taken on record by the Authority.

E.2. Submissions made by other interested parties

26. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues

- a. Submissions of the interested parties are in consonance with the Trade Notice No. 10/2018.
- b. The Applicants have not provided the transaction wise import data and methodology relied upon by them to sort the transaction wise import data.
- c. The Applicants have also not provided appropriate information for the following:

Particulars	Comments
Write-up on broad stage-wise manufacturing process	Domestic Industry has claimed this information as business sensitive information and that the disclosure of this information could provide competitors with an advantage. It is submitted that the same is contradictory to the Applicants claim that “there is no material difference between production process followed by the foreign producers and that employed by the petitioners”.
Relationship, if any, of Applicants with Foreign Producers /Exporters/Importers/domestic producers of subject goods	The Applicants have not provided any information regarding the relationship between Vardhman Acrylics Limited and its related importer, Vardhman Textiles Ltd. The Applicants have merely stated that Vardhman Acrylics Limited and Vardhman Textiles Ltd are related without explaining the relationship.

Sales value, Inventory, Inventory as number of days of production, PBIT per unit – Domestic sales, Total profit before interest & tax – domestic Sales realization per Unit Cost of Sales per Unit- Export Export Price/Unit	Not in compliance with the Trade Notice.
Purchase (Qty. as well as Value) of PUC, R&D Expenses, Funds Raised	The Applicants have neither provided this information nor provided any reasons for their claim of confidentiality in the table at page 3 of the Petition.
Non-Injurious Price	The Applicants have neither provided this information nor provided any reasons for their claim of confidentiality in the table at page 3 of the Petition.

- d. The non-confidential summary is supposed to give details to permit a reasonable understanding of the substance of information furnished on confidential basis. Paragraph (vi) of Trade notice explicitly states that any submission made without a meaningful non-confidential version of confidential version shall not be taken on record by the Authority.
- e. The questionnaire response filed by SDEF is in line with the provisions of Trade Notice No. 10/2018. The Producer has redacted (where summarization is not possible) or summarized only the confidential information (which is business propriety in nature or not available in the public domain) to the extent possible in the non-confidential version of the questionnaire response. The Producer has also provided justifiable reasons for claiming certain information as confidential in its non-confidential questionnaire response.
- f. SDEF submits that several of the domestic industry's allegations on confidentiality are baseless as per Trade Notice no. 10/2018. For example, the domestic industry has alleged that the channels of marketing goods are not provided in their non-confidential response. The information pertaining to channels of marketing entails sensitive and proprietary commercial information and is not available in the public domain. The Producer is not mandated to provide channel of marketing of goods in home market, channel of marketing of goods in India market, description and specification of product, channel of distribution for exports to India, channel of distribution for sale in home market, sales negotiation process, post invoicing discounts/ rebates and list of products sold under Trade Notice no. 10/2018 as claimed by the domestic industry.

- g. The information on company's production facilities, change in accounting methods over last three financial years, list of raw materials etc. have been provided by SDEF.
- h. Dralon GmbH submits that the production process given as a part of the Questionnaire Response is much more detailed than the one available in public domain. The production process published on the website is more generic in nature and can be made public. The production process which has been incorporated in the Questionnaire Response includes business sensitive information and cannot be disclosed to the public at large.

E.3. Examination by the Authority

27. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

28. The Authority made non-confidential version of the information provided by various interested parties available to all interested parties for inspection through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties and also through e-mail communication between various parties.
29. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority has also duly noted the submissions made by interested parties citing the decision of the Hon'ble Supreme Court of India in the Sterlite Industries case and emphasizing the point that confidentiality under Rules cannot be automatically assumed. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made by the Domestic Industry

30. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a. This is an original investigation and not a review investigation. There is no excessive protection to the domestic industry. In fact, anti-dumping duty is not a 'protection'. Anti-dumping duty is a trade remedy measure to address unfair pricing. An anti-dumping duty can only be imposed when the legal requirements have been met.
- b. The findings of previous investigations do not hold good in the present investigation since the POI is different in both cases and also the situation of the domestic industry.
- c. The approximate cost of Acrylic Fibre in a sweater is only 6%. Therefore, the growth of sweater industry cannot be dependent on Acrylic Fibre prices.
- d. The performance of the downstream industry has in fact improved over the injury period.
- e. Domestic industry has established that dumping of the product from subject countries has caused injury to the domestic industry. Polyester constitutes about 45% of total textiles (where PTA is a basic input), acrylic fibre constitutes only about 1% of total textiles. The economics of the two business are totally different.
- f. Inverted duty structure is not the subject matter in the present investigation. An inverted duty structure cannot be a reason for non-imposition of anti-dumping duty.

F.2. Submissions made by other interested parties

31. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- a. The Authority has conducted many trade remedy investigations on different types of 'Acrylic Fibre' in the past 23 years. It is noted that since 1997, the Authority has recommended imposition of anti-dumping duties with respect to the subject goods. These duties have remained in force to date, in some form or the other and against one or the other subject country.
- b. Apart from the numerous investigations and reviews, it is also important to note that the Authority has investigated a claim from two of the applicants concerning the imports of the subject good from the subject countries, along with China PR as latest at 2018. Upon conclusion, the Authority had issued Final Findings dated 16 April 2018 and found that there was no material injury to the applicants therein, i.e., M/s. Indian Acrylics Ltd. and M/s. Pasupati Acrylon Ltd.
- c. Material injury caused to the domestic industry due to imports of different types of Acrylic Fibre from various sources (and particularly from the European Union) has already been remedied over 23 years of trade remedial measures, which was also affirmed by the Authority, by giving a negative finding in the previous investigation.
- d. The injury of the domestic industry appears to be deeply flawed and must be re-examined.
- e. The Authority is not supposed to initiate an investigation unless it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding dumping, injury and causal link. While the domestic industry

has relied upon an IHS report for determining the normal value (which has a bearing on dumping), the Authority has constructed its own normal value for the purposes of initiation. It particularly appears that the Authority was not satisfied with the evidence / IHS report placed on record by the domestic industry on normal value. In such a scenario, the Authority ought to have not proceeded with the initiation of investigation when it was not satisfied with the adequacy and accuracy of information / evidence provided by Applicants for dumping, as such an initiation is in violation of Rule 5 and 6 of the AD Rules.

- f. Acrylic Fibres are Synthetic Fibres and are a good replacement for wool and the main end use of the yarn is in sweaters etc. There are three prominent producers of Acrylic Fibre in India who employ about 1500-2000 people collectively. These producers are in the organized sector and earning very good profits. India has about 30-40 spinning mills which employ about 15000 people producing yarn which falls under the semi-organized sector. The sweater, shawl and other product makers have 7500-10000 units in total (MSMES and SMES) and employ about 10 lakh people. These segments are suffering due to the anti-dumping duties already in place since 1997-98.
- g. Acrylic Fibre should be made available in India at fair rates so that the opportunities in the sweater industry are fully tapped into. Anti-dumping duties have led to higher yarn prices as compared to other Asian Countries and this has made the downstream industry rather uncompetitive in the export markets. Countries like China, Vietnam and Bangladesh are taking benefit of the situation.
- h. Imposition of any further ADD will only add on to the huge profits already being earned by the Acrylic Fibre producers and the larger national interest and the interest of downstream producers will be adversely impacted further by such duties.
- i. Recommendations to abolish the existing Anti-dumping duties and also no fresh Anti-dumping duties on Acrylic Fibre by the Authority is the need of the hour to protect the entire value chain of acrylic fibre in India. This would help overall growth of this high potential sector and this would be in public interest. The downstream users can grow fast in their value-added products and contribute to the Make in India movement in a competitive manner creating millions of employment opportunities and livelihoods provided the key input is available in the country at fair prices.
- j. Since the economic reform in the early 90s, Peru has maintained and strengthened an open economy and has signed 19 trade agreements with 53 countries, and right now is in the process of negotiating a trade agreement with India. The bilateral relations of Peru and India are built upon trust. The Peruvian Government trusts that DGTR will carry out the investigation in observance of its obligations under WTO.

F.3. Examination by the Authority

- 32. With regard to the contention of the interested parties that imposition of anti-dumping duty will not be in public interest, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate the injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.
- 33. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures

would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

34. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the end user. The end user could still maintain two or even more sources of supply. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not affect the availability of the subject goods to the consumers.
35. With regard to the issue of continued duty raised by the interested parties, the Authority notes that there is no bar on the number of times a duty can be imposed or extended on a given product. If the legal requirement to extend antidumping duty is met, only then the duty is extended to protect the interests of the domestic industry.
36. With regard to the issue of negative findings dated 16th April, 2018 issued by the Authority in the previous investigation concerning imports of Acrylic Fibre from Peru, Belarus, Ukraine, EU and China PR, the Authority notes that there is no bar on the number of times a domestic industry can apply for the initiation of an anti-dumping investigation concerning the same product. The POI in both investigations is different, and the situation of the domestic industry has to be analysed accordingly.
37. With regard the contention that the initiation notice was violative of Rule 5 of the AD Rules, the Authority notes that the investigation was only initiated after examination of the evidence provided by the domestic industry. Only when all the requirements under Rule 5 were met, the investigation was initiated by the Authority.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions made by the Domestic Industry

38. The following submissions have been made by the domestic industry:
 - a. The price at which Acrylic waste has been imported into India is 2-3 times the price at which acrylic fibre waste has been sold by Indian Producers in India. Producers in subject countries have charged 60-80% of the good fibre price for waste.
 - b. Good fibre has also been reported as acrylic fibre waste. This is confirmed by the fact that the DRI made recoveries of up to INR 25 crores from the importers. Information regarding the same can be sought from Ramji Acro, Maibapp Agency, Paramount, GR Fibres, Parasnath, and Paragjyoti.
 - c. The applicants have considered normal value of the subject countries based on delivered basis prices prevailing in these regions as per IHS Chemical reports, duly adjusted i.e. inland freight, custom duty and port expense.
 - d. The Authority, for the purposes of Initiation, considered constructed normal value on the basis of cost of production, duly adjusted, and after additions for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

- e. Section 9A(1)(c) clearly provides for a hierarchy, which is as follows:

“The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

a. Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

- f. The Hon’ble Supreme Court of India in the matter of *Ministry of Commerce v. M/s. Haldor Topsoe* held that there is a sequence for determining normal value. If acceptable material is available in regard to the comparable price in the ordinary course of trade in the exporting country itself, then the normal value will have to be determined on that basis. It is only if such information is not available, the Authority has a choice to consider either the comparable representative export price or the cost of production in the country of origin of the goods.
- g. It is submitted that IHS Report is an ‘acceptable material’ with regard to the price in the exporting subject countries in terms of the above-mentioned Supreme Court Order. IHS report provides historical and forecasted pricing on a world-wide basis. Each month, it publishes a market summary and market statistics supplement. The market summary includes an analysis of the current market situation as well as price and margin history and forecasts. IHS Report is mostly accessed by highly experienced researchers. It has recognition and reliability about the authenticity and usefulness of the data and information published in it. The price reported by IHS report is a good indicator of the prevailing prices of subject goods in the domestic markets in various countries/regions.
- h. The Authority has considered prices as published in the said weekly and other trade journals in several cases, for determination of normal value.
- i. The notice of initiation states that the application was duly documented and contains all relevant information and evidence. Such being the case, it does not make sense to ignore the information on prices and determine the normal value on the basis of constructed normal value.

- j. The Authority did not have information with regard to actual cost of production. Use of constructed normal value implies that the normal value has been determined based on Indian cost structures.
- k. Domestic industry has obtained the import data from transaction wise DGCI&S and has relied upon the same for export price. It may be noted that the export price is calculated at the CIF level. According to the WTO Agreement on Anti-Dumping and Indian Rules, comparison of normal value and export price should be done at same level of trade. Therefore, the export price has been adjusted for the following expenses, which may have been incurred by the exporter for exporting the material to India:
 - a. Ocean Freight
 - b. Marine Insurance
 - c. Port Expenses
 - d. Handling Charges
 - e. Bank Charges
 - f. Commission
- l. The dumping margins are not only above the de-minimis level but also substantial for each country.
- m. The Authority should determine dumping margin on the basis of responding exporter's data subject to accuracy and adequacy of the data filed.
- n. As regards increase in export price of the responding exporters, it is submitted that the raw material prices of the product have increased which has led to increase in prices of the product under consideration in general. However, increase in import price does not mean that the exporter is not dumping the product under consideration.

G.2.Submissions made by other interested parties

39. The following submissions have been made by other interested parties:

- a. The Authority is requested to take into account the filed questionnaire response by the interested parties for the purposes of determining normal value, export price and dumping margin.
- b. The issue of misclassification of acrylic fibre as acrylic fibre waste, which is being dealt with by the DRI, is irrelevant for the purposes of the present investigation as the scope of the AD Rules does not allow the Authority to assess misclassification / customs issues in an anti-dumping investigation. Particularly, the prerogative of the Authority under the AD Rules is to only assess dumping of acrylic fibre from subject countries and consequent injury to domestic industry.
- c. The Period of Investigation in the previous investigation was April 2016- March 2017. Dralon GmbH's export price to India has increased significantly in the present POI as compared the POI of the previous investigation. This can be clearly seen from the questionnaire response filed by the producer and also the import data provided in the application filed by the domestic industry.

- d. The CIF import price from Germany is higher than the average CIF price of imports from EU.
- e. Germany's CIF price is higher than all countries' import price of the PUC which are being investigated under this investigation and other con-current investigations.
- f. Ukraine is a full-fledged market economy where prices and decisions on investment, production and distribution of goods and services are made on the basis of demand and supply. Ukraine joined the WTO on 16 May 2008, and the Working Party Report on its accession recognizes the successful efforts that Ukrainian authorities have deployed in order to ensure that its economic policies were in line with market economy principles.
- g. EU, USA, Brazil, Canada, Pakistan, Turkey treat Ukraine as a Market Economy.
- h. WTO law does not distinguish between market economy and non-market economy countries. In particular, it does not set forth the requirements that WTO Members have to meet in order to qualify as market economies. With specific regard to the anti-dumping framework, Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement are clear in requiring that, in order to determine whether dumping occurs, a comparison shall be made between the normal value of the products under investigation in the country of production and the export price of the same products.
- i. There are no grounds for treating Ukraine as a non-market economy in the absence of a specific discipline in its protocol of accession to the WTO. Irrespective of any considerations on the Ukrainian economy, there are no possible legal grounds that could allow the DA to disregard the normal value of the products concerned. Any deviation from the standard methodology would amount, in this respect, to a violation of several provisions of the Anti-Dumping Agreement and may lead to a challenge of both the anti-dumping measures eventually imposed and the Indian regulations governing anti-dumping investigations before a WTO panel.
- j. Irrespective of the evolutions of the current investigation with regard to imports from Ukraine, the relevant discipline concerning the treatment of non-market economies for anti-dumping investigations in India is "as such" inconsistent with Article 2.2 of the Anti-Dumping Agreement, because it allows the DA to disregard the domestic prices of the products concerned in their country of origin on the basis of a presumption that these countries are non-market economies.
- k. Paragraphs 7 and 8 of Annexure I to Indian Anti-Dumping Rules do not ensure that the DA acts in a manner that is consistent with India's WTO obligations. By expanding the scope of non-market economy treatment to situations not expressly covered by the limited exceptions explained above (specific language in the protocols of accession or the second Ad Note to Article VI of the GATT 1994), they violate "as such" Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement and could be challenged before a WTO panel.

G.3.Examination by the Authority

40. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire:
- a. Dralon GmbH, Germany (Producer/Exporter) – European Union
 - b. Sudamericana de Fibras S.A (Producer) – Peru
 - c. Open Joint-Stock Company Naftan , Belarus

G.3.1. Normal Value

41. Under Section 9A(1)(c) of the Customs Tariff Act, 1975, as amended, the normal value in relation to an article means:-

- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- ii. *When there are no sales of the like articles in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - a. *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting or territory to an appropriate third as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the of export or such article is not produced in the of export or there is no comparable price in the of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the of origin.

I. Determination of Normal Value for producer/exporters from European Union

Dralon GmbH, Germany (Exporter/Producer)

42. From the Exporters Questionnaire (EQ) response, the Authority notes that Dralon GmbH is a producer and exporter of the subject goods based in Germany. Dralon has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. As per information available in the EQ response, during the period of investigation Dralon made *** MT of domestic sales to unrelated customers and *** MT to related customers. The related customers have consumed the subject goods for products manufactured by them. The ordinary course of trade (80:20) test conducted on the domestic sales of Dralon shows that less than 80% of the domestic sales are profitable. Therefore, normal value of the subject goods in the POI has been determined by taking average price of the profitable domestic sales in the subject country. Dralon has claimed adjustments on account of freight, insurance, packing cost, commission and credit cost. Authority has allowed the same after due verification and normal value thus arrived is shown in dumping margin table below.

II. Determination of Normal Value for producers and exporters from Peru

Sudamericana de Fibras S.A, Peru (Producer)

43. The Authority notes that Sudamericana de Fibras S.A from Peru has filed exporter questionnaire response. From the Exporter Questionnaire (EQ) response, the Authority notes that Sudamericana de Fibras, Peru is a producer of the subject goods. Sudamericana de Fibras has claimed normal value on the basis of sales made in the domestic market. However, due to reasons given in subsequent paragraphs, normal value for Sudamericana de Fibras S.A has not

been determined on the basis of the information provided in EQ response and the same has been constructed on the basis of facts available using international price of major raw-material namely Acrylonitrile.

III. Determination of Normal Value for producers and exporters from Belarus

Open Joint-Stock Company Naftan

44. M/s OJSC Naftan, is a producer/exporter of the subject goods and has filed the Exporters Questionnaire (EQ) response with the Authority. The Authority requested M/s OJSC Naftan to provide the relevant documents for desk study of the EQ response submitted by them. However, M/s Naftan did not make available the necessary documents requested by the Authority for desk study exercise. In view of non-cooperation by M/s OJSC Naftan, the Authority is unable to accept EQ response filed by M/s Naftan and holds to determine the normal value on the basis of best available information and the same is indicated in the dumping margin table given below.

IV. Determination of Normal Value for producers and exporters from Ukraine

45. The Authority notes that none of the producers/exporters from Ukraine have filed Exporters Questionnaire response. In view of non-cooperation from all the producers/exporters in Ukraine, the Authority has determined normal value on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

G.3.2. Export Price

I. Determination of Export Price for producers/exporters from European Union

Dralon GmbH (Producer/ Exporter)

46. The Authority notes that Dralon GmbH has exported *** MT of the subject goods to unrelated customers in India. Dralon has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port handling charges, commission, packing cost and credit cost to determine net export price at ex-factory level, and the Authority has allowed the same after due verification. The ex-factory export price so determined is indicated in the dumping margin table given below.

II. Determination of Export Price for producers/exporters from Peru

Sudamericana de Fibras S.A, Peru (Producer)

47. From the response filed by the producer, the Authority notes that more than 30% of exports to India have been made through Dubai based trader namely M/s. Lanas Fibras Limited. M/s. Lanas Fibras Limited has not filed its response in the subject investigation. Therefore, the Authority holds not to accept the response of Sudamericana de Fibras because the complete export chain for a significant portion of the exports made to India is not before the Authority. Accordingly, the export price for Sudamericana de Fibras has been determined on the basis of facts available.

III. Determination of Export Price for producers/exporters from Belarus

Open Joint-Stock Company Naftan (Belarus)

48. As stated above, the Authority is unable to accept EQ response filed by M/s OJSC Naftan in view of the non-cooperation shown by the company during the desk verification exercise for the EQ response submitted by them. The Authority holds to determine the export price on the basis of best available information and the same is indicated in the dumping margin table given below.

IV. Determination of Export Price for producers/exporters from Ukraine

49. The Authority notes that none of the producers/exporters from Ukraine have filed exporter questionnaire response. In view of non-cooperation from all the producers/exporters in Ukraine, the Authority has determined export price on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) and the same is indicated in the dumping margin table given below.

V. Determination of Export Price for Non-cooperating producers and exporters from European Union

50. For the other producers/exporters from European Union, the export price has been determined based on the facts available. Based on this the dumping margin is indicated in the dumping margin table below.

G.3.3. Calculation of Dumping Margin

51. Comparing the aforesaid normal values and export prices as determined, the dumping margin holds to be determined for the subject countries during POI is as follows:

DUMPING MARGIN TABLE

Country	Producer	Normal Value	Ex-factory Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	Range
European Union	Dralon GmbH	***	***	***	***	10-20
European Union	All Others	***	***	***	***	30-40
Ukraine	All	***	***	***	***	20-30
Peru	All	***	***	***	***	10-20
Belarus	All	***	***	***	***	10-20

52. It is seen that the dumping margins are more than the de-minimis limits prescribed under the Rules in respect of exports made from each of the cooperating producers/exporters and non-cooperative producers/ exporters from subject countries.

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the Domestic Industry

53. The domestic industry has made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:
- Rule 11 of the Rules read with Annexure II pertain to the principles governing the determination of injury during an anti-dumping investigation. Paragraph (i) & (ii) of Annexure II read as follows:

“(i) A determination of injury shall involve an objective examination of both (a) volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the

domestic like article and (b) consequent impact of these imports on domestic producers of such products”

(ii) While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the designated authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred, to a significant degree.”

- b. The domestic industry has already supplied all the relevant data/information to the Authority establishing dumping, injury and causal link between dumping and injury. The evidence provided by the Domestic Industry was, thus, sufficient to justify commencement of the present investigation.
- c. The volume of dumped imports from subject countries has increased throughout the injury period. The demand of the product has decreased, and the imports from subject countries have increased.
- d. The volume of imports from subject countries constitute 56% of the total imports into India during POI and has increased by 17% in the POI from the base year.
- e. Share of subject imports has also increased in relation to demand and production of the country.
- f. Exporters from Thailand are also dumping the product under consideration in India. The Authority is conducting a sunset review investigation against Thailand.
- g. The imports from each of the subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.
- h. The domestic industry is suffering suppressing effects. Even though the cost of production and selling prices increased over the injury period, the domestic industry was not able to increase its price in proportion to the increase in costs.
- i. The economic parameters of the domestic industry show that the performance of the domestic industry deteriorated:
 - i. Domestic industry has increased its capacity during the POI;
 - ii. Production and capacity utilization of the domestic industry has declined over the injury period. Even though production and capacity utilization increased in the POI, the levels achieved in the POI were still lower than the levels achieved in the past;
 - iii. Exports being made by the domestic industry are only a result of inability of the domestic industry to sell in the domestic market;
 - iv. Captive consumption has increased as a result of efforts being made by the domestic industry in creating market for its product in view of significant

- adverse market conditions and competition being faced by the domestic industry;
- v. The average inventory of the domestic industry has increased over the injury period;
 - vi. Profitability of the domestic industry has declined over the injury period with a significant decline during period of investigation;
 - vii. Cash flow, PBIT and return on capital employed also declined over the period.
- j. The domestic industry submits that the injury has not been caused by imports from third countries as they are attracting anti-dumping duty or are at high prices. The demand has increased since the base year. There are no changes in technology for production of PUC. Performance of other products and export performance are not relevant since data pertains to domestic performance of PUC. There are no trade restrictive patterns. Nor there have been material changes in the pattern of consumption.
- k. Imports are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, lower import prices are preventing the domestic industry from aligning their prices to the cost of production. The domestic industry is unable to increase its price to the extent of cost increases. Thus, the price undercutting is leading to price suppression in the domestic market.
- l. Even when the domestic industry has been offering sub-optimal prices it is losing its market share. Thus, decline in market share is a direct consequence of dumped imports from the subject countries.
- m. Price undercutting resulted in reduction in the selling prices. As a direct consequence, the domestic industry is suffering decline profits, cash profits and ROCE.
- n. The imports price from EU is undercutting and underselling the prices of the domestic industry. Imports from EU constitute 39% of the total imports in India which is significant. It cannot be said that imports from EU are not causing price pressures for the domestic industry.
- o. As regards NSR being higher than NIP, it is submitted that the purpose of calculating NIP is primarily to compute injury margin, i.e., use of the calculated NIP is not to conclude on injury. Further, there have been plethora of cases where the Authority has imposed anti-dumping duty or extended anti-dumping duty in review cases where NIP was lower than NSR.
- p. A comparison of the data from 2016-17 with the POI shows the following:
- i. The profits of the domestic industry have declined significantly
 - ii. The cash profits have declined significantly
 - iii. The return on investments have declined

- q. The average cost of production must include duty free imports of raw materials for export of acrylic fibre as well. The Authority is requested to determine the profits and ROCE after making an adjustment for the same.
- r. The claimed injury is on account of domestic operations. The domestic industry has provided segregated data of domestic operations and therefore export performance cannot be a cause of injury.
- s. Exports and captive sales being made by the domestic industry are only a result of the inability of the domestic industry to sell profitably in the domestic market.
- t. Public statements in the Annual Report do not alter the conclusion that dumping of the product has contributed to injury to the domestic industry.
- u. It has been wrongly assumed by the interested parties that dumping of the product should be the sole cause of injury to the domestic industry.
- v. The statements in the annual reports are not with regard to deterioration in performance of the domestic industry over the injury period. The Authority is concerned with performance of the domestic industry over the injury period. Authority's decision is not based on POI alone.
- w. The Authority is concerned about domestic operations, whereas the Annual Reports are concerned about company's overall operations.
- x. The Authority is not concerned about reasons for dumping. Annual reports go into the reasons for dumping. The shareholders and other stakeholders are interested in knowing not only the performance during the year but also reasons for the performance. The companies in general not only give reasons but also attempt to explain the reasons for these business situations in the annual reports.
- y. The factors listed in the annual reports are in the context of absolute levels of performance of the domestic industry.
- z. A situation where the domestic industry has not been able to align its prices with the key raw material is well covered under Annexure-II where it provides whether imports are suppressing or depressing the prices of the product in the market.
- aa. It would be seen that the import price has increased due to increase in raw material prices. Whereas the raw material prices have increased to the extent of 26-69%, the import price from the subject countries have only increased by 30%.
- bb. In addition to material injury, the domestic industry also submits that the imports are causing threat of material injury, as would be seen from the following:
- cc. The volume of dumped imports from the subject countries have further increased in the Post-POI.
- dd. Market share of the domestic industry has declined whereas that of subject countries has increased in the post-POI.
- ee. There is a decline in the profits of the domestic industry during Post-POI showing a causal link with the dumped imports and need for the imposition of duty.

H.2.Submission made by other interested parties

54. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link, considered relevant by the Authority, are as follows:

- a. The domestic industry does not seem to have suffered any injury on account of the subject imports.
- b. The Authority in its previous final finding dated 16th April 2018 concerning imports of PUC from China PR, Belarus, Ukraine, EU and Peru has noted that there is no injury to the domestic industry on account of imports from subject countries. It is relevant to note that the injury period therein has an overlap with the injury period herein.
- c. The imports from Peru have neither increased in absolute or relative terms. In fact, the imports from Peru have decreased in comparison to the previous years, i.e. 2017-18 and 2016-17.
- d. When there has been an alleged increase in imports from subject countries in the POI, there has been a significant improvement in the domestic industry's performance.
- e. The landed price of the subject imports has not impacted the prices of the domestic industry, thus not causing a price suppression/depression in the present investigation. It must be noted that the POI was 2016-17 in the previous investigation, where the Authority found no injury. Any improvement in the price suppression/depression figures can only imply that there continues to be a lack of price injury.
- f. It must be noted that the profits of the domestic industry have fluctuated even though the price undercutting has been stable in the injury period, therefore indicating that there is no correlation between the alleged imports and the performance or prices of the domestic industry.
- g. The economic parameters including production, sales volume and sales value have shown a positive trend in the POI in comparison to 2016-17 and 2017-18.
- h. The domestic sales volume and sales value have been steadily growing in the POI in comparison to the previous years.
- i. The production of the domestic industry has increased by 11 index points in the POI as compared to the previous year. It can also be seen from the Annual Report 2018-19 of Indian Acrylics that the production of acrylic fibre increased.
- j. The wages have also increased in the POI as compared to the previous years.
- k. It appears that the focus of the domestic industry is on captive consumption of the PUC. In the event that duties are imposed on imports of PUC, it would create a supply crush of PUC in India.
- l. The domestic industry has not included their captive consumption of the PUC while determining total demand.
- m. There are imports of PUC from Thailand which are entering India at dumped prices. In the sunset review of anti-dumping investigation concerning imports of Acrylic Fibre from Thailand, the period of investigation is April 2018 to March 2019 and the injury period is

2015-16, 2016-17 and 2017-18 and April 2018 to March 2019, which is same as the POI and injury period in the present investigation. In view of the same, based on dumped imports in the injury period from Thailand and lack of injury due to imports from subject countries, it is evident that injury, if any, is suffered by imports from Thailand.

- n. As can also be seen from the relevant extracts of the Annual Reports of the Applicants, there are various factors such as volatility in the Acrylonitrile (a major raw material for PUC) market due to volatility in crude oil market (Acrylonitrile is a derivative of crude oil), demonetization, GST, and mild winter which have impacted the performance of the Applicants in the PUC market. Accordingly, alleged injury to the Applicants cannot be attributed to imports from subject countries.
- o. On 16th April 2018, the Authority issued a negative final finding in the Anti-dumping investigation concerning imports of 'Acrylic Fibre' originating in or exported from China PR, Belarus, Ukraine, EU and Peru. The POI in the previous investigation was April 2016-March 2017. No duty was recommended in the previous investigation on various grounds. It is submitted that there has been no change of circumstances from the POI of the previous investigation (2016-17) to the POI of the ongoing investigation (2018-19).
- p. In the previous investigation, the Authority had determined that the landed price of subject goods from EU, Ukraine and China PR during POI had been above the NIP determined for the domestic industry. Therefore, the imports from subject countries had not caused any kind of price suppression for the domestic industry. It must be noted that the landed value of imports from Germany has only increased over the injury period and cannot be said to be causing any kind of price pressure on the domestic industry. The landed price of European imports has increased by 50% from 2016-17 to the current POI. If the landed price from EU did not cause injury to the domestic industry in 2016-17, there is no manner in which injury can be caused to the domestic industry in the current POI.
- q. It is submitted that the sales realization per unit of the domestic industry has increased throughout the injury period in the present investigation as well. In fact, when compared with the selling price from 2016-17, the selling price has increased substantially.
- r. There has been an improvement in the economic parameters of the domestic industry. This is particularly true if compared with the status of the economic parameters as it prevailed in 2016-17.
- s. The Authority had determined that the ROCE of the domestic industry was as high as in the range of 50-60% in 2016-17. From 2016-17, the ROCE has only fallen by 14 indexed points in the POI of the present investigation. This shows that the ROCE is still exceptionally high and would be upwards of the 22% return that the Authority normally considers reasonable in anti-dumping investigations. As per our estimate, ROCE is likely in the range of 35%-45% during the POI of the current investigation.
- t. The inclusion of Vardhman Acrylics Limited has led to deflated trends of profitability and performance. In such a case, the treatment of the entire domestic industry as "injured" due to the injury suffered by only one of its constituents is inappropriate.
- u. The comparison of data with the base year 2015-16 is incorrect, when it has already been determined that the profitability in that period was exceptional and ROCE was in the range of 50-60%. It is submitted that the decline in profits appears to be sudden and significant but is actually reflective only of the normalization of these previous super-normal profits.

- v. It is submitted that the Applicants appear to have wilfully redacted / not provided any information pertaining to the export price of the Applicants. In such a situation, it is not possible to figure out whether it is export performance or domestic performance of the Applicants which is the root cause of their injury.
- w. Domestic Industry has diverted a substantially big part of their production towards captive consumption as well. The pricing of such products merits consideration. Interestingly, data pertaining to the sales value of captively consumed goods has been withheld.
- x. Based on a comparison of the information pertaining to price undercutting and price underselling with respect to Ukraine and Peru, we note that the Applicants' selling price is higher than its non-injurious price. This can be easily deduced from the fact that the difference between net selling price and landed value (5-15% for Ukraine and 10-20% for Peru) is greater than the difference between non-injurious price and landed value (0-10% for Ukraine and 0-10% for Peru).
- y. The landed value for EU imports has increased from INR ***/MT to INR ***/MT, an increase of 31% compared to the base year and an increase of about 48% compared to 2016-17. It is also relevant to note that as per the Final Findings dated 16 April 2018, the Authority had found that the EU prices, in 2016-17, were non-injurious to the domestic industry. Since the prices have only increased since, and at such a significant scale, it is understood that even now the subject imports from EU are entering at non-injurious prices.
- z. It is submitted that the price of the domestic industry has faced some impact owing to the variant prices of the imports from other non-subject countries, particularly Thailand which is subject to anti-dumping duties with respect to the subject goods. It is also relevant to look at the imports from Turkey in this regard.
- aa. The Annual Reports indicate that the domestic industry is facing issues due to increased capacities in China and increased and continuous dumping by it. The Annual Reports have made no reference to the imports from EU at all.
- bb. The fact that domestic industry increased its capacity by about *** MT during the POI indicates a healthy situation for the domestic industry. Infusion of fresh investment is clearly a sign of absence of material injury and it also shows that the domestic industry has a positive outlook with regard to its future business.
- cc. It is also to be noted that Acrylic Fibre is an important input for large number of spinners in India and still imports from subject countries constituted only 20% of Indian demand and about 65% of the market share was still held by the domestic industry.
- dd. Some minor fluctuations in certain profitability parameters are linked to internal issues of the domestic industry and are not driven by landed price of imports from subject countries in any manner which in fact increased by 30% by the POI.
- ee. It can be noted that the increase in imports from subject countries from *** MT in the base year to *** MT was coincided with an increase in price of about 30% from Rs***/Kg to Rs***/Kg which shows the increase in import was driven by demand supply imbalance in India and not by price.
- ff. The domestic industry has alleged threat of material injury and filed Post-POI data in this regard. With regard to the same, it is submitted:

- gg. The imports from Peru have decreased in the POI in comparison to 2017-18 and 2016-17 and have further reduced in the Post-POI.
- hh. The Profit of the domestic industry has increased by 30 indexed points in the Post-POI as compared to POI.
- ii. The Post-POI data indicates an increase in production and capacity utilization compared to the POI.
- jj. Material injury and threat of material injury are two different legal standards. The domestic industry has been claiming 'material injury' and not 'threat of material injury' throughout the investigation. It is not permissible for the domestic industry to change the standard at this stage of the investigation.
- kk. The threat of material injury cannot be determined on conjecture and have to be fact-based. The threat of material injury can be established if the domestic industry can establish that (a) there has been a significant increase in imports, (b) there is freely disposable and unutilized capacity in the exporting country, (c) the import price has a depressing or suppressing effect on domestic prices, and (d) inventory of the article being investigated. The domestic industry has not provided any of the information as required by Annexure II. Vague allegations have been made without any concrete evidence or relevance to the issue at hand.
- ll. Post-POI data is not relevant in the case of an original investigation. Post-POI data is only considered by the Authority in a sunset review, where the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury has to be determined. The scope of an original investigation is limited to the POI, as determined by the Authority. In this case, the POI is 2018-19. The consistent practice of the Authority has been to reject Post-POI claims in an original anti-dumping investigation.
- mm. There is no production of acrylic fibre in Ukraine. The Petition information concerning imports from Ukraine does not correspond to the official data of the State Statistics Service of Ukraine. No exports were made under 550130, 550330 and 550630 by Ukraine to India in 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19.

H.3. Examination by the Authority

- 55. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and has examined the various parameters in accordance with the Rules after duly considering the submissions made by the interested parties.
- 56. As addressed in the relevant portion of this final findings, Vardhman Acrylics Limited has not been considered a part of the domestic industry due to the significant volume of imports made by one of its affiliates. For the purposes of this investigation, M/s. Indian Acrylics Ltd. and M/s. Pasupati Acrylon Ltd. constitute a 'major proportion' of total Indian production and constitute 'Domestic Industry' in terms of Rule 2(b) of the Rules.
- 57. With regard to the contention of the domestic industry facing 'threat of material injury', the Authority notes that there are three standards of injury under the Anti-Dumping Rules, (i) material injury, (ii) threat of material injury, and (iii) material retardation. The standard adopted by the Authority for the purpose of initiation of the present investigation was that of 'material injury' and not 'threat of material injury'.

58. The Authority is only required to examine and consider the information for POI and the previous three years as undertaken at the time of the initiation under the AD Rules for the determination of dumping, injury and causal link. It is the consistent practice of the Authority not to consider Post-POI data in an original investigation.

H.3.1. Cumulative Assessment

59. Para (iii) of Annexure II of the Rules states the following:

“(iii) In cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the designated authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as a percentage of export price and the volume of imports from each country is three per cent of the import of like article or where the export of individual countries less than three per cent, the imports collectively account for more than seven per cent of the import of the like article; and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.”.

60. The Authority notes that:

a) The product under consideration is being dumped into India from subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

b) The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.

c) Cumulative assessment of the effects of imports is thus appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete inter se but also with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

61. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from imports of the product under consideration from the subject countries.
62. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.
63. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of the investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:

H.3.2. Volume Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

I. Assessment of Demand/Apparent Consumption

64. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers, captive consumption and imports from all sources. The demand so assessed shows that even though it faced a decrease during the injury period, it increased substantially in the POI.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>78</i>	<i>79</i>	<i>85</i>
Captive Consumption by DI	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>347</i>	<i>508</i>	<i>704</i>
Sales of Vardhman	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>94</i>	<i>102</i>	<i>103</i>
Imports					
Belarus	MT	1,322	1,023	820	2,195
EU	MT	12,187	9,350	11,233	13,592
Peru	MT	177	2,387	2,105	2,074
Ukraine	MT	0	2,195	1,895	1,598
Imports from Subject Countries	MT	13,686	14,955	16,053	19,459
Thailand- SSR	MT	13,670	10,747	8,336	8,797
Korea RP (Attracting ADD, but no SSR investigation is being conducted)	MT	0	0	0	31
Countries attracting ADD	MT	13,670	10,747	8,336	8,797
Other Countries	MT	7,407	5,360	3,856	6,558
Total Imports	MT	34,763	31,062	28,244	34,846
Total Demand (including Captive)	MT	1,05,326	94,362	96,154	1,09,282

II. Import Volumes from subject countries in Absolute Terms

65. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Import Volume					
Subject countries	MT	13,686	14,955	16,053	19,459
Countries attracting	MT	13,670	10,747	8,336	8,797

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
ADD					
Other Countries		7,407	5,360	3,856	6,589
Total Imports	MT	34,763	31,062	28,244	34,846
Market Share in Imports					
Subject countries	%	39%	48%	57%	56%
Countries attracting ADD	%	39%	35%	30%	25%
Other Countries	%	22%	17%	13%	19%
Total Imports		100%	100%	100%	100%
Demand(including captive)	MT	1,05,326	94,362	96,154	1,09,282
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>90</i>	<i>91</i>	<i>104</i>
Indian Production	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>91</i>	<i>85</i>	<i>96</i>
Subject Imports in relation to					
Demand(including captive)	%	13%	16%	17%	18%
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>122</i>	<i>128</i>	<i>137</i>
Indian Production	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>120</i>	<i>138</i>	<i>149</i>

66. The Authority notes that dumped imports of the product under consideration from the subject countries have increased in absolute terms as well as relative terms during the POI as compared to the base year.

III. Market Share

67. The Authority notes that the market share of the subject imports has increased in the POI as compared to base year (2015-16). The market share of the domestic industry has also increased in the POI as compared to the base year.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Market Share					
Domestic industry	%	47	47	49	49
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>98</i>	<i>103</i>	<i>103</i>
Vardhman	%	20	21	22	19
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>105</i>	<i>112</i>	<i>99</i>
Subject countries	%	13	16	17	18
Countries attracting ADD	%	13	11	9	8
Other Countries	%	7	5	3	6
Total	%	100	100	100	100

H.3.3. Price Effect of Dumped Imports on the Domestic Industry

68. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purposes of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the product under consideration from the subject countries.

I. Price Undercutting

69. For the purposes of the price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the price undercutting effect of the dumped imports from the subject countries in the POI works out as follows:

Particulars-POI	Unit	Belarus	EU	Peru	Ukraine
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Subject Countries					
Landed Price	Rs/MT	1,59,717	1,71,387	1,54,377	1,56,594
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20	0-10	10-20	10-20

70. From the aforesaid table, it can be seen that the price undercutting from the subject countries during POI is positive.

II. Price Suppression and Depression

71. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>93</i>	<i>110</i>	<i>140</i>
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>97</i>	<i>113</i>	<i>132</i>

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Landed Price from subject countries	Rs/MT	1,28,902	1,09,982	1,37,591	1,67,602
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>85</i>	<i>107</i>	<i>130</i>

72. From the above table, it can be seen that the cost of sales has increased by 40 indexed points during POI as compared to 2015-16 but selling price has increased by only 32 indexed points during the same period, thereby resulting in price suppression.

III. Price Underselling

73. The non-injurious price (NIP) of the domestic industry has been determined and compared with the landed value of the product under consideration to arrive at the extent of price underselling. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation on the basis of principles mentioned in Annexure III of the Rules. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the domestic industry.

Particulars	Unit	Belarus	EU	Peru	Ukraine
Non-Injurious Price	USD/MT	***	***	***	***
Landed price of imports in POI	USD/MT	2,255.26	2,420.04	2,179.85	2,211.16
Price Underselling	USD/MT	***	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***	***
Price Underselling	Range%	0-10	Negative	0-10	0-10

H.3.4. Economic Parameters of the Domestic Industry

74. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

I. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

75. Capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>104</i>
Production	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>90</i>	<i>82</i>	<i>94</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>90</i>	<i>82</i>	<i>91</i>
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>78</i>	<i>79</i>	<i>85</i>
Demand(excluding captive)	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>85</i>	<i>84</i>	<i>93</i>

76. From the aforesaid table, it can be seen that:

- The capacity has remained the same throughout the injury period. It has increased slightly in the POI.
- The production of the domestic industry decreased in 2016-17 and 2017-18. However, it increased again in the POI. The production in the POI is still lower than the production in the base year. The same trend can be seen for capacity utilization of the domestic industry.
- The domestic sales decreased in 2016-17 and remained stagnant in 2017-18. There has been a slight increase in the domestic sales in the POI.
- The demand in the POI has increased in comparison to 2016-17 and 2017-18.

II. Profitability, return on investment and cash profits

77. Profitability return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of Domestic Sales	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>93</i>	<i>110</i>	<i>140</i>
Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>97</i>	<i>113</i>	<i>132</i>
Profit / Loss per unit	Rs/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>139</i>	<i>142</i>	<i>55</i>
Profit / Loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>109</i>	<i>112</i>	<i>47</i>
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>107</i>	<i>109</i>	<i>51</i>

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Profit before Interest & Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>107</i>	<i>110</i>	<i>61</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>106</i>	<i>89</i>	<i>47</i>

78. From the above table, it is noted that the PBIT, cash profit, profit per unit, total profit and ROCE of the domestic industry have reduced in the POI as compared to the earlier years.

III. Employment, productivity and wages

79. Employment, productivity and wages of Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>101</i>
Salary and Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>111</i>	<i>112</i>	<i>120</i>

80. It is noted that the number of employees has marginally increased in the POI, but the salary and wages have increased by 20 indexed points in the POI as compared to the base year.

IV. Inventories

81. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>121</i>	<i>149</i>	<i>111</i>

82. It is noted that the inventories with the domestic industry have increased during the POI as compared to the base year but have decreased in comparison to 2016-17 and 2017-18.

V. Growth

83. Profitability and ROCE of the domestic industry have deteriorated during the POI, as compared to 2017-18. However, other factors such as production, sales, capacity utilization have improved in the POI as compared to 2017-18.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	POI
Production	%	-10%	-9%	15%
Sales	%	-22%	0.3%	8%
Capacity Utilization	%	-10%	-9%	11%
Profit/Loss per unit	%	39%	3%	-61%

Return on Capital Employed	%	3%	-15%	-48%
Market Share - DI	%	-2%	5%	0%

VI. Ability to Raise Capital Investments

84. Domestic Industry has claimed that if the duty is not imposed, it will lead to further decline in profitability of the petitioning domestic industry. This is likely to affect its ability to raise capital investments.

VII. Factors affecting domestic prices

85. The domestic industry has not been able to increase the selling price commensurate with the increase in cost of sales. There is significant price effect of the imports coming in at a low price.

H.3.5. Magnitude of Injury and Injury Margin

86. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the domestic industry has been compared with the landed price from each of the subject countries for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same production has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure-III and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject countries to determine the injury margin as follows:

Country	Producer	Non-Injurious Price	Landed Value	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	Range
European Union	Dralon GmbH	***	***	***	Negative	Negative
European Union	All Others	***	***	***	***	0-10
Ukraine	All	***	2,211.16	***	***	0-10
Peru	All	***	2,179.85	***	***	0-10
Belarus	All	***	2,255.26	***	***	0-10

H.3.6. Causal Link

87. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are causing injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

I. Volume of imports from third countries

88. The Authority notes that the imports of the product under consideration from non-subject countries (except Thailand) are not in significant quantity. The Authority is conducting a parallel sunset review investigation against Thailand with respect to the anti-dumping duty in force against Thailand.

II. Export Performance and Captive Consumption

89. The exports and captive consumption made by the domestic industry are as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Domestic Sales Volume	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>78</i>	<i>79</i>	<i>85</i>
Captive Sales Volume	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>347</i>	<i>508</i>	<i>704</i>
Exports Sales Volume	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>85</i>	<i>61</i>	<i>80</i>

90. The Authority notes that the captive sales have increased exponentially in the POI as compared to the base year as well as the previous years. The export sales by the domestic industry have also been significant in nature.

III. Development of Technology

91. None of the interested parties have raised any issue with regard to developments in technology as being the cause of injury to the domestic industry.

IV. Performance of other products of the company

92. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Applicants does not appear to be a possible cause of injury to the domestic industry.

V. Trade Restrictive Practices and Competition between the Foreign and Domestic producers

93. The imports of the product under consideration are not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party

to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

VI. Contraction in Demand and Changes in pattern of consumption

94. It is noted that the demand of the product under consideration has increased in the period of investigation as compared to the previous years.

VII. Conclusion on Injury and Causal link:

95. The Authority, thus, notes as under:

a) Imports of the product under consideration have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of PUC from subject countries have increased in absolute terms from 13,686 MT in 2015-16 to 19,459 MT in POI.

b) There is positive price undercutting/underselling due to low priced dumped imports coming into India. There is price suppression due to low priced dumped imports coming into India.

c) The Domestic Industry's profitability has reduced during the POI as compared to the previous years.

d) There are no trade restrictive practices, technology issues, productivity issues or any other factor which can be attributed to the injury being suffered by the domestic industry.

e) The demand for the product under consideration has increased during the POI as compared to previous years. Accordingly, fall in demand cannot be the reason for injury to the domestic industry.

f) The imports non-subject countries (except Thailand) are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. The Authority is conducting a parallel sunset review investigation against Thailand with respect to the anti-dumping duty in force against Thailand.

I. POST DISCLOSURE COMMENTS

I.1. Submissions made by the Domestic Industry

96. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a. Each of the producers in the subject countries are dumping the product under consideration into India.
- b. In a situation where performance of the domestic industry first deteriorated and thereafter improved, but still remained below earlier levels, it must be concluded that the performance of the domestic industry has indeed deteriorated.
- c. It is requested to determine market share after excluding captive consumption. The captive consumption is insulated from adverse effects of competition and therefore increased over the period.

- d. The market share of the domestic industry declined over the injury period as far as merchant market is concerned, whether compared with the base year or with preceding year.
- e. The decline in market share is quite significant, in view of significant decline in the sales volumes, even when demand increased. While domestic sales declined by 15% over the injury period, the market share declined by 19%. This is in a situation where the domestic industry lost production and had to undertake loss making exports.
- f. The demand has increased over the injury period but the sales of the domestic industry have declined. Also, as compared to previous year, the domestic industry was still unable to increase its sales in proportion to increase in demand.
- g. Performance of the domestic industry in fact deteriorated in respect of production, domestic sales, capacity utilization, market share over the injury period. The analysis and conclusion cannot be restricted to a comparison of POI with preceding year.
- h. Increase in parameters such as production, sales, capacity utilisation and market share need to be seen in comparison to imports from subject countries and demand in India. As submitted earlier, even when the sales of the domestic industry have increased during period of investigation as compared to the previous year, the domestic industry was still unable to increase its sales in proportion of increase in demand. The market share of domestic industry has declined in the POI.
- i. Domestic Industry requests the Authority to reject the exporter questionnaire response filed by Dralon GmbH owing to the excessive confidentiality claimed by them.
- j. There is no provision under the law which prevents the Authority from examining material injury along with threat of material injury, even if the same was not examined at the stage of initiation.
- k. Domestic industry submits that the exports being made by the domestic industry are only a result of the inability of the domestic industry to sell profitably in the domestic market.
- l. As far as captive consumption is concerned, the same has increased only because the captive market is insulated from dumping. Increase in captive consumption and decline in domestic sale itself is the biggest evidence of adverse effect of dumping on the domestic industry.
- m. The decline in production and capacity utilisation clearly shows that the decline in domestic sales is not because of increase in captive consumption. Thus, despite increase in captive and export sales in POI as compared to preceding year, (a) the overall sales of the domestic industry have declined over the injury period, (b) export sales of the domestic industry in POI were lower than that in the base year.
- n. Despite increase in captive and export sales, the overall sales of the domestic industry have declined. Also, the capacity utilization of the domestic industry has declined. It shows that the domestic industry has suffered injury due to imports.
- o. Domestic industry requests for imposition of fixed quantum of antidumping duty, expressed in US\$/kg.

- p. The applicants' requests additional disclosure of (1) whether producers in subject countries provided details of acrylic fibre waste produced and exported to India during the POI and injury period and whether the same shows that the volume of waste exports made are reasonable having regard to the level of waste production generally found (2) whether CIF import price has been determined by adding the imports of acrylic fibre waste (3) A non-confidential version of supplementary information, if any, filed by foreign producer (4) A non-confidential version of deficiencies issued to foreign producers, if any, (5) Copy of communications sent by the Authority and copy the replies filed by the interested parties (6) Copy of rejoinder submissions (7) A non-confidential version of verification report.

I.2. Submissions made by other interested parties

- a. The Authority has failed to adequately examine SDF's arguments that the Acrylic Waste exported to India do not fall within the scope of the PUC.
- b. The Authority's assessment has overlooked the critical parameters for determining likeness between products.
- c. Production of Acrylic Waste does not follow the same process, but rather is a result of specific failures in individual process steps for manufacturing Acrylic Fibre.
- d. There are significant technical differences in terms of weight, length, moisture, resistance, processability and colour between Acrylic waste and the domestic industry's products. The differences are not merely a question of quality but reflect deeper technical and commercial differences between the products.
- e. Domestic industry itself has implied that the Acrylic waste is not in the scope of present PUC. Acrylic waste do not meet the technical specifications of Acrylic fibre and the fineness, finish, tenacity or elongation, weight, shrinkage, etc. are all out of specification, and cannot be used for the same purposes as Acrylic fibre. Therefore, they are not technically or commercially substitutable with the domestic industry's products.
- f. The Producer agrees with the exclusion of Vardhman from the scope of Domestic Industry and requests that the Authority to retain the same in its final findings.
- g. There is no volume injury to the domestic industry. Imports from Peru have decreased in the POI in comparison to the previous years in the injury period i.e. 2017-18 and 2016-17. The Authority ought to have considered the trends as regards the entire injury period as opposed to a simple comparison of the base year and the POI.
- h. Even though the price undercutting has been stable in the injury period, domestic industry's performance has improved with respect to various economic parameters, indicating no correlation between the imports and the performance or prices of the domestic industry.
- i. The economic parameters including production, sales volume, wages and capacity have shown a positive trend in the POI in comparison to 2016-17 and 2017-18.
- j. SDF had requested calculation of market share to include the captive consumption. It is unclear whether the Authority has taken this into account. The Authority has not conducted any further analysis of the impact of the same on its determination of alleged injury suffered by the Domestic Industry and any causal link thereto.

- k. SDF had made detailed averments and references relating to relevant extracts of the Annual Reports of the domestic industry suggesting that factors such as volatility in the Acrylonitrile (a major raw material for PUC) market due to volatility in crude oil market (Acrylonitrile is a derivative of crude oil), demonetization, GST, and mild winter have impacted the performance of the DI.
- l. When Acrylic Fibre is produced, waste is generated as part of the production. Acrylic Fibre waste is not any product produced as such to be called as a “product”. Its price depends on demand for such waste. The waste has separate classification and the basic product properties of Acrylic Fibre cannot be seen in Acrylic Fibre waste. Genuine imports of waste should not be subjected to any duty applicable on Acrylic Fibre. The importers have no objection to the authorities taking a step to stop the mis-declaration of acrylic fibre as acrylic fibre waste.
- m. The proposal to disqualify VAL as part of the domestic industry is a positive move. However, such disqualification alone is insufficient. Such significant imports by a domestic producer should lead to the termination of the present case. Any alleged injury from such imports is self-inflicted.
- n. The observation that dumped imports have increased in absolute and relative terms during the POI as compared to the base year needs reconsideration. The reality is that the imports increased because of substantial imports by the related party of an Indian producer. If such imports (about 29% in total subject imports) are removed, then a drastic fall in import shall be visible. The users and importers at large cannot be blamed for such increase in imports.
- o. The disclosure statement shows that there has been positive price undercutting, suppression and underselling. Such parameters should be noted in light of the fact that about 29% of the imports were made by a related party of an Indian producer who was a petitioner at the time of initiation.
- p. Total imports from subject countries were 19,459 MT during the POI out of which 13,952 MT or 70% imports were from EU which did not cause any price underselling effect. It is not logical that 5,867 MT import from Peru, Belarus and Ukraine put together have caused injury to the domestic industry.
- q. The figures in the disclosure statement do not reflect any volume or price injury. Profits have remained substantial during the POI. Deterioration in profits cannot be attributed to imports. About 70% of the imports from subject countries reached India without any underselling effects. About 29% of the imports from subject countries were made by a related party of the Indian producer who was a petitioner at the time of initiation. Indian producers cannot blame others for the consequences of imports made by them.
- r. The captive consumption of the domestic industry has increased significantly which shows that the domestic industry is facing ‘margin pressure’ in the sale of Acrylic Fibre and taking benefits in the downstream products.
- s. The causal link examination has not considered the fact that about 29% of the imports from subject countries were made by a related party of the Indian producer who was a petitioner at the time of initiation.
- t. The concerns of the users remain unaddressed in the disclosure statement. The users are already suffering irreparable injury due to the anti-dumping duty on other sources. Any further duty shall destroy the users in India forever. The present case is a fit case for not

recommending any anti-dumping duty in the facts of the case and also in the larger interest of large number of users.

- u. According to the Ukrainian official statistics, Ukraine did not export the PUC to India during the injury investigation period and dumping investigation period (2015/16, 2016/17, 2017/18 & 2018/19).
- v. It is unclear how the Authority managed to calculate dumping margin for Ukraine that is based on export price without actual export supplies from Ukraine and what sources were used to calculate normal value on the basis of best available information. We consider the Authority's calculations to be invalid and, therefore, inconsistent with WTO provisions.
- w. The term "acrylic" includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic tops. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic tops are commercially referred to as 'acrylic fibre'. Belarus sells small volumes of raw white (undyed) acrylic tow under the Customs Code 550130, which is not a similar product within the definition of 'acrylic fiber' in general.
- x. The weight of a bale of Nitron-D fiber produced and sold by OJSC 'Naftan' is about 200-230 kg. The first grade tow cannot have more than two breaks per bale. At the same time, the processor has additional costs for reloading the tow when it breaks, equipment downtime during reloading, and a decrease in equipment productivity due to additional technological pauses.
- y. The petition of the domestic industry does not contain information about the products manufactured. The petition must contain a complete description of the product being investigated.
- z. There are significant differences in the technological process of manufacturing acrylic fiber produced by JSC "Naftan" and the local industry. Indian Acrylics uses the DuPont company dry forming process and Vardhman Textiles Ltd. uses the Japanese Exlan process which is suspension polymerization. This leads to a difference in cost. Only Pasupati uses a process similar to JSC Naftan that is SNIA Italy. However, none of the companies have their own production of monomer raw materials, which JSC Naftan has. They bear the risks and costs of purchasing acrylonitrile and methyl acrylate as imported goods.
- aa. The period chosen by Authority was characterized by the highest prices for acrylonitrile, the main raw material for the production of acrylic fibre. Such rise in raw material prices were not a problem for JSC Naftan due to backward integration.
- bb. The domestic industry was not harmed by the imports in question but by the acrylonitrile suppliers.
- cc. The prices of acrylonitrile have now decreased (in the Post-POI) from 1300-1400 USD/t CFR to 900-930 USD/t CFT. This will allow the domestic industry to cover production expenses and earn good profits.
- dd. The normal value for comparable goods (excluding the cost of dyed fibre) is lower than the prices for exports to the Indian market.
- ee. When sending physical copies by the mail, the documents were structured into 2 folders, one containing accounting documents and the other shipping documents. Accounting and documentation in Belarus is maintained in Russian and duplication of internal

documentation in English is not provided. Translation of documents in English was not possible in the short dead line.

- ff. The domestic industry was earning exceptional profits in 2015-16 and considering such an exceptional time period as the base year affects the entire injury analysis. For example, the exceptional profits of 2015-16 are experiencing normalization in 2016-17 and subsequent years, but it appears to be declining significantly.
- gg. The cost of the Domestic Industry has increased by almost 1.5 times during POI. Interestingly, while the trend of cost shows measured increase year on year up to 2017-18, there is a sudden jump in the cost of sales during the POI alone. While it is understood that the price of raw materials for acrylic fibre is highly volatile, the cost increase for the domestic industry claimed by the Petitioners is abnormal and merits re-examination.
- hh. Imports entering from non-subject sources accounting for a third of the total imports in India- such as Thailand and Turkey- at exceptionally low prices lesser than the prices of the imports particularly from EU, and such imports from non-subject countries are causing injury to the domestic industry.
- ii. The Domestic Industry's export price has not been disclosed and the Petitioners' performance in the export market may be causing injury to the domestic industry.
- jj. The domestic industry has massively scaled up their captive consumption and the prices at which products are captively consumed may be causing injury to the domestic industry.
- kk. No duty should be imposed on Dralon GmbH, in light of the negative injury margin calculated for the exports made by the Respondent and the lesser duty rule followed by India.

I.3. Examination by the Authority

- 97. The Authority has examined the post-disclosure comments/submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and adequately addressed in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions made by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- 98. With regard to the exclusion of acrylic fiber waste from the scope of the PUC, the Authority has re-examined the submissions on record, and has recorded its findings in the relevant paragraphs of these final findings. The Authority deems it fit not to include acrylic fibre waste within the scope of the PUC, due to differences in end-uses, physical characteristics and the customs classifications of the products.
- 99. With regard to the self-infliction of injury due to the imports made by a related party of Vardhman, the Authority notes that any chances of self-inflicted injury to the domestic industry are addressed by not including Vardhman as part of the domestic industry. Injury assessment has been done by the Authority based on the parameters of the other two domestic producers.
- 100. With regard to the submissions made by the interested parties relating to the material injury caused to the domestic industry, the Authority has examined the relevant parameters and has recorded its findings in the relevant paragraphs of the final findings.

101. With regard to the termination of the investigation against imports from EU owing to the negative underselling calculated for EU imports, the Authority notes that individual margins for dumping and injury are calculated for all participating exporters. In the event that a negative injury or dumping margin is calculated for an exporter, no duty is imposed on the said exporter, in light of the lesser duty rule followed by India. The duty on all others/non-cooperating producers/exporters is determined based on facts available.
102. With regard to the mismatch of Indian import statistics and Ukrainian export statistics, the Authority notes that it has relied on official DGCI&S import data, for the purposes of this investigation.
103. With regard to the non-cooperation of the exporter from Belarus, the Authority notes that ample time was granted to all the interested parties to file the required documents. It must be noted that an anti-dumping investigation is a quasi-judicial process and is time bound. Multiple extensions cannot be afforded by the Authority at each stage of the investigation. The non-cooperation of the exporter did not allow the Authority to calculate an individual dumping or injury margin for the exporter.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

104. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
105. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

K. CONCLUSION

106. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis, the Authority concludes that:
- a. The product under consideration has been exported to India from the subject countries below its associated normal value, thus resulting in dumping.
 - b. The domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration from the subject countries.

- c. Material injury has been caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries.

L. RECOMMENDATIONS

107. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive antidumping duty is required to offset dumping and injury. The Authority, therefore, considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder.
108. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods described at Column 3 of the duty table, originating in or exported from subject countries.

DUTY TABLE

Sl. No	Heading/Sub Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5501.3000, 5503.3000, 5506.3000*	Acrylic Fibre**	European Union (EU)	Any country including European Union	Dralon GmbH	NIL	US\$	MT
2	-do-	Acrylic Fibre**	European Union	Any country including European Union	Any producer other than mentioned at S.No. 1 above	212.98	US\$	MT
3	-do-	Acrylic Fibre**	Any country other than European Union, Belarus, Peru and Ukraine	European Union	Any	212.98	US\$	MT
4	-do-	Acrylic Fibre**	Belarus	Any country including Belarus	Any	114.97	US\$	MT
5	-do-	Acrylic Fibre**	Any country	Belarus	Any	114.97	US\$	MT

			other than European Union, Belarus, Peru and Ukraine					
6	-do-	Acrylic Fibre**	Peru	Any country including Peru	Any	190.38	US\$	MT
7	-do-	Acrylic Fibre**	Any country other than European Union, Belarus, Peru and Ukraine	Peru	Any	190.38	US\$	MT
8	-do-	Acrylic Fibre**	Ukraine	Any country including Ukraine	Any	159.07	US\$	MT
9	-do-	Acrylic Fibre**	Any country other than European Union, Belarus, Peru and Ukraine	Ukraine	Any	159.07	US\$	MT

* Note - Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC. The PUC mentioned above should be subject to above ADD even when it is imported under any other HS code.

** Note- *Acrylic Fibre of all types excluding “Homo Polymer Acrylic Fibre containing 100% Acrylonitrile”. Acrylic Fibre is a long chain of synthetic polymer composed of at least 90% by weight of Acrylonitrile units (major raw material for production). The term acrylic fibre includes acrylic staple, acrylic tow and acrylic top. In other words, acrylic staple fibre, acrylic tow and acrylic top are known as acrylic fibre in the commercial parlance.*

M. FURTHER PROCEDURE

109. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the with the relevant provisions of the Act.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority